राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ८] तृतीय विधान सभा के अष्टम सत्र, १९६५ का ११वां दिवस [संख्या ९

गुरुवार, दिनांक ३० सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक म.पू. ११ बज कर ३ मिनट पर विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, अकाल सहायता, स्वायत्त शासन, जन-स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन, सिंचाई, राजस्व, खनिज, पशु-पालन एवं विधि-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री अमरसिंह ।

जयपुर-अजमेर नेशनल हाई-वे पर दुर्घटनायें

२०३. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(ए) नेशनल हाई-वे नं० ८ पर जयपुर से अजमेर तक गत तीन सालों में कुल कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ?

(बी) इनको भविष्य में रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य): (ए) सन् १९६२ से ६४ तक नेशनल हाई-वे नं० ८ पर जयपुर से अजमेर तक कुल १४२ दुर्घटनायें हुई ।

(बी) सड़क की चौड़ाई कहीं कहीं पर १२ फीट से बढ़ा कर १८ कर दी गई हैं ।

(२) मजिस्ट्रेट को साथ रख कर मोटर वाहनों का स्पेशल चैकिंग समय समय पर रास्ते में किया जाता है तथा तत्काल ही चालान पेश कर सजा दी जाती है ।

(३) खास २ स्थानों पर स्पीड लिमिट बोर्ड लगाये गये हैं ।

(४) विशेष स्थान जैसे किशनगढ़ पर ट्रैफिक पुलिस में बढ़ोतरी कर दी गई है ।

श्री अमरसिंह : क्या अधिकांश दुर्घटनायें ट्रकों से हुई हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या कहा ?

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : क्या ये सारी दुर्घटनायें ट्रकों की वजह से हुई हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री दयाचन्द सोन : क्यों नहीं बोल सकते ? आप भी तो बोलते हैं दूसरों की तरफ से ?

Page No 2

श्री अमरसिंह : जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें अधिकांश दुर्घटनाएं ट्रकों से हुई हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां, ट्रकों से अधिक हुई हैं।

श्री अमरसिंह : यह भी रात में हुई हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रात और दिन दोनों में ही होती हैं।

श्री अमरसिंह : जो ड्राइवर रात को शराब पीकर ट्रक आदि चलाते हैं तो क्या इनके चैकिंग की व्यवस्था है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शराब पीकर चलाना खुद जुर्म है। शराब पीकर अगर ड्राइव करते हैं तो पकड़े जाते हैं, उनको सजाएं दी जाती हैं।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाडा) : क्या इस रोड पर चलने के लिये रोड लिमिट फिक्स्ड है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी स्पीड होनी चाहिये जिससे डैन्जर नहीं हो।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : क्या यह सही है कि ड्राइवर लोग शराब पीकर ड्राइव करते हैं और उनकी वजह से रात में दुर्घटनाएं होती हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कभी कभी शराब पीकर चलाते हैं। चैकिंग भी होता है। पुलिस और मजिस्ट्रेट मिल कर चैकिंग करते हैं और उनको सजाएं भी दी जाती हैं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : जो आपने तीन वर्षों में हुई दुर्घटनाओं के फिगर्स दिये हैं तो उस अर्से में रात्रि के समय में पुलिस द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा कितनी दफा चैकिंग किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो मैं नहीं कह सकता कि रात में कितनी बार चैकिंग और दिन में कितनी बार चैकिंग किया। लेकिन जो चैकिंग किया गया उनके फिगर्स इस प्रकार हैं :—

सन् ६२ में २२६ दफा
६३ में ९५ दफा और
६४ में १४६ दफा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या जितनी दुर्घटनाएं हुईं उनमें ड्राइवर शराब पीकर चला रहे थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दुर्घटनाओं के क्या क्या कारण थे, यह तो मेरे पास नहीं है।

श्री मोहनराज (बाली) : मंत्री महोदय बतावें कि शराब पीकर ड्राइव करने से कितनी दुर्घटनाएं हुईं और रेश ड्राइव से कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह फैक्ट्स तो मेरे पास नहीं हैं कि शराब पीकर ड्राइव करने से कितनी दुर्घटनाएं हुईं और रेश ड्राइविंग या नेग्लिजेन्ट ड्राइविंग से कितनी बार दुर्घटनाएं हुई हैं। यह मैं बता सकता हूं कि दुर्घटनाओं में कितने मर गए या घायल हुए ? उनके वाकयात मेरे पास नहीं हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : आपने यह बताया है कि चैकिंग हुआ है, तो पुलिस ने या मजिस्ट्रेट ने ड्राइवर्स को शराब पिये हुए पाया क्या ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : पाया होगा। फेक्ट्स तो मेरे पास नहीं हैं। चैकिंग के दौरान पाया होगा।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या यह सही है कि यहां पर स्पीड लिमिट नहीं होने से दूसरे हाई वेज की बजाय यहां पर ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इस रोड पर कितनी दुर्घटनाएं हुई यह मैंने आपको बता दिया है।

श्री जोधसिंह चौहान : कम्पेरेटिवली दूसरों के मुकाबले में बताइए।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कम्पेरेटिवली आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जो शराब पीकर ड्राइव करने वाले लोग हैं उनको लाइसेन्स देने से पहले ही पाबन्द नहीं किया जा सकता क्या कि वे शराब पीकर ड्राइव नहीं कर सकते ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह तो ड्राइविंग का साधारण सा सिद्धांत है कि ड्राइवर अपने पूर्ण होशो-हवास में ड्राइव करेंगे। अब इसमें पाबन्दी लगाने का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : एक्सीडेन्ट के क्या कारण हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वे मैंने उल्लेख कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या क्या कदम उठा रही है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह मैंने अपने उत्तर के दूसरे भाग में बता दिये हैं।

श्री मोहनराज : जब सरकार को यह आभास हो गया है कि दुर्घटनाएं शराब पीकर ड्राइव करने से होती हैं तो इस रोड पर जो शराब की दूकानें हैं सरकार उनको बन्द करने के आदेश क्यों नहीं दे देती ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ऐसा नहीं हो सकता।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : क्या इस रोड पर शराब की दूकानें हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मुझे मालूम नहीं है, मैं वहां नहीं गया हूं। यह तो कौल साहब ही बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

तहसील फलोदी में अभावग्रस्त क्षेत्रों में ज्वार का आवंटन

२०४. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सच है कि फलोदी में अकाल अभावग्रस्त क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के मार्फत अमरीकी ज्वार पशुओं के खाने के लिये बांटी गई थी ? अगर हां, तो इस आवंटन के क्या क्या आधार थे ?

(२) क्या निर्धारित आधारों के अनुसार सब पंचायतों में ज्वार बांट दी गई ?

(३) क्या इस बंटवारे के बारे में जनता की ओर से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? अगर हां, तो उन शिकायतों के बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

Page No 4

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(४) क्या यह सच है कि किन्हीं किन्हीं ग्राम पंचायतों में पिछले सालों की मालशुमारी गलत दर्ज होने से या बिल्कुल दर्ज न होने से बहुत से काश्तकारों को अपनी मवेशियों के लिये ज्वार अभावग्रस्त क्षेत्रों में नहीं मिल सकी ? अगर हां, तो सरकार की गलती के कारण लोगों को इस सुविधा से क्यों वंचित रखा गया ?

(५) क्या सरकार ज्वार आवंटन के सिलसिले में जहां जहां मालशुमारी गलत हुई पाई गई, उनसे सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(६) क्या उपरोक्त आवंटन के बारे में सरकार द्वारा चैकिंग की भी कोई व्यवस्था थी ? अगर हां, तो क्या उन चैकिंग में कोई अनियमितता पाई गई ? अगर हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब नहीं आ पाया है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: करीब डेढ साल पहले यह सवाल दिया था । यह तो काफी पुराना प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें काफी जानकारी करनी पडेगी कि कितने इन्द्राज सही हैं और कितने गलत हैं । अभी पूरा जवाब नहीं आया है इसलिये अगर अभी जवाब दिया जाए तो वह अधूरा रहेगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अब कब जवाब देंगे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अगली बार पर ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र ।

गंगा टाकीज के पीछे की बस्ती के नव-निर्माण की योजना

२०५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी-बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गंगा टाकीज के पीछे की बस्ती के नव-निर्माण की योजना नगर सुधार प्रन्यास द्वारा बनाई गई थी ? यदि हां, तो उस योजना के अन्तर्गत अब तक क्या क्या कार्यवाही हुई है ?

(२) इस योजना को कार्यान्वित करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

(३) क्या सरकार इस बस्ती को स्लम क्लीयरेन्स स्कीम के अन्तर्गत लेकर शीघ्रातिशीघ्र यहां का सुधार करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री परसराम मदेरणा): (१) जी हां । सन् १९६१ में अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट की धारा ३२ तथा ३३ के अन्तर्गत योजना का प्रकाशन किया गया । नगर न्यास ने इस पर पुनः विचार करके योजना को कार्यान्वित करने का विचार स्लम क्लियरेन्स तथा भारी आबादीकरण एवं पुनर्वास तथा ड्रेनेज की समस्याओं के कारण त्याग दिया ।

(श्री परसराम मदेरणा)

(२) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि योजना त्याग दी गई है ।

(३) इस सम्बन्ध में प्रस्ताव आने पर विचार किया जा सकता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस योजना को त्यागने के क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने उत्तर में निवेदन किया कि यह लो लाइंग एरिया है। इसको ड्रेन्ड नहीं किया जा सकता। दूसरे इसमें ज्यादा खर्चा था कि वह ट्रस्ट की आर्थिक और साधारण क्षमता से परे था और इसका अत्यधिक पोर्शन जलमग्न हो जाता है। इसलिये यह नॉन-प्रेक्टिकेबिल स्कीम थी इसलिए छोड दी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लो-लाइंग एरिया होने के कारण बाढ का पानी वहां भर जाता है। इसलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि इस बस्ती की स्कीम की योजना बनाई जाय।

श्री परसराम मदेरणा : कन्ट्रोल कमेटी ने भी यह सुझाव दिया है कि गंगा टाकोज के पीछे जो कच्ची बस्तियां हैं वे लो-लाइंग एरिया में हैं। दूसरा इस भूमि को समतल करना संभव नहीं है, ऐसी राय बनाई है। जब टेक्निकल पर्सन्स और चीफ इंजिनीयर, बी. एण्ड आर. की ऐसी राय है तो मैं नहीं समझता कि ट्रस्ट ऐसी स्कीम हाथ में ले सकता है जिस स्कीम के बारे में खर्चा ज्यादा है। और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि म्युनिसिपैलिटीज के मार्फत स्लम क्लीयरेन्स का कोई प्रोग्राम आयेगा तो राज्य सरकार जरूर विचार करेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि चीफ इंजिनीयर पी. डब्ल्यू. डी. की राय के पहले ही ट्रस्ट ने इस स्कीम को ड्रॉप कर दिया था या बाद में ?

श्री परसराम मदेरणा : पहले ही कर दिया था। लो-लाइंग एरिया है। नीचे की जमीन है और नीचे की जमीन में जाकर बस गये हैं और खास तौर से रेनी सीजन में बहुत दिक्कत आती है। ट्रस्ट ने भी यही कहा। ट्रस्ट के पास भी तो टैक्निकल पर्सन्स हैं। उनकी भी यही राय थी कि यह लो लाइंग एरिया है और इसमें स्कीम संभव नहीं हो सकती है। काफी खर्चा करने के बाद मास्टर प्लान में ड्रेनेज वगैरह जब तक नहीं बन जाती है तब तक इस स्कीम को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो राय चीफ इंजिनीयर, पी. डब्ल्यू. डी. ने दी थी वह इस संबंध में नहीं थी ? वह तो इस एरिया को एक्वायर किया जाय या नहीं किया जाय, तो वह एक्वायर करने के बारे में राय थी ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर इस संबंध में चीफ इंजिनीयर की राय को जोडने से क्या लाभ ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने निवेदन किया कि ट्रस्ट के पास में जो एग्जीक्यूटिव इंजिनीयर है उनकी भी ऐसी राय है और चीफ इंजिनीयर की भी ओपिनियन है कि वह लो लाइंग एरिया है और ट्रस्ट के लिये यह स्कीम किसी भी सूरत में प्रोफिटेबल नहीं है। इसमें जो खर्चा होगा वह ट्रस्ट

Page No 6

(श्री परसराम मदेरणा)
की आर्थिक क्षमता के बाहर था और उसके परे था, तो इस स्कीम को क्रियान्वित करने का उसने हौसला नहीं किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि स्कीम को बनाने के बाद ट्रस्ट ने इस बस्ती का सर्वे कराया था और सर्वे कराने के बाद एक्वायर किया मकानों को रोड निकालने की दृष्टि से, और बाद में इस स्कीम में प्लॉट्स काटे गये और योजना बना ली गई; उसके बाद इस स्कीम को ड्रॉप किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : योजना बनी तभी तो प्रकाशित की गई थी। इस स्कीम की इस तरह की योजना नहीं होती और प्लॉट्स की बात उनके ध्यान में नहीं होती और रोड्स नहीं होती तो योजना किस बात की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा सवाल ऐसा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : इसके बारे में ऑब्जेक्शन इन्वाइट किये गये थे और उन पर निर्णय किया गया था। लेकिन उसके बाद ट्रस्ट ने इस स्कीम को गवर्नमेंन्ट को सब्मिट नहीं किया और छोड दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि योजना बनाने के बाद वह प्रकाशित हुई, उस पर आपत्तियां मांगी गईं और आपत्तियों का निर्णय करने के बाद ट्रस्ट ने सर्वे कराकर रोड निकालने के लिये रोड निकालने की कार्यवाही प्रारंभ की और कुछ मकानों को एक्वायर किया उस दृष्टि से ?

श्री परसराम मदेरणा : एक्वायर किया इसकी तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। इसकी मैं जानकारी करके ही माननीय सदस्य को इत्तला दे सकता हूं, लेकिन यह सही है कि यह स्कीम बनी है और स्कीम बनाने की जितनी भी मुनासिब कार्यवाही और उचित कार्यवाही करनी चाहिए थी वह ट्रस्ट ने की और उसके बाद उसको छोड दिया, क्योंकि यह स्कीम बहुत ज्यादा खर्चीली थी और ट्रस्ट के साधन सीमित थे इसलिए इस स्कीम को हाथ में नहीं ले सका।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खर्चे का अनुमान लगाया है क्या ? अगर उस लोकेलिटी के लोग कीमत देने को तैयार हो जायं तो ट्रस्ट को इस स्कीम को इम्प्लीमेन्ट करने में क्या आपत्ति हो सकती है ? पिछली बार जब बाढ जयपुर शहर में सबसे ज्यादा आई थी और सबसे ज्यादा खराब हालत यदि किसी बस्ती की हुई थी तो वह गंगा टाकीज के पीछे की बस्ती की हुई थी कि जहां सारे के सारे घरों में पानी भर गया था और जिसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पांच हजार की सहायता दी थी। इस स्कीम को छोडने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो कि जेल के पीछे का एरिया है वही लो-लाइंग एरिया है। गंगा टाकीज के पीछे की सारी की सारी बस्ती लो-लाइंग एरिया नहीं है। मोतीडूंगरी के पैरेलल और लेवल पर सारी की सारी जमीन हैं। तो सारी बस्ती की जमीन लो लाइंग एरिया नहीं है। और, मैं समझता हूं कि आज जयपुर शहर के पास कोई अविकसित बस्ती है तो गंगा टॉकीज के पीछे की बस्ती है जिसकी योजना ट्रस्ट ने बनाई; सर्वे कराकर जमीन एक्वायर की गई। रोड निकालने के लिए कार्यवाही हो गई, प्लॉट्स कट गये, और सिर्फ इस आधार पर कि जयपुर शहर के पास होने की वजह से कई बडे लोगों की आंखें इस पर लगी हुई हैं; बडे बडे लोग यह

Page No 7

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहते हैं कि यह जमीन ले लें, चूंकि मैंने कहा था कि इसी इलाके के लोगों को जमीन मिलेगी दूसरे किसी आदमी को जमीन नहीं मिल सकती, तो इस स्कीम को ड्रॉप कर दिया गया।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि १९६१ के अन्दर इस स्कीम को प्रकाशित किया गया था। उसके बाद ट्रस्ट ने इस स्कीम को छोड़ दिया तो दुबारा राज्य सरकार ने लिखा ट्रस्ट को। जैसा कि माननीय सदस्य और अध्यक्ष जानते हैं कि ट्रस्ट एक ऑटोनॉमस बोडी है लेकिन स्कीम बनाने के लिए हम उसको केवल डाइरेक्शन्स ही दे सकते हैं। तो फिर स्कीम बनी ६३ में। स्कीम बनाकर उन्होंने कहा कि यह स्कीम फीज़ीबिल नहीं है और ट्रस्ट की आर्थिक क्षमता से परे है और इस स्कीम में बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है इसलिए इस स्कीम को नहीं ले सकते। बहुत ज्यादा हिस्सा इसका जलमग्न हो जाता है और यह ट्रस्ट की आर्थिक क्षमता के बाहर है। और ट्रस्ट, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ एरिया लो-लाइंग है और कुछ ऊपर है, तो स्कीम जो बनायेगा तो किनारे किनारे की नहीं बनायेगा। वह तो पूरे एरिया के लिए बनती है। माननीय सदस्य अगर इस पर इनसिस्ट करते हैं तो मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट के पास में अर्बन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट की धारा २९ के अन्तर्गत पॉवर्स हैं कि वे ट्रस्ट को डाइरेक्शन दें, तो फिर सरकार डाइरेक्शन देगी कि अगर यह स्कीम फीज़ीबिल है तो ट्रस्ट स्कीम बनाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, इस एरिया में ज्यादातर शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं इसलिए इस स्कीम को राजस्थान सरकार ने जारी रखना पसन्द नहीं किया। आप जन-गणना करा लें। उनकी तरफ कोई ख्याल नहीं किया जाता है। माननीय उप-मंत्री जी ने जो यह कहा कि वहां की जमीन समतल नहीं है और बहुत ज्यादा खर्चा आयेगा वह गलत है और जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है वह सही है? मैं अर्ज करूंगा कि जल्दी ही इनके साथ समानता का व्यवहार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर वाटर वर्क्स के रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन व ग्रेच्युटी के मामले

२०६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६० से वाटर वर्क्स बीकानेर के कितने कर्मचारी रिटायर हुए हैं और क्या उनकी पेंशन व ग्रेच्युटी की रकम का भुगतान कर दिया गया है?

(२) इस समय ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं और किन कारणों से?

(३) ये मामले कब तक निर्णीत कर दिये जावेंगे और भविष्य में ऐसे मामलों में शीघ्र निर्णय करने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) सन् १९६० से लेकर अगस्त, १९६५ तक ३५ कर्मचारी रिटायर हुए हैं। इनमें

(श्री हरिदेव जोशी जनस्वास्थ्य मंत्री)
से २२ कर्मचारियों को पेन्शन व ग्रेच्यूटी की रकम का भुगतान हो चुका है। १९६४ व १९६५ में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भुगतान होना शेष है।

(२) ऐसे १३ कर्मचारियों के पेन्शन के मामले विचारधीन हैं। इनमें अधिकांश मामले ऐसे हैं, जिनमें या तो उन्हें अवधि के बाद रिटायर किया गया या ज्यादा उम्र होते हुए भी सेवा में रख लिया गया अतः उनके मामलों में देरी लगी है।

(३) जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है, ये मामले एक माह की अवधि में विभागीय स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों को ऑफिसर-इन-चार्ज बना दिया गया है और देरी के लिये वे जिम्मेदार ठहराये जावेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : २२ मामले जो तय हुए वे कब तय हुए ?

श्री हरिदेव जोशी : वे अभी मेरे पास नहीं हैं, लेकिन तय हो चुके हैं और फाइनल भुगतान हो चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरे माह में सब हो जायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

हसनपुरा कच्ची बस्ती के निवासियों को रिहायशी प्लॉट

२०७. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में हसनपुरा की कच्ची बस्ती को नगर विकास मण्डल (अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट) जयपुर के आधीन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि नगर विकास मण्डल, जयपुर ने इस बस्ती में बसावट की एक नई योजना बना कर राज्य सरकार के पास भेजी थी और राज्य सरकार ने उस योजना को नामंजूर कर दिया ?

(३) यदि हां, तो इस योजना को नामंजूर करने के क्या कारण थे ?

(४) क्या नगर विकास मण्डल, जयपुर इस हसनपुरा की कच्ची बस्ती के बारे में कोई नई योजना तैयार कर रहा है ?

(५) क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि इस बस्ती की किसी भी नई योजना में इस कच्ची बस्ती के निवासियों को रिहायश के लिये इसी बस्ती में प्लॉट दिये जायेंगे ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) स्कीम में औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से संशोधन किया गया।

(४) जी हां, विचाराधीन है।

(५) मास्टर प्लान बन जाने पर ही कहा जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जयपुर शहर में और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हुई है तो उसको इन्डस्ट्रियल पर्पजेज के लिये क्यों नहीं सुरक्षित रखा गया और यह बस्ती जो

Page No 9

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
बसी हुई है जिसमें से लोगों को उजाडना पडेगा, इसको इन्डस्ट्रीज के लिये विशेष तौर से सुरक्षित रखा गया, इसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : वहां पर ऑलरेडी इन्डस्ट्रीज हैं । कंटिग्युअस एरिया को इन्डस्ट्रियल एरिया करना ज्यादा अच्छा होगा, इसलिये इसको कंटिगुअस इन्डस्ट्रियल एरिया निर्धारित किया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ऐसे बहुत से एरियाज हैं, जहां पर ऑलरेडी इन्डस्ट्रीज हैं उनको क्यों नहीं इन्डस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर देते ?

श्री परसराम मदेरणा : इन्डस्ट्रियल एरियाज कौन कौनसी जगह पर हों यह मास्टर प्लान में अलग अलग ईयर मार्क किया है, एक ही जगह ईयर मार्क नहीं होगा, बहुतसी जगह होगा । इस जगह ऑलरेडी इन्डस्ट्रीज हैं और इन्डस्ट्रियल एरिया के एक्सटेन्शन का सवाल था इसलिये हमने उनको मोडिफाइ करने के लिये लिखा है—to this extent.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस बस्ती के पास कंटिग्युअस एरिया और भी है जहां पर आबादी नहीं है और आबादी को बेदखल किये बिना ही उनको भूमि दी जा सकती है ?

श्री परसराम मदेरणा : जमीन दे दी गई है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसी और भूमि पडी है जो स्टेट की है और उस पर से किसी को बेदखल नहीं करना पडेगा; क्या आप ऐसी जमीन नहीं दे सकते ? बस्ती को उजाडना क्यों चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : बस्ती वाली जमीन उनको दी नहीं है । शंकरलाल की जमीन एक्वायर की थी वह जमीन १०बीघा के आस-पास है वह दी है । बस्तीवाली जमीन के लिये यह लिखा है कि स्कीम बनाकर पेश करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले बस्ती को बाकायदा बनाने के लिये स्कीम बनी फिर उसको नामंजूर इसलिये किया जैसा कि आप कहते हैं इन्डस्ट्रीज के लिये रिजर्व करना चाहते हैं । यदि इन्डस्ट्रीज के लिये रिजर्व करना चाहते हैं तो उसके पास कंटिग्युअस बहुतसी जमीन है जो किसी दूसरे की नहीं है सरकार की है और सरकार दे सकती है । ऐसी स्थिति में आपने वहां पर डेवलपमेन्ट करना क्यों कैंसिल किया और बस्तीवालों को क्यों नहीं आश्वासन देते कि लोगों को वहां पर बसाया जायगा और जो बसे हुए हैं उनको प्रायोरिटी दी जायगी, उनको प्लॉट दिये जायेंगे । आपके द्वारा इस प्रकार की घोषणा नहीं करने से और कैंसिल करने से उनकी पोजीशन पिक्युलियर और अन्सर्टेन हो गई है ।

श्री परसराम मदेरणा : योजना कैंसिल नहीं हुई है । इस योजना का कुछ भाग इन्डस्ट्री को ऑलरेडी दे दिया है और जो भाग दे दिया है उस पर लोग नहीं बसे हैं । बाकी भाग का कुछ पोर्शन सरकार ने इन्डस्ट्री के लिये दिया है इसलिये रिवाइज्ड स्कीम पुट-अप करने के लिये ट्रस्ट को लिखा है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि इस आबादी की स्कीम में से इन्डस्ट्री के लिये कोई भूमि नहीं दी जा रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं डेफिनिटली नहीं कह सकता ।

Page No 10

श्री सतीशचन्द अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सवाल भी यही था ।

श्री परसराम मदेरणा : डेफिनिटली इसलिये नहीं कह सकता कि १० एकड इसके पास की भूमि दी है उसमें से ज्यादा तो ऐसी है जिसमें बस्ती नहीं है और एक्वायर की गई है और बाकी भूमि कौनसी है, यह मैं डेफिनिट नहीं कह सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न पहले कई बार आ चुका है कि बस्ती के लोगों में असंतोष है, प्लॉट्स बन गये और आपने उनको कैंसिल कर दिया; आपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में हां कहा है, क्या आप डेफिनिटली कह सकते हैं कि जो लोग बसे हुए हैं उनकी भूमि इन्डस्ट्रीज को नहीं देंगे ? हम चाहते हैं कि इन्डस्ट्री डेवलप हो लेकिन इसके आगे बहुत सी जमीन पडी है जिसको इस काम के लिये दे सकते हैं । इस बस्ती की जमीन पर रेजिडेन्शियल प्लॉट्स बनाये जायेंगे और वहां के लोगों को बसाया जायगा, यह घोषणा आप करें । यह प्रश्न बार बार सदन में आया है और अब तक अनिश्चित रहा है ।

श्री परसराम मदेरणा : पहले प्रश्न आया था इन्डस्ट्रीज के लिये जमीन क्यों दी गई है इसके संबंध में और आज कच्ची बस्ती के लिये सवाल है । जो जमीन एलॉट की गई है उस पर कच्ची बस्ती है या नहीं, मैं डेफिनिटली नहीं कह सकता इसलिये इस प्रश्न को दूसरी डेट पर रख दिया जाय । मैं मौके पर देख कर जवाब दूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्थगित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : Yes next. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

मंडोर की देवताओं की गेलेरी में चित्र उतारने की अनुमति

२०८. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दिनांक १०-३-६५ को सदन में जो vogue अमेरिकन मेगजीन श्री मानसिंह महार द्वारा प्रस्तुत की गई थी और जिसमें जोधपुर के मंडोर की देवताओं की गेलेरी में देवताओं के साथ स्त्रियों के अशोभनीय चित्र छपे हुए थे, क्या उसके सम्बन्ध में सरकार ने इसकी जांच की है कि किसने ऐसे चित्र उतारे तथा किसकी अनुमति से ?

(२) क्या यह भी सही है कि वहां के चित्र लेना निषिद्ध है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) वोग नामक पत्रिका में कुछ चित्र छपे हैं कि जिनमें से कुछ जोधपुर (मन्डोर) के देवताओं के गेलेरी के भी थे । ये चित्र श्री हेनरी क्लार्क द्वारा खींचे जाना 'वोग' मेगजीन से प्रतीत होता है । जिसके लिये किसी की भी अनुमति नहीं ली थी ।

(२) जी नहीं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इस नेशनल हीरोज गेलेरी के फोटो लेना निषिद्ध है, फिर ये फोटोज कैसे खींची गई ? यह प्रश्न मैंने पूछा है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फोटो खींची गई यह सही है और जो पोजेज प्रकाशित हुए

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हैं, वे भी काबिल ऐतराज हैं, लेकिन बिना अनुमति के खींची गई, अनुमति नहीं ली गई।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मेरा प्रश्न यह है कि नेशनल हीरोज गैलेरी आर्चियोलोजिकल विभाग के नीचे है या टूरिस्ट विभाग के नीचे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आर्चियोलोजिकल विभाग के नीचे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या वहां पर चौकीदार नहीं रहता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चौकीदार रहता है, दूसरा स्टाफ भी रहता है, लेकिन उनके सुपरवीजन के अभाव में ये जिस तरह खींची गई हैं वह अच्छी बात नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जब कि इस गैलेरी में जूते पहन कर भी नहीं जाने दिया जाता है तो चौकीदार ने उनको कैसे इजाजत दी ? इसकी जांच की जाय, यह प्रश्न माननीय सदस्य ने रखा था। चौकीदार का जवाब तलब किया गया या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पर्मीशन ली नहीं गई। कब और किस तरह खींचा इसका पता नहीं लगा। लेकिन खींचा, यह स्पष्ट बात है बिना इजाजत के खींचा, यह भी स्पष्ट है, पोजेज जो सामने आये हैं वे भी ऑब्जेक्शनेबल् हैं, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : चौकीदार को पूछा गया या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस संबंध में और जानकारी करली जायगी, लेकिन इजाजत नहीं ली गई। ६-७ रोज तक वह पार्टी वहां पर रही। किस समय खींची इसका पता नहीं लगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या मंडोर में इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि भविष्य में जो भी टूरिस्ट और दर्शक गार्डन में जावें उनके कैमेराज बाहर रखा दिये जायेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटें इसका प्रयत्न किया गया है और किया जा रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न यह है कि यदि आप कैमरा अलाउ करते हैं तो इस तरह की घटना फिर हो सकती है। चौकीदार रहता है, कैमेराज बाहर रखने के आदेश जारी कर दिये हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे आदेश जारी नहीं किये हैं।

श्री अध्यक्ष : केवल कैमेराज बाहर रखवाने का प्रश्न नहीं है। कुछ लोगों ने मूर्तियों पर चढ कर फोटो खींचे हैं। माननीय मंत्रीजी, यह गंभीर बात है। लोगों की भावना का प्रश्न है। किस मूर्ति के ऊपर चढ कर खींचा है, किसका बाहर से खींचा है, इसको गंभीरता से देखा जाय। ५-६ दिन वे यहां रहे हैं सरकार की तरफ से कोई उनके साथ था या नहीं, इस सब की जांच करके वापिस उत्तर दें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: इस प्रश्न को स्थगित समझा जाय।

बूंदी के गोठडे में बांध का निर्माण और किसानों को मुआवजा

२०९. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सत्य है कि बूंदी के गोठडे के यहां एक बांध का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो कब और अनुमानित लागत इस बांध की क्या थी और वास्तव में कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस बांध से कई काश्तकारों की भूमि डूब में आई थी ? यदि हां, तो क्या सब ऐसे काश्तकारों को मुआवजा दे दिया गया ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि कुछ कुए मकान व मन्दिर भी डूब में आए हैं ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, इस बांध का निर्माण सन् १९५५ में प्रारम्भ हुआ था तथा कार्य समाप्त हो चुका है । इसकी अनुमानित लागत ९ लाख ६८ हजार रुपया थी तथा इस पर लगभग २१ लाख रुपया खर्च हो चुका है ।

(२) जी हां, बांध के निर्माण में जिन काश्तकारों की भूमि डूब में आई उनको मुआवजा चुका दिया गया है ।

(३) जी हां ।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि अभी आपने कहा है कि आपने मुआवजा चुका दिया है, लेकिन गुढा बांध में जो जमीन आई है उसका मुआवजा चुकाना बाकी है और उसकी तारीख चल रही है ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने सुना नहीं ।

श्री दिग्विजयसिंह : गुढा बांध में जो जमीन आई है उसका मुआवजा चुकाना अभी बाकी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : उसका सवाल नहीं है ।

श्री दिग्विजयसिंह : बूंदी के गोठडे के बांध में जो जमीन आई है उसका ?

श्री दिनेशराय डांगी : बांध में जो जमीन आई है उसका मुआवजा चुका दिया गया है, कुछ नहर की कमाण्ड के अन्दर जमीन आई है उसका मुआवजा चुकाने का सवाल है ।

श्री दिग्विजयसिंह : कितनी जमीन का कितना मुआवजा चुकाना बाकी है ? यह सन् १९५५ का सवाल है ।

श्री दिनेशराय डांगी :आपने प्रश्न पूछा है, कई काश्तकारों की भूमि डूब में आई थी, उसका मुआवजा दे दिया गया ।

श्री दिग्विजयसिंह : इसमें सवाल ऐसा है कि जिन काश्तकारों की जमीन आई उनका मुआवजा चुकाना बाकी है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या यह सही है कि एवार्ड में १ लाख ७२ हजार का मुआवजा देना तय किया था ? क्या उसके अन्दर से १ लाख ३० हजार का मुआवजा दिया गया है और बाकी का एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने अपने निजी कारणों से रोक रखा है ? अब क्यों रोक रखा है, यह आप जानें ।

श्री दिनेशराय डांगी : नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है । जो जमीन डूब में आई है उसका मुआवजा चुका दिया गया है । नहर में जो

(श्री दिनेशराय डांगी)
जमीन आई उसका कुछ मुआवजा चुकाना बाकी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जो जमीन डूब में आई थी उसके लिए एवार्ड में १ लाख ७२ हजार का मुआवजा कायम हुआ था लेकिन उसमें से १ लाख ३० हजार चुका है और ४० हजार एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने खिलाफ कायदा, मनमाने ढंग से रोक रखा है। उनके कुछ स्वार्थ हैं, आप इसकी जांच कर लीजिये।

श्री दिनेशराय डांगी : मैं इसकी जानकारी करा लूंगा। जिनका मुआवजा नहीं दिया गया है उनको दे दिया जायगा।

श्री दिग्विजयसिंह : जब नम्बर ३ पर आपने कहा है- "जी हां, तो फिर मुआवजा चुका क्यों नहीं दिया गया है?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम घारू।

जोधपुर व जयपुर नगरपालिकाओं की सार्वजनिक टट्टियों पर सफाई हेतु पुरुष जमादार

२१०. **श्री हरिराम घारू** (सिवाना-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर व जयपुर नगरपालिकाओं की सार्वजनिक जनानी टट्टियों की सफाई आदि के लिये साधारणतया पुरुष जमादार नियुक्त किये हुए हैं?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार नगरपालिकाओं को इस प्रकार के निर्देश देने के प्रश्न पर विचार करेगी कि उपरोक्त जनानी टट्टियों पर महिला जमादार ही नियुक्त किये जायें?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

श्री हरिराम घारू : मैं निवेदन करूं कि जनानी टट्टियों की जो सफाई करती हैं महतरानियां, उनके काम को सुपरवाइज करने के लिए आदमी होते हैं, इसलिए यह शिकायत है कि आदमी नहीं होने चाहिए और जनानी टट्टियों पर जनानी, महिला सुपरवाइजर हो और उसकी जिम्मेदारी हो।

श्री दौलतराम सारण : आपकी भावनायें हैं उनके अनुसार नगरपालिकाओं को सूचित कर दिया जायगा।

श्री रावतराम (सादुलपुर) : इस सम्बन्ध में आप दो-तीन साल से ध्यान दिला रहे हैं, इतनी बडी शिकायत है इस पर आप ध्यान क्यों नहीं देते?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) भावनाओं का प्रश्न नहीं है, वस्तु-स्थिति का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सडकों का निर्माण

२११. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि वर्ष १९६३-६४ में सोजत व जैतारण सब-डिवीजन में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कई गांवों में सडकों का निर्माण किया गया? यदि हां, तो क्या इस कारण लैण्ड रेकॉर्ड रूल्स के अनुसार

(श्री तेजाराम गहलोत)
जमीन के नक्शों में व खसरों में परिवर्तन करना आवश्यक है ?

(२) यदि आवश्यक है तो किन किन गांवों में उक्त परिवर्तन किये गये हैं व किन किन गांवों में नहीं ?

(३) क्या जिन खसरों की भूमि में सडकें बनी हैं उसका लगान उनके खातेदारों की मांग में से कम किया जायेगा ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) सूची संलग्न है।

(३) जिन खसरों की भूमि में सडकें बनी हैं उसका लगान उनके खातेदारी की मांग से कम किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत : आपने सूची दी है, उसके अनुसार तहसील सोजत, खारची और रायपुर के अन्दर लैण्ड रिकॉर्ड्स की पूर्ति दो वर्ष के अन्दर नहीं होने के कारण क्या हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १९६३-६४ में सडक बनी थीं और १९६४ के बाद से ही दुरुस्ती का कार्य प्रारम्भ किया गया और यह बात सही है कि इसमें आई तहसील के जो गांव बताये हैं उसके अन्दर अभी यह काम पूरा नहीं हुआ है और इसे जल्दी पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के अनुसार सूची लैण्ड रिकार्ड के अन्दर पटवारी के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा दुरुस्त कर देनी चाहिए, वह आज तक नहीं की गई है ? उसके बारे में क्या विचार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है, प्रिन्सिपल यह है कि जब सडक पी० डब्ल्यू० डी० बनाता है तो उसका यह फर्ज हो जाता है कि वह रेवेन्यू विभाग को बताये, इतनी जमीन इस सडक के अन्दर चली गई है। लेकिन जब अब आदेश निकाल दिया गया है कि पी० डब्ल्यू० डी० के ओवरसियर बतायें और पटवारी का यह फर्ज होना चाहिए कि वह जब गिरदावरी के वक्त जाय तो वह यह नोट करे कि किन खेतों में से होकर सडक गई है या पब्लिक पर्पजेज में जमीन आ गई है, उसको नोट करें और नोट करने के बाद में रेमीशन के पेपर कलेक्टर की स्टेज तक जाते हैं और उसमें देरी लगती है। लेकिन ऐसे पुराने मामलों को निपटाने के लिए जून माह में इन्स्ट्रक्शन इश्यू कर दिये हैं कि ऐसे मामले छः माह के भीतर भीतर निपटा दिये जायं। इसमें यह म्याद तय कर दी है।

श्री तेजाराम गहलोत : मेरा प्रश्न मुआवजे के बारे में नहीं था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुआवजे के बारे में नहीं। मैं जो कह रहा हूं वह मुआवजे के बारे में नहीं कह रहा हूं। हमारे जो इन्स्ट्रक्शन हैं उसमें मुआवजे के साथ साथ आठ-दस पोइन्ट और इन्कारपोरेट किये हैं, उसमें एक पोइन्ट है वह लैण्ड रेवेन्यू के रेमीशन के सम्बन्ध में है।

श्री तेजाराम गहलोत : असलियत यह है कि पटवारी और तहसीलदार लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के अनुसार कार्यवाही नहीं करते हैं और सरकार उनको प्रोटेक्ट करती है, एक-दो साल

(श्री तेजाराम गहलोत)
से रिकॉर्ड में दुरुस्ती नहीं हुई है और काश्तकारों से लगान वसूल किया जा रहा है, वह माफ होना चाहिए ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लगान वसूल किया जा रहा है, ऐसा मत कहिये । आपने पूछा कि लैण्ड रिकार्ड्स में इन्द्राज है, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है । वैसे लगान लेना बन्द कर दिया गया है ।

श्री तेजाराम गहलोत : कोई बन्द नहीं हुआ है । जब लैण्ड की दुरुस्ती नहीं हुई है तो लगान लेना बन्द कैसे हो गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बन्द करने का मतलब है स्थगित करना । जब तक यह फाइनल न हो जाये ।

श्री तेजाराम गहलोत : ऐसा नहीं हुआ है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पी. डब्ल्यू. डी. वाले इत्तला देंगे तब यह बात आती है । जब मौके पर जाते हैं तो पी. डब्ल्यू. डी. वालों ने जमीन पर कब्जा किया है तो पटवारी, तहसीलदार और पी. डब्ल्यू. डी. वाले साथ नहीं होते हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां हां । फेमिन के वक्त इस तरह करते हैं । काफी एरिया का लैण्ड रिकॉर्ड दुरुस्त हो गया है । कुछ गांवों का बाकी है उसको जल्दी करवा देंगे । और जैसा कि आप कहते हैं किसी से सड़क बन जाने के बाद में किसी भूमि का लगान वसूल कर दिया है तो या तो वह लगान उसको रिफण्ड करेंगे या दूसरा लगान जो बाकी है उसमें एडजस्ट कर लेंगे ।

श्री तेजाराम गहलोत : जो सूची आप ने दी है, उसमें कुछ नाम नहीं बताये हैं जिन गांवों में सड़क का काम हुआ है । इसका मतलब है कि तहसीलदार और जिलाधीश वहां गये ही नहीं और उन्हें मालूम नहीं कि कहां कहां काम हुआ है । एक तहसील में झाझावत, धरनी, देवली, राडावास, घुंघवा–इन गांवों के नाम सूची में नहीं रहे हैं । आखिर सूची क्या दी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप स्पॉट पर जाते हैं । मैं नहीं कह सकता । मैंने जिन जिन गांवों में लैण्ड रिकार्ड्स कम्पलीट नहीं हुआ—उसकी सूची दी है । तो जिनके नाम इस लिस्ट में हैं वहां लैण्ड रिकार्ड में दुरुस्ती नहीं हुई है । इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बाकी के गांवों में दुरुस्ती हो चुकी है, जिनका इसमें उल्लेख नहीं हुआ है ।

श्री तेजाराम गहलोत : जिनकी दुरुस्ती हुई है, उनकी सूची दी है । लेकिन जेतारण की सूची में गांव नहीं हैं, जहां इन्कम्पलीट हैं, उनके नाम नहीं हैं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसका मतलब यह है कि काम शुरू नहीं किया गया है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सड़क जाती है वह लम्बी-चौड़ी होती है, जिस गांव से जिस गांव तक जाती है, उसके फर्स्ट विलेज का नाम दे दिया हो और लास्ट का नाम नहीं दिया हो — ऐसा हो सकता है । लेकिन जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनसार जवाब दे दिया है ।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि जिन अधिकारियों की

(श्री तेजाराम गहलोत)
गलती से आदेश की तामील नहीं हुई हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठावें।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : Such instruction are already there.

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम।

आगरा रोड़ पर निवास गृहों के लिये भू-खण्डों का एलॉटमेन्ट

२१२. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर शहर में जयपुर-आगरा रोड पर निवास गृहों के लिये भूखण्डों के एलॉटमेन्ट की योजना के अन्तर्गत कितने भूखण्डों का एलॉटमेन्ट किया गया है ?

(२) इस योजना के अन्तर्गत भूखण्ड चाहने वालों के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उनमें कितने प्रार्थना-पत्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के थे ?

(३) क्या सरकार इस योजना में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के लिये भू-खण्ड रिजर्व रखने का विचार रखती है ?

(४) एलॉटमेन्ट करने के क्या नियम हैं तथा किस दर से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को एलॉटमेन्ट किया गया है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) योजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है, अतः भूवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

(२) ४६८२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इनमें १८९ अनुसूचित जाति तथा ३५ अनुसूचित जन-जातियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(३) जी नहीं।

(४) नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री सांवलियाराम: ये जो स्कीम आप बनाते हैं उनमें जिन लोगों को आप प्लॉट्स अलॉट करते हैं उनमें अनुसूचित जाति के आदमियों को क्यों नहीं देते ? सरकार की नीति क्या है ? जो लोग वहां पर बसे हुए हैं उनको तो उठा दिया जाता है और कहीं दूर फैंक दिया जाता है और फिर वहां से भी उठा दिया जाता है, तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है आखिर ? मिली-जुली बस्तियों में रहने का उनको मौका देना चाहिए। उनके लिये अलग संस्कार केन्द्र खोल रखे हैं इससे प्रोब्लेम साल्व होने वाला नहीं है। यह जयपुर का बहुत बड़ा प्रोब्लम है, बैकवर्ड लोगों को कोई प्लॉट्स नहीं दिये गये।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो भाषण दे दिया आपने पालिसी के बारे में। आगरा रोड पर अर्जुनलाल सेठी के नाम से स्कीम गवर्नमेंट के विचाराधीन है और उसके लिये जो प्रार्थना-पत्र आए हैं उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के आदमियों के प्रार्थना-पत्र भी हैं। अभी तक एलॉटमेंट हुआ नहीं है। एलॉटमेंट के बारे में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वह यह है कि जिन लोगों की मासिक आय १०० रुपये से कम हैं और जो लो-इन्कम-ग्रुप के पहले स्लैब में आते हैं उनको दो रुपये गज के हिसाब से जमीन दी जाये। जहां तक जमीन देने का प्रश्न है

Page No 17

(श्री परसराम मदेरणा)
शिड्यूल्ड कास्ट वालों के लिये अलग रिजर्व नहीं कर सकते। लो-इनकम-ग्रुप के अन्दर वे भी आ जाते हैं। वैसे कई सवर्ण लोग हैं जिनकी हालत शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों से भी खराब है। इसलिये लो-इनकम-ग्रुप वालों के लिये ही सरकार ने रियायत की है। आउट राइट सेल की जो बात थी उस पर भी पाबंदी लगाई गई है कि सब जगह बेच नहीं सकते, कुछ जगहों पर एलॉटमेंट के जरिये प्लॉट देने होंगे और ५० प्रतिशत प्लॉट्स लो-इनकम-वालों के लिये ईयरमार्क कर दिये जायें।

श्री रावतराम (सादूलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप शिड्यूल्ड कास्ट के लिये प्लॉट्स रिजर्व नहीं करा सकते। हम कहते हैं कि आप रिजर्व नहीं करवा सकते तो न सही, मगर उनको प्लॉट्स की पूरी कीमत लेकर प्लॉट तो दीजिये आप उनसे पूरी कीमत वसूल कर लीजिये। आप लो-इनकम की बात कहते हैं उसमें सभी लोग आ जाते हैं और हम लोगों को प्लॉट्स नहीं मिलते। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्लॉट्स रिजर्व करायें और वाजिब कीमत हो उनसे जमा करा लीजिये; आप ज्यादा रियायतें नहीं करें, तो नहीं सही लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप प्लॉट्स दें तो सही।

श्री सांवलियाराम : मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार की नीति अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को एलॉटमेंट के बारे में क्या है और क्या लो-इनकम में शिड्यूल्ड कास्ट के लोग वास्तव में आते हैं। मैं समझता हूं कि आप अगर इस आपकी सारी पॉलिसी पर ध्यान देंगे तो आपको मालूम होगा। अतः इस आधार पर आप देखें और मैं आशा करूंगा कि आप अपनी पॉलिसी पर ध्यान देंगे।

एक माननीय सदस्य : आप चीफ मिनिस्टर से इस संबंध में जानकारी कर सकते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आप गवर्नमेन्ट की तरफ से जबाव तो आने दीजिये। आप एक के बाद एक खड़े हो जाते हैं और बोलते रहते हैं। गवर्नमेन्ट की तरफ से जबाब तो आने दें।

श्री रावतराम : बैक वर्ड क्लास के लोगों को कोई प्लॉट्स नहीं मिले हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि बैकवर्ड क्लॉस के लोगों को रियायतें मिलनी चाहियें। और शिड्यूल्ड क्लास के लोगों को भी प्लॉट्स मिलने चाहियें। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको आयन्दा के लिये स्कीम में इन लोगों को भी शामिल किया जाए।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इस संबंध में जैसा अभी बता चुके हैं, कि लो पेड लोगों के लिये प्लॉट एलॉट करने की व्यवस्था है उसमें हरिजन और दूसरे लोग भी आ जाते हैं। लो पेड में अलग अलग जातियों को मान कर चला नहीं जा सकता। लो-इन्कम के लोगों के लिये अलग अलग बस्तियों के लिये रिजर्वेशन किया गया है। इस प्रकार का डिसीजन सरकार ने ले लिया है और कई जगह बैकवर्ड क्लास के लोगों को प्लॉट्स दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आपने क्या लो-पेड एम्पलॉइज के लिये इस प्रकार का कोई निर्णय लिया है?

Page No 18

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मने तो जनरल तरीके से कहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने इस निर्णय को कहीं इम्पलीमेन्ट किया है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्रीमती गौरी पूनिया ।

कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण

२१३. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) राज्य में इस समय कुल कितनी कृषि योग्य भूमि बेकार पडी है ?

(२) क्या राज्य सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है कि राज्य में बेकार पडी कृषि योग्य भूमि का तुरन्त सर्वेक्षण करवा कर भूमिहीन किसानों को दे दी जाय ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) राज्य में इस समय कुल १,०३,८७,२४७ एकड कृषि योग्य भूमि है।

(२) हां । भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य ने १० जिलों में सर्वेक्षण व वर्गीकरण करने की योजना बनाई है। उसके अनुसार जो भूमि काबिल काश्त मालूम होगी उसे भूमिहीन को आवंटित कर दी जावेगी।

श्रीमती गौरी पूनिया : यह जो योजना बनाई गई है सर्वेक्षण व वर्गीकरण करने की, यह कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पूरे राजस्थान के लिये इसका ड्यूरेशन दो वर्ष होगा।

श्रीमती गौरी पूनिया : अध्यक्ष महोदय, क्या यह राज्य सरकार को मालूम है कि करोडों एकड भूमि काबिल काश्त पडी हुई है और उसको भूमिहीनों को क्यों नहीं दी जाती है जबकि देश में इस प्रकार की अन्न की भयंकर स्थिति है ? इस प्रकार योजना का पालन क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों को, जो भूमिहीन जमीन देने का प्रश्न है, हम बराबर नियमानुसार उनको जमीन दे रहे है । सर्वे कमेटी के अनुसार काश्त-काबिल भूमि १९६१ में १,२२,५३,३७८ एकड ।

भूमि का आवंटन	६२ में ४,०१,५९४
	६३ में ३,९८,९२५
	६४ में २,८२,७७६
	६५ में ७,८२,८३६
	कुल १८,६६,१३१

बाकी जमीन इसमें रहती है उसमें रेगिस्तान और असिंचित भूमि को मिला देते हैं तो यह अधिक भूमि होगी। जो एलॉट हुई है वह अलग है। इसलिये भूमिहीनों को जमीन देने का प्रश्न है वह अलग है। यह सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण इसलिये करवाया जा रहा है कि सही बात का पता लग जाए कि कितनी भूमि काश्त काबिल है । इसके लिये यह योजना बनाई गई है। २५० एकड या बीघा के ऊपर के कितने ब्लॉक्स हैं। उन सबका एसेसमेन्ट करने के लिये इस तरह की योजना बनाई गई है। जब तक बडे प्लॉट्स नहीं हों, योजना नहीं बन सकती लकिन सर्वेक्षण होने का मतलब यह नहीं है

(श्री रामप्रसाद लड्डा)
कि हम काम को बन्द कर रहे हैं। काम तो तेजी से चला रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): कागजात बंटवाडा में जो जमीन गैर-मुमकिन पर दर्ज है, उस जमीन को आपके एलॉटमेन्ट रूल्स के प्रोविजन्स के तहत किसी को एलॉट नहीं की जाती है। जबकि लाखों बीघा जमीन कृषि योग्य है और लोगों ने उस पर नाजायज कब्जा कर लिया है और उस जमीन पर काश्त भी होती है, तो क्या आपके यहां पर इस प्रकार का कोई प्रोविजन है क्या कि जो जमीन कृषि योग्य कागजात बंटवाडे में दर्ज नहीं है, उनको किसी प्रकार कायदे से एलॉट किया जा सके?

श्री रामप्रसाद लड्डा: माननीय सदस्य ने गैर-मुमकिन लैण्ड के बारे में कहा। मैं सदन में पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि सरकार ने सभी राजस्व अधिकारियों को आदेश दे दिये हैं कि जो जमीन काश्त करने के काबिल हो और काम में आती हो या काश्तकार लेना चाहता है, तो उसकी सोइल क्लासिफिकेशन को चैन्ज करके उस जमीन को उसे दिया जा सकता है। यह नहीं है कि कई लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है तो सरकार ने उसको जायज कब्जा दे दिया है। हजारों किसानों ने नाजायज कब्जा किया, उसे जायज किया गया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी जमीन जो चैन्ज हो चुकी है, आपके सर्क्यूलर से तो यह समस्या हल नहीं होती है। आपको इसके लिये सैटलमेन्ट के बाद में जो चैन्ज हुई है वापिस सर्वे करके चैन्ज करना होगा तभी हो सकता है।

श्री रामप्रसाद लड्डा: मैंने यही तो कहा है कि हमने सभी राजस्व अधिकारियों को अधिकार दे दिये हैं। हमने कलेक्टर को अधिकार दिये हैं। हम यह चाहते हैं कि देरी नहीं लगे इसलिये तहसीलदार स्वयं ही इसको कर ले ताकि लोगों को असुविधा न हो और काम में देरी न हो।

इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आप फिगर्स को देख कर यह अनुमान न लगावें कि बहुत जमीन है। इसमें वह जमीन भी शामिल है जो जैसलमेर में है, गंगानगर में है, बीकानेर और बाड़मेर में है, चूरू में है चूरू में शायद नहीं है राजस्थान कैनाल एरिया की जमीन भी इसमें शामिल है। २२ लाख २१ हजार एकड तो इसमें से निकल जाती है। इसके अलावा कई लाख एकड भूमि दूसरे कामों में आई हुई है, जैसे चरागाह बनाने में। जहां चारागाह नहीं थे, बनाये गये। इसके अलावा और भी जमीन इसमें आई हुई है। मैंने यह फिगर्स दिये हैं वे आपको ६१ के आधार पर दिये हैं। इसके बाद में जो अलॉटमेन्ट हो गया है उसको माइनस करते हुए बताया है।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनराज।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): एक क्वेश्चन और ...

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनराज। प्रश्न अभी बहुत बाकी रह गये हैं।

अकाल सहायता नियमों में संशोधन

२१४. **श्री मोहनराज जैन** (बाली): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार अकाल के समय सहायता प्रदान करने हेतु एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रचलित नियमों (Famine Code) में संशोधन करने का विचार कर रही है ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : जी हां। फेमिन कोड में आवश्यक संशोधन के लिये उच्च अधिकारियों की निर्मित समिति में विचार हो रहा है।

श्री मोहनराज जैन : क्या इसके लिये कोई कमेटी की स्थापना की है जो इस पर आवश्यक संशोधन के लिये विचार कर रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने कहा कि कमेटी कायम की गई है जो इस सब पर विचार कर रही है। प्रिलिमिनरी विचार कर लिया है। डिटेल्स में और विचार करेगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : राज्य सरकार ने इस बात के लिये क्या स्टेप लिये हैं जिससे लोगों को मालूम हो कि इस प्रकार का संशोधन हो रहा है ताकि वे लोग इसमें रुचि रखते हैं वे अपनी राय दे सकें ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): विधान सभा में इस कमेटी का अनाउन्समेन्ट किया था। मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूं। कमेटी के मेम्बर्स ने आपस में काफी चर्चा की है। हमको अकाल क्षेत्र में जाने से, वहां देखने से जो ज्ञान हुआ है, सरकारी अफसरों को भी इस संबंध में काफी अनुभव है, उस सबके आधार पर रिवाइज कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आपके ज्ञान का लाभ हमको कब तक मिल जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारी जल्दी ही लाभ देने की कोशिश है। हिन्दुस्तान में और जगह भी इस प्रकार के कानून हैं, उनको भी मंगाया है। इन सब पर विचार करके हम एक ऐसा फेमिन कोड बनाना चाहते हैं कि कमीशन, रेमिशन की बातें ओटोमेटिकली ऐसी हो जायें जिससे आयन्दा कोई कठिनाई नहीं हो।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: जो लोग इसमें इन्टरेस्ट रखते हैं, उनको, बार एसोसियेशन्स वगैरह को इसकी सूचना जानी चाहिये, जो अपने विचार इस संबंध में कमेटी के सामने रख सकें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभी के विचारों का स्वागत है, जो देना चाहे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य का जो इस दिशा में ज्ञान है, क्या उसका उपयोग करने का विचार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य के ज्ञान का भी उपयोग कर लेंगे।

श्री मोहनराज : क्या सरकार इस संबंध में कोई परिपत्र जारी करना चाहती है जिससे कि जो संस्थाएं इसमें रुचि रखती हैं, वे अपने विचार समिति के सामने रख सकें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : परिपत्र तो नहीं निकाला है पर सब लोगों को मालूम

Page No 21

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
हैं, इस संबंध में जो भी सुझाव आयेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। सदन की यह मंशा है, हम कुछ लोगों को बुला भी लेंगे, उनके सुझावों को लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान।

नगरपालिका क्षेत्रों में साइकिल रिक्शा के नये लाइसेंसों पर रोक

२१५. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य की कौन कौन सी नगरपालिकाओं के क्षेत्र में साइकिल रिक्शा चलती है ?

(२) क्या सरकार ने नये रिक्शा और रिक्शा चालकों के नये लाइसेन्स जारी करने पर रोक लगादी है ? यदि हां, तो रोक लगाने की आज्ञा कब जारी की गई थी और क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि रोक लगाने की आज्ञा जारी किये जाने के बाद भी नगरपालिकाओं द्वारा लाइसेंस जारी किए गए हैं ? यदि हां, तो कितने कितने ?

(४) क्या यह सही है कि सन् १९६३ में हुई ऑल इंडिया लेबर कान्फ्रेन्स में रिक्शा चलाने के कार्य को अमानवीय माना है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) ११२ नगरपालिकाओं से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार निम्न नगरपालिकाओं के क्षेत्र में साइकिल रिक्शा चलती हैं : जयपुर, भरतपुर, धौलपुर ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप तो ओटो-रिक्शा चलाने लग गये।

श्री अध्यक्ष : आप तो मोटर चला रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : हाई स्पीड पर चला दी।

श्री दौलतराम सारण : दुबारा सुन लीजिये।

(१) ११२ नगरपालिकाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्न नगरपालिकाओं के क्षेत्र में साइकिल रिक्शा चलती हैं :

१. जयपुर, २. भरतपुर, ३. धौलपुर, ४. राजगढ (अलवर), ५. केकडी, ६. गंगानगर, ७. पिलानी, ८. टोंक, ९. मादरा, १०. चिडावा, ११. अलवर, १२. बयाना, १३. कोटा, १४. विद्याबिहार, १५. डीग।

(२) जी हां। मंत्रि-मंडल के निर्णयानुसार दिनांक २६-८-६४ व १९-७-६५ को।

(३) नये लाइसेन्स नगरपालिका मादरा, चिडावा, अलवर द्वारा दिये गये हैं।

(४) जी हां।

श्री जोधसिंह चौहान : नये लाइसेन्स रोकने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

Page No 22

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि नये लाइसेन्स नहीं देने के आदेश नगरपालिकाओं को दे दिये गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जिन जिन नगरपालिकाओं ने नये लाइसेन्स नहीं दिये जाने के बारे में आदेश दिये जाने के बाद भी, लाइसेंस जारी किए उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री दौलतराम सारण : केवल अलवर नगरपालिका से सूचना मिली औरों ने नहीं दी। अलवर नगरपालिका ने जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत लाइसेन्स दिये थे हमने उसे रद्द कर दिया है। दो-तीन का और ध्यान में आया है, कार्यवाही उनके खिलाफ की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि अलवर नगरपालिका ने बावजूद सरकार की आज्ञा के रिक्शा चालकों को और लाइसेन्स दिये हैं ?

श्री दौलतराम सारण: मैंने निवेदन किया कि जिस प्रस्ताव से नये लाइसेन्स दिये उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है और नगरपालिका को हिदायत कर दी है कि बिना लाइसेंस के कोई रिक्शा नहीं चला सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं मंत्री महोदय के नोटिस में ला रहा हूं कि बावजूद सरकार के आदेश के नये लाइसेन्स दिये हैं और वे रिक्शा चल रहे हैं, क्या जानकारी करके इस संबंध में कार्यवाही की जायगी ?

श्री दौलतराम सारण : जानकारी करके कार्यवाही की जायगी।

श्री जोर्धसिंह चौहान : क्या यह सही है कि लाइसेन्स नहीं दिये जाने की आज्ञा के बाद कोटा में लाइसेन्स दिये गये हैं और वे रिक्शे चल रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि कोटा के एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकार की आज्ञा के बावजूद रिक्शा चालकों को रिक्शा के लाइसेन्स दिये हैं ?

श्री दौलतराम सारण: ऐसी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पिछले सत्र में सदन में इस प्रकार की जानकारी दी जा चुकी है ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिकाओं से जो जानकारी मिली है उसे मैंने बताया कि कोटा में रिक्शा है पर कोटा में नये लाइसेन्स जारी किये हैं, ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सदन में पिछले सत्र में चर्चा चली थी, सबको जानकारी है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने सरकार की आज्ञा के बावजूद नये लाइसेन्स दिये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो उत्तर दिया कि निम्न नगरपालिकाओं में नए लाइसेंस जारी किए गए सरकार के आदेश के बाद, उसमें कोटा का नाम है, फिर आप कैसे कहते हैं कि जानकारी नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने भादरा, चिडावा और अलवर का बताया है। प्रश्न के भाग ३ में पूछा गया है कि क्या यह सही है कि रोक लगाने की आज्ञा जारी किये जाने के बाद भी नगरपालिकाओं द्वारा लाइसेन्स

Page No 23

(श्री दौलतराम सारण)
जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने कितने ?

इसके उत्तर में मैंने ३ नाम बताये हैं; नये लाइसेन्स नगरपालिका भादरा, चिडावा और अलवर द्वारा दिये गये हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : अभी जो रिक्शा चलाते हैं, उससे नुकसान हो रहा है, इनकी संख्या कम करने की सरकार क्या कोशिश कर रही है ?

श्री दयाराम (नोहर) : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भादरा, चिडावा में कितने लाइसेन्स दिये गये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : संख्या मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने रिक्शा चालकों को रोजगार देने की दृष्टि से कोई योजना बनाई है ?

श्री दौलतराम सारण : जयपुर में इस सदन के पिछले अधिवेशन के समय कहा गया था कि कोआपरटिव सोसाइटी बना कर ऑटो-रिक्शा लेंगे उन्हें मोटो रिक्शा देने का तय किया था, जयपुर में ऐसी कार्यवाही की गई, दूसरी जगह नहीं की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एग्जिस्टिग रिक्शों के ऐसे मालिक हैं जो स्वयं रिक्शा नहीं चलाते, तो उन रिक्शों के लाइसेन्स उन मालिकों के नाम से कैन्सिल करके रिक्शा चालकों को दिये जायं।

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका रिक्शों को धीरे धीरे कम करने के समय सभी तरह के विचारों पर गौर करके कार्यवाही करेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि रिक्शा चलाना कब तक अन्तिम रूप से बन्द हो जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : अन्तिम समय तो तय नहीं है, पर यह है कि रिक्शाओं को बन्द किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने आश्वासन दिया था कि आगामी सत्र में ऐसा विधेयक सत्र में प्रस्तुत किया जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : अभी तो कोई विधेयक तैयार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पर उस समय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था, स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा था कि आगे रिक्शा नहीं चलें इस संबंध में विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जायगा, वह विधेयक कहां गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राजस्थान सरकार इसको महसूस करती है कि रिक्शों के लाइसेन्स देने पर इस प्रकार की रोक लगाने से और रिक्शा चालकों को सुविधायें नहीं देने से मौजूदा हालत में रिक्शा मालिकों को ज्यादा फायदा हुआ है जो कि रिक्शा चालकों का शोषण करते हैं ? क्योंकि नये लाइसेन्स दिये नहीं जाते इसलिये रिक्शा मालिक रिक्शा चालकों पर अपनी मनमानी करते हैं और उनका शोषण करते हैं।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : आपकी फेक्टरी चलती है, उसमें आपको ज्यादा फायदा है।

Page No 24

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : एक से अधिक रिक्शों के लाइसेन्स कई रिक्शा मालिकों के पास हैं, टोंक में एक के पास ६० रिक्शा लाइसेंस हैं जो रिक्शा चालकों का शोषण करता है। क्या राज्य सरकार नगरपालिकाओं को डाइरेक्शन देने को तैयार है कि पर्टिक्यूलर नम्बर से ज्यादा लाइसेन्स किसी एक व्यक्ति के नाम न रखे जायं ?

श्री दौलतराम सारण : किसी रिक्शा मालिक को या मजदूर को नया लाइसेन्स नहीं दिया जायगा। नगरपालिकाओं को इस प्रकार की हिदायत करदी है और आयन्दा धीरे धीरे नम्बर कम किये जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि इस इनह्यूमन एक्ट को कम करने की कोशिश की जायगी और रिक्शा चालकों को ओटो रिक्शा देने का प्रबन्ध किया और एक विधेयक इस सम्बन्ध में इस सदन में लाया जायगा ?

(१२ मध्याह्न)

श्री जोधसिंह चौहान: सरकार ने निर्णय लिया है कि रिक्शाओं की संख्या दिनों दिन कम की जायगी। तो आज तक कितने रिक्शा कम हुए हैं ? मेरे ख्याल से बढ़े हैं।

श्री दौलतराम सारण: मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): इस पर कोई सीलिंग लगाने की व्यवस्था करें जब तक सरकार दूसरा लाइसेन्स न दे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जमीन पर सीलिंग नहीं तो साइकिलों पर हो सही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन रिक्शाओं की जगह अमरीकन पेटन टैक्स की व्यवस्था क्यों न की जाय ?

श्री भैरोंसिंह : अमरीकन पेटन टैक्स रिफ्यूज उठाने के लिए नगरपालिकाओं को दी जायें।

प्रश्न संख्या २१६

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २१७

श्री गंगासिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २१८

श्री मानिकचन्द सुराणा।

नगरपालिका, बीदासर की जल प्रदाय योजना

२१८. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीदासर नगरपालिका ने क्या कभी जलप्रदाय योजना के लिए प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार के पास भेजा था ? यदि हां तो, उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(२) बीदासर नगरपालिका की आबादी क्या है ?

(३) इतनी आबादी की राजस्थान की अन्य कितनी नगरपालिकाओं में अभी तक

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जल प्रदाय योजना के लिए सर्वे नहीं हुआ है ? बीदासर की जल-प्रदाय योजना की क्या सर्वे हो चुकी है ? यदि नहीं, तो सर्वे कब तक पूरी करा दी जावेगी ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) हां, योजना बनाने की कार्यवाही हो रही है।

(२) १९६१ की जनगणना के अनुसार ६३८६ है।

(३) इतनी लगभग आबादी की करीब ५ नगरपालिकाओं के लिए अभी तक जल प्रदाय योजना के लिए सर्वे नहीं हुआ है जिसमें बीदासर भी शामिल है। सर्वे का काम पानी के साधन मिलने पर शुरू किया जायेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा: बीदासर का किस तारीख को सर्वे किया गया था ? कितना समय हो गया ?

श्री हरिदेव जोशी : पानी का स्रोत नहीं मिल रहा है इसलिए सर्वे नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : स्त्रोत मिलने का सर्वे कब होगा ?

श्री मानिकचन्द सुराणा: यह जो रिपोर्ट आई थी कि पानी उपलब्ध नहीं है, यह रिपोर्ट कब आई विभाग से ? यह सर्वे अन्डरग्राउन्ड बोर्ड ने की या किसी एक्सपर्ट ने की ?

श्री हरिदेव जोशी : एक्सपर्ट, ट्यूबवेल्स ऑर्गेनाइजेशन इसका सर्वे कर रहा है सोर्सेज का और जब तक सोर्सेज तय नहीं हों तब तक स्कीम का सर्वे नहीं किया जा सकता क्योंकि आबादी और सोर्सेज दोनों को सामने रख कर ही सर्वे हो सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या बीदासर में जो वर्तमान कुए हैं, उन सबको मिलाकर इतना पानी काफी नहीं है, कि वहां की आबादी के लिए काफी हो ?

श्री हरिदेव जोशी : काफी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार खां।

भगवानपुरा, तहसील निम्बाहेडा की पीली तथा सफेद मट्टी की लीज

२१९. श्री **अब्दुलजब्बार खां** : (निम्बाहेडा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा में पीली तथा सफेद मिट्टी निकलती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि श्री नारायणदास वासुदेव नामक कम्पनी को इस क्षेत्र की लीज दी गई है ?

(३) क्या यह भी सही है कि लीज क्षेत्र में किसानों के खाते भी आये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद-लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री **अब्दुलजब्बार** : आपने प्रश्न (२) के उत्तर में 'जी नहीं, बताया है, तो मिट्टी की लीज किसी को दी या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने प्रश्न दो में पूछा है कि क्या श्री नारायणदास वासुदेव नामक कम्पनी को इस क्षेत्र की लीज दी गई है ?

श्री अब्दुल जब्बार : एक कम्पनी का मुलाजिम है वह अब नौकरी छोड़ चुका है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लेसी का नाम श्री प्रसाद है उसको सरोवर में लीज दी है।

श्री अब्दुलजब्बार : तो आपने कहा "जी नहीं"। खेतों के अन्दर पत्थरगढ़ी की है और डिमार्केशन किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक ऐसा उदाहरण सामने आया कि किसी की जमीन खोदी, तो उसमें से करीब ३०० गाड़ियां सफेद मिट्टी की निकलीं।

श्री अब्दुलजब्बार : तो फिर आपने कहा कि नहीं। इससे साबित होता है कि और भी उदाहरण हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तो हो सकता है। मैंने इन्कार कब किया ?

श्री अध्यक्ष : जब सरकार लीज देती है तो खेतों की व्यक्तिगत जमीन भी शामिल होती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जो उदाहरण मैंने बताया है किसी लीज्ड एरिया वाली जमीन किसी काश्तकार की हो उसमें से माल निकला हो, यह नहीं है। मैंने यह उदाहरण बताया कि किसी पर्टीक्यूलर आदमी के पास खेत था और करीब २०० मन मिनरल निकले, लेकिन जब हम लीज देते हैं तो लीज्ड एरिया में वह लैण्ड एरिया भी आ जाती है, लेकिन उसके अन्दर वह काम नहीं कर सकता जब तक वह जमीन एक्वायर न हो जाय और तब तक काम करने की इजाजत नहीं दी जाती।

श्री अब्दुलजब्बार : कितने एकड़ का लीज था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने तो पर्टीक्यूलर आदमी के लिए पूछा था, इसलिए उसके लिए मैंने कहा है। अब दूसरे आदमी को कितना दिया यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स आप ऐसी जगह पर भी देते हैं, जहां गेहूं की फसल खड़ी हो और तमाम गेहूं खराब हो जाते हैं और सरकार मौन है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपका इस सम्बन्ध में प्रश्न नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न रखा गया तो कार्यवाही की जायगी।

(विराम)

श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे आगे का एक प्रश्न नं. २३१ पूछने की इजाजत दी जाय।

तहसील रामगंज मण्डी के ग्रामों में सरकारी भूमि पर मकान तथा बेदखली पर नोटिस

२३१. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम खैराबाद, मोडक, मोडक स्टेशन,

Page No 27

(श्री जुझारसिंह)
ढाबा–दह व अन्य कितने ग्रामों में लोगों को सरकारी भूमि पर मकान बना लेने के कारण बेदखली के नोटिस दिये गये हैं व रामगंज-मंडी तहसील द्वारा जुर्माने किये गये हैं ?

(२) राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा दिनांक १-३-६२ से २४-४-६३ तक प्रसारित किये गये महत्वपूर्ण परिपत्र व आज्ञाओं में क्या इस प्रकार के आदेश दिये गये हैं कि ३१ दिसम्बर, १९६२ तक किये गये अतिक्रमणों या अनधिकृत रूपान्तरणों को तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त तारीख तक किये गये कृषि भूमि के अनधिकृत विक्रयों को नियमित कर दिया जावे ?

(३) ग्राम मोडक, ढाबा-दह, रामगंज मंडी तहसील के दूसरे अन्य स्थानों पर ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें ग्राम पंचायतों द्वारा मकान बनाने के लिए १९६२ से पूर्व सरकारी कृषि या बंजड़ विक्रय की गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

(४) राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की गई उक्त आज्ञाओं के बाद भी क्या तहसील रामगंज मंडी में लोगों को बेदखल किया गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार की अनधिकृत कार्यवाही करने वाले राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठावेगी व लोगों पर किये गये जुर्मानों व हटाये गये कब्जों को कब तक वापस दिला सकेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तहसील रामगंज मंडी के १५ ग्रामों में १०७ लोगों को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की दफा ९१ के तहत नोटिस दिये गये और ३७ मकानात की मिसलों में जुर्माना किया गया।

(२) जी हां। ३१ दिसम्बर, सन् १९६२ तक के।

(३) ऐसे १४ व्यक्ति हैं जिन्हें सरकारी कृषि या बंजर भूमि विक्रय की गई है। सूची संलग्न है।

(४) जी नहीं, कोई बेदखली नहीं की गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जुझारसिंह : क्या सरकार की नोलेज-में है कि जिन आदमियों को नोटिस दिया गया है और जिस जमीन का नोटिस दिया गया है खास तौर से ढाबा–बह, वह जमीन माइनिंग विभाग द्वारा किसी प्राइवेट पार्टी को भी दी गई है और सरकार को नोटिस देने का अधिकार नहीं था क्योंकि माइनिंग की जमीन है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माइनिंग की कोई जमीन नहीं हुआ करती है, अगर अनऑक्यूपाइड लैंड है तो वह रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की जमीन है।

श्री जुझारसिंह : माइनिंग लीज की प्राइवेट पार्टी की और वह भी काश्तकारों. .

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर किसी लीज में वह जमीन हुई तब भी उस पर अनधिकृत वे में निर्माण करे तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत राजस्व विभाग को अधिकार है कि उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

श्री जुझारसिंह : मेरा प्रश्न इतना है कि १९६२ के दिनों के अन्दर अगर वह दी गई है और उसको अनधिकृत मानते हैं तो वे रेग्यूलराइज हो सकते हैं। इस वजह से एक

(श्री जुझारसिंह)
माइनिंग लीज में अड़चन आने वाली नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बिना एग्जामिन किए मैं नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

गाडी के मालिक की तलाश

२२१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गाडी नम्बर आर. जे. एल. ६२० में वाणी मन्दिर, जयपुर से इण्डिया के सर्वे मैप्स खरीद कर वर्ष ६३-६४ में ले जाये गये ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस गाडी व मालिक का पुलिस के तलाश करने पर अभी तक पता नहीं लग सका है ?

(३) इस गाडी के मालिक का क्या नाम है और उसकी तलाश में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, गृह, (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं, किन्तु दिनांक १८-७-६३ को श्री कमरुद्दीन, नि० उदयपुर वाणी मंदिर से २ रोड मैप आफ इन्डिया खरीद कर ले गये थे। गाड़ी का नम्बर आर. जे. एल. ६२० नहीं था, किन्तु आर. जे. टी. ६२० था। वे सर्वे मैप नहीं थे।

(२) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(३) गाड़ी का मालिक श्री कमरुद्दीन, प्रोप्राइटर अजंता होटल, उदयपुर है। जांच से पाया गया कि श्री कमरुद्दीन ने दो नक्शे खरीदे। एक तो अपनी होटल के लिए टूरिस्टों के उपयोग के लिए तथा एक अपने निजी उपयोग के लिए। दोनों नक्शे अब भी उसके पास मौजूद हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने इस बात की जांच किस आधार पर की है कि वे सर्वे मैप्स नहीं थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सर्वे मैप्स इसलिये नहीं थे कि सर्वे मैप्स गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के कन्ट्रोल्ड मैप्स हैं जो आम दूकानों पर नहीं मिलते हैं। इसलिये दूसरे मैप्स ही मिल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने यह जांच कर ली है कि वाणी मंदिर में इस प्रकार के मैप्स बेचने का अधिकार नहीं है और वे अधिकृत रूप से सर्वे मैप्स नहीं हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां, नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक प्रश्न; २२७।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २२७।

श्री रावतराम : २२४ मेरा पहले है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २२७।

भारत सुरक्षा के नियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी और फैमिली एलाउन्स

२२७. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने लोग गिरफ्तार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
होकर नजरबन्द किये हुए हैं ? उनका किस किस राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध है कृपया नजरबन्द व्यक्तियों के नाम, गिरफ्तारी की तारीख, राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध, कौनसी क्लास दी गई है, किस किस को किस किस जेल में रखा गया है, उनका निवास स्थान मय जिला आदि पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या इनमें से किन्हीं का फेमिली एलाउन्स सरकार ने मंजूर किया है ? यदि हां, तो किस किस का और कितना कितना ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य):

(१) दिनांक १५-६-६५ की स्थिति के अनुसार राजस्थान में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये लोगों की संख्या ६७ है। इन नजरबन्दियों का वांछित पूरा विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) जी हां । जिन नजरबन्दियों के आश्रितों को पारिवारिक भत्ता दिया गया है उनके साथ तथा भत्ते की राशि सदन की मेज पर रखे गये विवरण में अंकित कर दिये गये हैं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो सूचना आपने दी है इसमें पांच व्यक्ति आपने कांग्रेस से सम्बन्धित बताये हैं । आपने क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि इन पांच व्यक्तियों के खिलाफ क्या आरोप हैं जिनको डी. आई. आर. में गिरफ्तार किया है ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : दफा ३ एफ. डी. आइ. आर. ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह क्या है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जन सुरक्षा कानून के अन्तर्गत दफा ३ एफ. ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इन पांच व्यक्तियों पर राष्ट्रद्रोह की कार्यवाही करने के आरोप हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दफा ३ एफ. कहा मैंने ।

श्री भैरोंसिंह : दफा किसको याद है ? हम यहां अभी डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स थोड़े ही लेकर आये हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : राष्ट्र सुरक्षा के सम्बन्ध में असामाजिक तत्व होने के आधार पर और दो चार बातें लिखी हैं, उनमें से हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं साफ पूछ रहा हूं; आप "हां-ना" कह दीजिये कि ये व्यक्ति राष्ट्रद्रोह में गिरफ्तार किये गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस सैक्शन में राष्ट्रद्रोह, असामाजिक तत्व और राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से यह सब बातें लिखी हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया है जिसमें राष्ट्रद्रोह के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यही धारा बताई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कांग्रेस के पांच व्यक्तियों को राष्ट्रद्रोह

Page No 30

(श्री भैरोंसिंह)
के अन्तर्गत गिरफ्तार करने पर भी पैरोल पर छोड़ दिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : लिस्ट में है पैरोल पर ही तो छोड़ा गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस लिस्ट में यह बताया है कि इन पांच व्यक्तियों में से चार को पैरोल पर छोड़ा गया; तो इनको पैरोल पर छोड़ने का क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पैरोल पर छोड़ने का कारण मैं नहीं कह सकता इस वक्त क्योंकि प्रश्न में वह सम्मिलित नहीं था और जनहित की दृष्टि से क्या कारण हो सकते हैं, यह कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जनहित में पैरोल पर उनको छोड़ने की क्या वजह है ?

श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या पोलिटिकल पार्टीज के निजी नाम दिये हुए हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां, दिये हुए हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : पैरोल पर छोडने के लिये जनहित की बात कहना एक मखौल है। जनहित में नहीं था तो आपको नहीं छोडना चाहिये था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ६७ की लिस्ट में से २७ आदमियों को पैरोल पर छोड दिया गया। यह जानना चाहेंगे कि पैरोल पर छोडने का गवर्नमेन्ट का आधार क्या है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पैरोल पर छोडने के डिस्क्रीशनरी आधार हैं गवर्नमेंन्ट के; कभी बीमार, कभी उनके घर का संकट, कभी कोई स्थिति कम्पेशनेट ग्राउन्ड और प्रोसीजरल भी होंगे कि सुधारवादी हो गया हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सांईबख्श को .....

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत नाम न लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पैरोल पर छोडा गया था और आज भी वह फरार है ?

श्री अध्यक्ष : यह पूछा नहीं गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पैरोल पर सरकार की ओर से छोड़ दिया जाय और डिस्क्रीशन रखा जाय; आदमी फरार हो जाय, कोई जमानत नहीं ली जाय, स्मगलर और स्पाईज को इस प्रकार छोड़ दिया जाय, क्यों नहीं जमानत ली और क्यों नहीं उसकी सिक्योरिटी ली ? नहीं ली है, तो आपको धर देना चाहिये डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स में।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यहां एक एक सप्लीमेन्टरी इस प्रकार चल रहे हैं, जब कि प्रश्न में संकेत नहीं। लिस्ट कितनी बड़ी है ? कम्युनिस्ट दक्षिण पंथी अन्दर बैठे हैं, असामाजिक तत्व और जन-सुरक्षा के हित में नहीं हैं उनका बाहर रहना, वे बैठे हैं। एक एक प्रश्न का व्यक्तिशः बताने की इस समय में स्थिति में नहीं हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप साफ जवाब दीजिये। आप यह साफ बताइये कि

Page No 31

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
किस कारण से आपने पैरोल पर छोड़ा जब कि वे पाकिस्तान भाग गये ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मंत्री जी जवाब देते हैं तो बड़ी कंजूसी से और मक्खीचूसी से देते हैं। कम से कम इतना तो बताना चाहिये कि पैरोल किन शर्तों पर अमूमन दी जाती है ? कोई माफी मांगने पर या मर्जी आये वैसे ही? कुछ न कुछ तो जवाब दीजिये। यह मक्खीचूसीपन ठीक नहीं है। आज इस स्थिति में आपका बड़ा उत्तरदायित्व है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने बता दिया। आपने ध्यान नहीं रखा कि क्या क्या आधार पैरोल के होते हैं। मैं आपके संपर्क में बहुत आया हूं और जवाब देने में आप का मुझ पर यह असर पड़ा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साईंबक्श को पैरोल पर छोड़ने से पहले क्या सरकार ने कोई सिक्योरिटी ली थी और किस व्यक्ति की सिक्योरिटी ली ?

श्री निरंजननाथ आचार्य :यह अलग से प्रश्न है। इसमें नहीं आता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा क्या यह सही है कि २७ व्यक्तियों को पैरोल पर छोड़ दिया गया है; गंगानगर जिले के कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिनके आगे यहां कांग्रेस नहीं लिखा गया है ?

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल :आम तौर पर पैरोल पर ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया है जो पाकिस्तान में स्मगलिंग करते हैं और पाकिस्तान को सूचनाएं पहुंचाते हैं, जिन पर इल्लीगल ट्रेडिंग करने के चार्जेज हैं ; उस हालत में जब कि पाकिस्तान के साथ हमारे इस प्रकार के सम्बन्ध चल रहे हों। ऐसे लोग जो आवश्यक वस्तुओं और सामग्री इधर से उधर चोरी छिपे लाने और भेजने के अपराध में गिरफ्तार हों उनको सरकार ने ६४ से पैरोल पर रिहा किया हुआ है और बावजूद इसके कि पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चल रही है उसको देखते हुए उन लोगों को जेल में नहीं रखे जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : एक-दो प्रश्न जो उठाने हों वे सब उठा लें ताकि उनका मंत्री महोदय जवाब दे देंगे और इन प्रश्नों पर आगे बहस समाप्त हो जावेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि राष्ट्र-द्रोह में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है सरकार को उनके सम्बन्ध में कारण भी मालूम हैं फिर उनको क्यों छोड़ा गया पैरोल पर; और उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं तो हम यह जानना चाहते हैं कि जिन राष्ट्र-द्रोहियों को छोड़ दिया गया और जो आज लापता हैं तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की, जिन्होंने उनको छोड़ा है ? या तो जमानत ली और आश्वासन दिया उनके खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिये थी। बिना जमानत के ही छोड़ दिया तो छोड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये जिन्होंने उनको छोड़ा वे तो गुनहगार हैं, लेकिन सरकार और मंत्री भी अधिक गुनहगार हैं जिन्होंने ऐसा असामाजिक कार्य किया कि उनको छोड़ दिया, विधान सभा का एक

Page No 32

(श्री मुरलीधर व्यास)
माननीय सदस्य आज भी गिरफ्तार है और उनके सम्बन्ध में कोई बात पूछी जाती है तो बात नहीं बताई जाती है। चूंकि आपके पक्ष के लोग हैं इसलिये ऐसे असामाजिक तत्वों और राष्ट्रद्रोहियों को आपने पैरोल पर छोड़ दिया है और जो फरार हो गये हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): वे तो चीन से मिले हुए थे।

श्री भैरोंसिंह : चीन से मिले वे जेल में और पाकिस्तान से मिले वे आजाद।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): पाकिस्तान के दोस्तों को छुट्टी और चीन के दोस्तों को जेल, यह कैसा न्याय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें भेदभाव का सवाल नहीं। इसके अन्तर्गत जो असामाजिक तत्व थे, राष्ट्रद्रोही थे उनको गिरफ्तार किया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कहीं जो पैरोल पर छोड दिये हैं वे भाग न जांय इसका भी ख्याल रखें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं और इतना तो माननीय सदस्यों को मानकर चलना चाहिये कि पाकिस्तान के साथ कोई मिल कर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसके बारे में इस लिहाज से उनके छोडने के बारे में कोई भी विचार नहीं कर सकता। जो लोग डिटेन किये जाते हैं उनके केसेज को वक्त पर रिव्यू कमेटी रिव्यू करती रहती है। रिव्यू करने के अन्दर एक व्यक्ति के अलावा और भी होते हैं; कुछ व्यक्तियों की मिल कर कमेटी बनाई हुई है, जो बैठकर इनके मामलों को रिव्यू करती रहती है। वह यह भी देखती है कि ऐसे व्यक्ति को पैरोल पर छोडने से कोई खतरा तो नहीं है। सब बातों का ध्यान रख कर वह पैरोल पर छोडने के लिये सिफारिश करती है। उसके बाद भी उनको अटेन्डेन्स को पाबन्द किया जाता है। मैं इन्डिवीज्युअल केसेज के बारे में तो नहीं जानता; आम तौर पर सिक्योरिटी ली जाय इसके बारे में इन्स्ट्रक्शन्स जारी किये हुए हैं। इसमें कोई व्यक्ति यहां से चला गया, किन सरकम्स्टान्सेज में चला गया इसकी विस्तृत जानकारी इस वक्त है नहीं। सांईबक्स के बारे में जो कहा गया कि वह राजस्थान छोडकर चला गया पाकिस्तान की तरफ, इस प्रकार के समाचार मिले हैं। इसलिये वह यहां बैठकर तो स्पाईंग का काम कर रहा हो, स्पाइंग एक्टीविटीज चालू रख रहा हो, सो बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिनको आपने पैरोल पर छोडा है उसके अलावा भी अन्य डिटेन्यूज ने भी आवेदन-पत्र दिये हैं कि फेमिली की बीमारी के कारण पैरोल पर उनको भी रिहा कर दिया जाय; उनको अनुमति नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : सारे मैरिट्स पर तय किया जाता है। एक का मुझे भी मालूम है कि उन्होंने फेमिली की बीमारी के कारण पैरोल पर छोडे जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन जब जानकारी की गई तो बीमार कोई नहीं था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : बाडमेर की जो लिस्ट दी गई उसमें एक आदमी है जिसको गिरफ्तार किया गया, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूं यह वही शख्स है जिसकी लडकी की शादी में हमारे मुख्य मंत्री जी बनेडा आये थे, जिसको स्मर्गलिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसको इन लोगों की सिफारिश के कारण छोड दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यक्तिगत प्रश्न न उठायें ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आखिर कारण तो बतायेंगे उसको क्यों छोडा गया ?

श्री अध्यक्ष : आप किसी इन्डीवीज्युअल व्यक्ति के लिये नहीं पूछ सकते । नीति सम्बन्धी सवाल पूछ सकते हैं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बाडमेर के जिन आदमियों को गिरफ्तार किया गया उनको क्यों छोडा गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके लिये मैं निवेदन कर चुका, 'नोटिस चाहिये' ।

श्री मुरलीधर व्यास : राष्ट्रद्रोह के मामले में बाडमेर के एक हाजी को गिरफ्तार करके मारा पीटा . .

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !! आप नीति संबन्धी प्रश्न पूछें, व्यक्तिगत प्रश्न न पूछें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक नीति संबन्धी प्रश्न पूछना चाहता हूं । फेमिली अलाउन्स देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ? वे किस आधार पर फेमिली अलाउन्स तय करते हैं ? जो लोग नजरबन्द हैं उनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनके पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, कोई उनकी फेमिली की देखभाल करने वाला नहीं । ऐसे लोगों को सब को फेमिली अलाउन्स न देकर केवल कुछ व्यक्तियों को ही दिया गया है । यह अलाउन्स किस आधार पर दिया है ? इस बारे में निर्णय करते समय क्या केन्द्रीय सरकार या अन्य जगहों में जो रूल्स हैं उसके अनुसार यहां भी समानता का रुख अपनाने का सरकार का विचार है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिनके पास जीविकोपार्जन के साधन नहीं हैं, जिनके अभाव से आर्थिक संकट उपस्थित होता है, ऐसे खानदान को प्रायः सामान्यतः एक व्यक्ति एडल्ट के लिये ३० रुपया, बालक या बालिका हो उसके लिये १५ रु०, इस तरह से सब मिलाकर १०० रुपये से अधिक नहीं दिया जाता है, सामान्यतः यह नीति है ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्य मंत्री इस बात का उत्तर देंगे कि मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा है, जिनको पैरोल पर छोडा जाता है उनकी सिक्योरिटी ली जाती है । तो मेरा यह प्रश्न है कि जिनको पैरोल पर छोडा है क्या उन सब की सिक्योरिटी ली गई है ?

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : ऐसी मान्यता है कि ली गई होगी ।

श्री भैरोंसिंह : आप इस तरह से कहते हैं, ली गई होगी । "हां" या "ना" में जवाब दीजिये, ली गई या नहीं ?

Page No 34

श्री अध्यक्ष : यह तो सामान्य नियम है जिसका पालन किया गया होगा ।

श्री भैरोंसिंह : फिर आप कहेंगे, अध्यक्ष महोदय, कि इन्डीवीज्युअल का सवाल मत पूछिये । सांई बक्स को पैरोल पर छोड़ा इसकी सिक्योरिटी ली गई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह से इन्डीवीज्युअल के बारे में प्रश्न नहीं उठा सकते ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं । ऐसे आदमी के बारे में जानकारी नहीं जो राष्ट्रद्रोह के मामले में पकड़ा जाय और उसकी जमानत ली है या नहीं । यदि जमानत ली है तो सरकार को सीधी तौर से यह कहना चाहिये बगैर सिक्योरिटी लिये किसी आदमी को पैरोल पर नहीं छोड़ा जा सकता ।

एक माननीय सदस्य : बिना सिक्योरिटी के छूट भी नहीं सकते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जितने लोग गंगानगर जिले के डी० आई० आर० के तहत पकड़े गये उनमें से अधिकतर को पैरोल पर छोड़ दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रूल्स हैं पैरोल पर छोड़ने के उन रूल्स के विपरीत किसी को एक्सेप्शन दिया गया ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कोई एक्सेप्शन नहीं किया ।

रावल श्री अमरसिंह जसोल (पचपदरा): मेरा एक नीति से सम्बन्धित सवाल है । अध्यक्ष महोदय, जैसा मुख्य मन्त्री ने कहा, प्रतीत यह होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जिन पर अत्यन्त गम्भीर आरोप हैं, वे गिरफ्तार किये गये । उनमें से कुछ व्यक्तियों को पैरोल पर छोड़ दिया गया उसके लिये मुख्य मंत्री ने यह फरमाया कि हमारे यहां रिव्यू कमेटी है जो केसेज रिव्यू करती रहती है । हमारे उप-मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि पैरोल पर छोड़ना गवर्नमेन्ट की डिस्क्रीशन पर है । मैं निवेदन करूंगा कि इस रिव्यू कमेटी के अन्दर कौन कौन बैठते हैं? इसके अलावा जहां तक सरकार के डिस्क्रीशन का सवाल है सरकार को डिस्क्रीशन होना चाहिये किन्तु रीजनेबल डिस्क्रीशन होना चाहिये । इसमें यह नहीं होना चाहिये कि जिसको हमारी मरजी हो उसको छोड़ दें और जिस पर मरजी नहीं हो उनको डिटेन करलें । मैं रैस्पैक्टफुली सब्मिट करूंगा कि जो डिस्क्रीशन हो वह हमेशा ऐसे व्यक्तियों के ऊपर काम में लाया जाय जो वास्तव में डिस्क्रीशन के योग्य हों । इसमें पार्टी का सवाल नहीं आना चाहिये । मैं यह सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का डिस्क्रीशन, इस तरह का व्यवहार लोगों के अन्दर जबर्दस्त भ्रान्ति पैदा करता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहें वह पूछें; जैसे आपने कहा; रिव्यू कमेटी के अन्दर कौन कौन हैं ? इस तरह के कोई प्रश्न हों तो पूछिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जज रह चुके हैं, उनका जुडिशियल एप्रोच है । हर मामले को

Page No 35

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जुडिशियल एप्रोच से देखते हैं। इनके सविनय निवेदन करने से ऐसे लोगों पर कोई असर होने वाला नहीं, जिनको कोई जानकारी नहीं। मुख्य मंत्री को जानकारी नहीं। वे तो अक्सर दौरे पर रहते हैं। सारी होम डिपार्टमेन्ट की जिम्मेदारी ऐसे निकम्मे मिनिस्टर को सौंप दी है जो इस बारे में बिल्कुल निकम्मे साबित हुए हैं जो इस सदन में जवाब नहीं दे सकते, जिनको जानकारी नहीं, जिनको रूल्स की जानकारी नहीं। पैरोल पर किसको छोडा जाय, किसको न छोडा जाय; इसकी जानकारी नहीं। जिसको छोडा गया है उसकी सिक्योरिटी ली गई या नहीं, यह भी जानकारी नहीं। बिना सिक्योरिटी लिये हुए जिन लोगों को छोड दिया जाता है और फिर वे पाकिस्तान चले जाते हैं, यहां बैठ कर जो स्पाईज का काम करते हैं इसकी जिनको जानकारी नहीं, ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे मिनिस्टरों के हाथ में हमारी सुरक्षा का भार सौंप रखा है, जो बिल्कुल निकम्मे साबित हो चुके हैं। ऐसे निकम्मे होम मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर को बरखास्त किया जाय, इस निकम्मी सरकार को बरखास्त किया जाय। इनसे राजस्थान की सुरक्षा की कतई आशा नहीं करनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस संकटकाल के समय हमारे प्रधान मन्त्री जी ने सब पार्टियों के सभी लोगों से सहयोग की अपील की है और यह भी तथ्य है कि सभी पार्टियों ने और सभी लोगों ने अपेक्षित सहयोग दिया है; आशा से अधिक ही दिया है। लेकिन जहां राज्य की सुरक्षा का प्रश्न हो ऐसे प्रश्नों पर सरकार इस तरह का खतरनाक रुख ले कि पैरोल पर किसको छोडें, किसको नहीं छोडें, यह उनकी मन्शा पर है, यह रुख उचित नहीं है। इस संकट काल के समय में और उस समय तो एकदम उचित नहीं है जब कि वह पैरोल पर छोडा गया व्यक्ति पाकिस्तान भाग गया हो, दुश्मन के पास चला गया हो।

इसके विपरीत में, अध्यक्ष महोदय, जानता हूं कि एक नजरबन्द व्यक्ति है, उसकी मां बीमार है, उसका बाबा बीमार है, उसकी घर की सारी फसल खराब हो गई, उसने पैरोल की मांग की, पर आप उसके लिये कुछ नहीं कर रहे हैं और इसके विपरीत ऐसे लोगों को पैरोल पर छोड रहे हैं जो पाकिस्तान भाग गये और फिर ऊपर से सरकार यह कहे कि वह अपना डिस्क्रीशन यूज करेगी तो यह हरगिज बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है। यह अपने आप में एक देशद्रोहितापूर्ण कार्य है। इसके प्रोटेस्ट में हम इस सदन से वाक आउट करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जाओ जाओ।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस संकटकाल के समय जब कि हमने सहयोग करने का व्रत लिया है, सदन से वाक आउट करना तो ठीक नहीं समझते, पर इन मन्त्रीजी का एटीट्यूड और जिस प्रकार ये उत्तर दे रहे हैं उसे देखकर मुझे बडा दुख हो रहा है। यह स्थिति मेरे ख्याल से कतई सन्तोषजनक नहीं है और इसकी मैं तीव्र भर्त्सना करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, इस संकटकाल के समय हम भी पूरी तरह सहयोग की भावना से चलना चाहते हैं। हमें देश में एकता चाहिये, पर ऐसे मामलों में ऐसी बात भी नहीं करना चाहते कि देश को नुकसान पहुंचे। इस तरह की बातें जब सदन में आती हैं कि जो देश-द्रोहिता का का काम करते हैं और जो असामाजिक तत्व हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

(शोरगुल)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अपनी बात सही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: जो कहें वह संक्षेप में कहें। आप तो भाषण देने लग गये। आसन ग्रहण कर लीजिये।

(घंटी)

माननीय सदस्य !

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार की इस तरह की हरकतें देश को नुकसान पहुंचाती हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

(घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास : हम जागरूक रहें। ऐसे व्यक्तियों के प्रति कठोर कार्यवाही की जावे। ऐसे मन्त्री लोगों को सरकार से निकाल देना चाहिये जो इस तरह की कार्यवाही करते हैं। यह बात कह कर सरकार के इस गलत रवैये के खिलाफ असन्तोष प्रकट करते हुए सदन से वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : इतना लम्बा भाषण नहीं देना चाहिये वाक आउट करने से पहले।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं समझता हूं, किसी प्रकार की गलतफहमी रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आखिर जिनको देशद्रोही एवं असामाजिक तत्व समझा गया उनको सरकार द्वारा ही तो गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कार्यवाही की गई और इसके बाद जो सारे सरकम्सटान्सेज थे, उन पर रिव्यू कमेटी ने विचार करने के बाद आवश्यक मुचलके और जमानत लेकर के उनको पैरोल पर छोड़ा है।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम दडीबा, तहसील सुजानगढ़ से तांबे तथा अन्य खनिजों के लिए सर्वेक्षण

२१६. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या दडीबा, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू में तांबे और अन्य खनिजों के लिये कोई सर्वेक्षण राज्य सरकार अथवा भारत

(श्री मोहरसिंह)
सरकार द्वारा करवाया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(२) ऐसे सर्वेक्षण का क्या परिणाम रहा तथा विशेषतया तांबे और गंधक की क्या प्रतिशतता पाई गई ? क्या इसके अलावा और भी कोई खनिज पाया गया है ? यदि हां, तो उसकी भी प्रतिशतता बताने की कृपा करें ?

(३) प्रत्येक खनिज जो वहां पाया गया है उसकी अनुमानित मात्रा क्या है ?

उत्तर

(१) तांबे के लिये इस क्षेत्र का जियोलोजिकल सर्वे भारतीय जियोलोजिकल सर्वे ने समाप्त कर लिया है और उनकी रिपोर्ट शीघ्र ही तैयार हो जायगी।

(२) उपरोक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर ही वस्तुस्थिति का पता लग सकेगा।

(३) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

पसायतेदारान को मुआवजा

२१७. **श्री गंगासिंह राठौड़** (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि नागौर जिले में पसायतेदारान को अभी तक कुछ भी मुआवजा व पुनर्स्थापन अनुदान की रकम नहीं दी गई है ?

(ख) क्या सरकार पसायतेदारान को स्वतंत्र रूप से अलग जागीरदार मानती है ?

(ग) अगर हां, तो उनको मुआवजा व पुनर्स्थापन अनुदान की रकम अभी तक क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(ए) जी हां। कुछ पसायतेदारान के मुआवजे चुकाना बकाया है, क्योंकि इस प्रकार के पसायतेदारों ने उनकी जागीरों के पट्टे प्रमाणस्वरूप पेश अभी तक नहीं किये हैं।

(बी) जी हां।

(सी) उत्तर ऊपर प्रश्न (ए) पर दिया जा चुका है।

राणा प्रताप सागर के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि

२२०. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील रामगंज मंडी के कुकरा गांव में राणा प्रताप सागर के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कितने बीघा भूमि वन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई ?

(२) इस गांव में अब तक कितने विस्थापित परिवार बसाये गये हैं तथा तहसील रामगंज मंडी के अन्य खण्डों की तुलना में इन परिवारों के पुनर्वास में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सही है कि स्थानीय अनुसूचित वर्ग के परिवारों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि यदि राणा प्रताप सागर के विस्थापित कुकरा ग्राम में बसना स्वीकार न करें तो उन्हें

Page No 38

(श्री जुझारसिंह)
इस भूमि पर बसने दिया जाये ? यदि हां, तो सरकार उनकी इस प्रार्थना के बारे में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

१. ११०३ बीघा भूमि वन विभाग से प्राप्त हुई है ।

२. ग्राम कूकडा में अब तक २० विस्थापित परिवारों को काबिल काश्त जमीन दी गई है । विस्थापितों के मांग करने पर कूकडा वन विभाग से लिया गया है । पिछले वर्ष वर्षा की कमी के कारण डूब क्षेत्र का कोई भी ग्राम जलमग्न नहीं हुआ, इसी कारण से विस्थापितों के पुनर्वास में विलम्ब हुआ है ।

३. जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील आमेर के ग्रामों में चोरियां

९१. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन-सु.): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सन् १९६२ से अब तक आमेर तहसील के ग्रामों में कितनी चोरियां हुई और उनमें से कितनी बरामद की गई और कितने मामलों में चोरों को सजा हुई ?

उत्तर

सन् १९६२ से अगस्त १९६५ के अंत तक आमेर तहसील के ग्रामों में कुल ४८२ चोरियां हुई जिनमें से १५७ चोरियां बरामद हुई तथा १२ मुकदमों में चोरों को सजा हुई ।

कोटा जिले में डकैतियां तथा माल की बरामदगी

९२. **श्री दयाचन्द सीन** (बारां-सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा जिले में गत पांच वर्षों में किस किस स्थान पर कितनी कितनी मालियत की डकैतियां पडी और कितने व्यक्तियों को डाकुओं द्वारा उठा कर ले जाया गया ?

(२) राजस्थान पुलिस कितनी डकैतियों का माल बरामद कर सकी ?

उत्तर

१. कोटा जिले में गत पांच वर्ष में ३२ स्थानों पर डकैतियां हुई जिनमें ११ व्यक्तियों को डाकुओं द्वारा अपहरण किया गया । स्थान वार सूची संलग्न है ।

२. कुल आठ डकैतियों में माल-लूट पुलिस द्वारा बरामद हो पाया है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

सुरक्षा कोष

९३. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या मुख्य मंत्री (मुख्य मंत्री कार्यालय) यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में अब तक सुरक्षा कोष में किस किस जिले से कितना कितना सोना, चांदी, रुपये व अन्य सामान एकत्रित हुआ है ?

(२) क्या दानदाताओं को रसीदें दे दी गई हैं ?

Page No 39

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(३) राजस्थान में इसका हिसाब कौन से विभाग के पास रहता है? जिलेवार हिसाब के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

हिण्डौन का गन्दा नाला

९४. **श्री छबलाल** (हिन्डौन-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

हिन्डौन में गन्दे नाले का कार्य क्यों रुका हुआ है और वह कब तक पूर्ण होगा?

उत्तर

इस नाले का कार्य तो स्वीकृत प्रारूप के अनुसार दिनांक १३–१०–६३ को ही पूर्ण हो चुका है।

नगरपालिकाओं तथा नगर परिषदों को ऋण तथा उसकी वसूली

९५. **श्री माणिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार का कुल कितना ऋण नगर परिषदों व नगरपालिकाओं में बाकी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त बकाया ऋण को वसूल करने या समायोजन करने के बारे में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(१) नगरपालिकाओं इत्यादि में ऋण स्वरूप ८७,९५,७९३.८६ पैसे बकाया है।

(२) जो नगरपालिकाएं ऋण की अदायगी नहीं करती हैं उनको दी जाने वाली राजकीय सहायता में से सहायता का ५० प्रतिशत ऋण की बकाया की वसूली में काट लिया जाता है।

टोरडीसागर में तिलांजू मार्ग पर नहरों से आवागमन में असुविधाएं

९६. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि टोरडीसागर से निकलने वाली नहरों का पानी पुराने खालों में भर जाने के कारण, टोरडी सागर से तिलांजू तक आवागमन संबंधी असुविधाएं पैदा हो जाती हैं? यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जी नहीं, यह सही नहीं है।

तहसील पचपहाड़ की सिंचाई योजनाओं का सर्वे

९७. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने तहसील पचपहाड जिला झालावाड़ के ग्राम मिश्रोली में सिंचाई

Page No 40

(श्री जुझारसिंह)

की दृष्टि से ऊंडा-खाल बडा तालाब या दूसरी संभावित सिचाई योजनाओं का सर्वे करवाया है ? यदि हां, तो इन योजनाओं से कितने क्षेत्र में सिचाई की जा सकना संभव है ?

(२) तहसील पचपहाड में लघु सिचाई योजना को प्रोत्साहन देने के लिये अब तक क्या क्या प्रयास किये गये हैं और उनसे कितनी सिचाई इस क्षेत्र में अब तक बढ गई है ?

(३) झालावाड जिले की पचपहाड, डग व बकानी तहसील में सिचाई के साधन उपलब्ध करने की क्या क्या सरकारी योजनाएं हैं ?

उत्तर

(१) जी हां, मिश्रोली के पास के दो छोटे २ बांधों गांव, छोटा मिश्रोली व बडा मिश्रोली की आवश्यक मरम्मत के लिये सरपंच मिश्रोली व सहायक अभियंता सिचाई को आवश्यक आदेश दिये जा चुके हैं। ये बांध गांव मिश्रोली पंचायत समिति के शासन के अन्तर्गत हैं। ऊंचा खाल बडा तालाब मिश्रोली ग्राम से लगभग १ मील डग जाने वाली सडक पर है। इस पर कोई योजना अभी तक विचाराधीन नहीं है।

(२) तहसील पचपहाड के अन्तर्गत रामनिवास घाटोत तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है तथा किशोरसागर, जिससे अभी तक कोई सिचाई नहीं हो रही है, का जीर्णोद्धार किये जाने का प्रस्ताव है; जिसके बाद इस बांध से लगभग ४०–५० एकड भूमि में सिचाई सम्भव हो सकेगी।

(३) पचपहाड तहसील की क्यासरा योजना गुरारी ग्राम के पास विचाराधीन है। बकानी तहसील की रिजोन योजना का सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका है डग तहसील में भी क्यासरा नाम की एक दूसरी लघु सिचाई योजना विचाराधीन है।

तहसील रामगंज मंडी की सिचाई योजनाएं

९८. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील रामगंज मंडी में सिचाई के साधन उपलब्ध करने के लिये कौन २ सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ?

(२) क्या यह सही है कि रीछी नाले पर मध्यप्रदेश के ग्राम हरीगढ में सिचाई योजना का सर्वे किया गया था जिससे रामगंज मंडी क्षेत्र की करीब १० हजार एकड भूमि सिचाई किये जाने सकने की संभावना थी व आर्थिक दृष्टि से स्कीम भी लाभप्रद समझी गई थी ? यदि हां, तो इस स्कीम को कब तक हाथ में लिया जा सकेगा ?

(३) रामगंज मंडी के अभझार रीछी व रामगंज मंडी कस्बा का नाला व दूसरे नालों पर सिचाई की संभावनाओं को कब तक सर्वे करवा लिया जावेगा ?

उत्तर

(१) केवल जुल्मी नाले पर की योजना विचाराधीन है।

(२) जी नहीं, किन्तु लाखा नाला जो हरिगढ के पास होकर आता है उस पर एक योजना विचाराधीन है।

(श्री सिंचाई मंत्री)

(३) स्थान निरीक्षण के पश्चात् बोरदी व डाकिया योजना पर सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ संभव हुआ तो शुरू किया जा सकेगा।

चम्बल कमाण्ड एरिया के नहरी तार बाबू

९९. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा जिले के चम्बल कमान्ड एरिया में कितने नहरी तार बाबू हैं ?

(२) इनसे प्रति दिन कितने समय तक काम लिया जाता है व कितना ओवर टाइम का पैसा दिया जाता है ?

उत्तर

(१) कोटा जिले के चम्बल कमान्ड एरिया में पांच नहरी तार बाबू कार्य कर रहे हैं।

(२) इनसे प्रतिदिन ८ घण्टे काम लिया जाता है। इन नहरी तार बाबुओं को कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता है।

कालख सागर से सिंचाई

१००. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अगर कालख सागर पूरा भर जाये तो कितना बीघा सिंचाई हो सकती है ?

(२) सन् ६४–६५ ई० में ग्राम वाइज कालख सागर नहर के नीचे कितने बीघे सिंचाई हुई है ?

उत्तर

(१) ७२७० बीघा रकबा सिंचित हो सकता है जिसमें तीनों पानी संभव होगा।

(२) सन् १९६४–६५ में कुल पिलाई करीब ८६८२ बीघा हुई। ग्राम वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनाज संबंधी मामलों के मुकदमे

१०१. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में गत दो सालों से अनाज संबंधी मामलों में कुल कितने व्यापारियों पर मुकदमें चलाये गये तथा कुल कितना अनाज चिटबन्द किया गया तथा कितना जप्त किया गया ? जिला अनुसार आंकडे देने की कृपा करें। जिन व्यापारियों पर मुकदमे चलाये गये उनमें से कितने व्यापारियों को सजा या जुर्माना हुआ ?

(२) जप्त अनाज का क्या हुआ तथा अभी कितना अनाज चिटबन्द है ?

उत्तर

(१) जिलेवार मानचित्र संलग्न है।

(२) मानचित्र संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 42

चूरू जिले के देहाती क्षेत्र का चीनी का कोटा

१०२. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि चूरू जिले में विवाह एवं जापे के अवसर पर भी गेहूं अथवा चीनी अतिरिक्त रूप में बिल्कुल नहीं दी जाती ?

(२) क्या यह सत्य है कि चूरू जिले के देहाती क्षेत्र में दी जाने वाली चीनी बहुत कम है ? यदि हां, तो सरकार चीनी का कोटा बढाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

(३) क्या सरकार वहां शादी के अवसर पर अतिरिक्त रूप में देने के लिये चीनी और गेहूं की कम से कम मात्रा निर्धारित कर वितरण करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कितनी और कब से ?

उत्तर

(१) जी नहीं । शादी व जापे के अवसर पर अतिरिक्त चीनी दी जाती है; गेहूं नहीं ।

(२) जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए चूरू जिले के देहाती क्षेत्र में प्रति माह प्रति परिवार १ किलो चीनी दी जाती रही है । कोटा बढाना केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को मिलने वाले कोटे पर निर्भर है ? गत महीनों में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त चीनी के कोटे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में यह निर्देश दिया गया है कि जहां तक संभव हो समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक ३०० ग्राम तक चीनी प्रति व्यक्ति प्रति माह दी जावे ।

(३) राज्य सरकार द्वारा यह आदेश है कि जिलाधीश अपने जिले के माहवारी कोटे में से १ परसेन्ट चीनी स्पैशल परमिट द्वारा शादी व जापे आदि के अवसरों पर दें । गेहूं के लिये प्रश्न के भाग (१) में स्पष्ट कर दिया है ।

उदयपुर हिम्मत-नगर रेल्वे लाइन में आने वाली भूमि तथा काश्तकारों से लगान की वसूली

१०३. **श्री देवीलाल** (सराडा-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

उदयपुर-हिम्मतनगर रेल्वे लाइन में काम में आने वाली भूमि के किस किस तहसील के कितने कितने काश्तकारों के लगान में कमी कर दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

सूची निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	नाम तहसील	नम्बर काश्तकारान जिनकी भूमि अवाप्त हुई	नम्बर काश्तकारान जिनको लगान में कमी की गई	नम्बर काश्तकारान जिनके लगान में अभी तक कमी नहीं की गई	कमी नहीं करने के कारण
१	२	३	४	५	६
१.	गिरवा	२२६	१७३	५३	छूट की कार्यवाही जारी है ।

(श्री राजस्व मंत्री)

१	२	३	४	५	६
२.	सराडा	७२७	७२७	..	१-मुस्तकिल लगान सं० २०२२ से कमी हो चुका । २-गुजिस्ता लगान सं० २०१८ से २१ तक छूट होना बाकी है मिसलें मंजूरी में हैं ।
३.	खैरवाडा	२२५	२२३	२	आसामियान के उपस्थित नहीं होने से सैलडीड नहीं लिखा गया जिससे कीमत का चुकारा नहीं हुआ है, अतः लगान छूट नहीं हुआ है ।

नोटः—जिन मामलों में लगान कमी की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हुई है उनसे लगान नहीं लिया जा रहा है ।

गंगानगर जिले में गेहूं की पैदावार और आयात

१०४. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगानगर जिले की आबादी के लिये कितना गेहूं आवश्यक है ?

(२) इस वर्ष जिले में कितना गेहूं पैदा हुआ है ?

(३) गंगानगर जिले में आयात किया हुआ गेहूं कितना गया है ?

(४) गंगानगर जिले में सरकार के पास वहीं का पैदा हुआ देशी गेहूं कितना आया है ? सरकार ने इसे किस भाव खरीदा ?

उत्तर

(१) गंगानगर जिले की आबादी के लिये १२००० टन गेहूं प्रति माह की आवश्यकता है ।

(२) सन् ६४–६५ की फसल में ७७,१२९ टन गेहूं पैदा हुआ है ।

(३) गंगानगर जिले में माह अक्टूबर, ६३ से सितम्बर, ६५ तक २६,६८७ टन आयातित गेहूं दिया गया है ।

(४) गंगानगर जिले में सरकार ने वहां पैदा हुआ देशी गेहूं १४,००० क्विन्टल

(श्री खाद्य मन्त्री)

खरीदा है। सरकार ने इसको ५४) रु० प्रति क्विन्टल (दडा गेहूं) के भाव से खरीदा है।

तहसील पीपल्दा में भूमि एलाटमेन्ट के लिए प्रार्थना-पत्र

१०५. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) वर्ष १९६२ से १९६५ तक तहसील पीपल्दा में भूमि एलॉटमेन्ट के लिये भूमिहीनों की कितनी दरख्वास्तें पेश हुई ?

(२) भूमिहीन किसानों को कितनी भूमि एलॉट की गई ?

(३) कितनी दरख्वास्तें अभी विचाराधीन हैं ?

(४) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने व्यक्तियों को भूमि एलॉट की गई है और उनकी कितनी दरख्वास्तें विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(१) सन् ६२ से ६५ तक तहसील पीपल्दा में भूमि एलॉटमेन्ट के लिये ८८१ भूमिहीनों की दरख्वास्तें पेश हुई।

(२) भूमिहीन किसानों को १७९ एकड भूमि एलॉट की गई है।

४८० दरख्वास्तें अभी विचाराधीन हैं।

(३) अनुसूचित जाति (शिड्यूल कास्ट) के ६ परिवारों को ५८ एकड भूमि एलॉट की गई और अनुसूचित जन जाति (शिड्यूल ट्राइब) के ३ परिवारों को ३५ एकड भूमि वितरण की गई है।

(४) विचाराधीन दरख्वास्तों में जाति अंकित नहीं होने से उत्तर देने से असमर्थ हैं।

(१२.३४ म.प.)

स्थगन प्रस्तावों विषयक व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्यों ने स्थगन-प्रस्तावों की सूचना दी है। भारत-पाक संघर्ष में युद्धबन्दी के पश्चात् हमारी सीमा पर कुछ घटनाएं हुई हैं, उसके संबंध में माननीय सदस्य श्री भैरोंसिह शेखावत एवं मुरलीधर व्यास ने स्थगन-प्रस्तावों की सूचना दी है।

मुख्य मंत्रीजी अभी हमारी सीमा क्षेत्र का दौरा करके आये हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य दें ताकि माननीय सदस्यों को संतोष हो।

बाकी दो और प्रस्ताव हैं जिनके बारे में भी मैं उल्लेख करना उचित समझूंगा। माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास ने एवं मानिकचन्द सुराणा ने राजस्थान विश्व विद्यालय की कुछ घटनाओं के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। सामान्य तौर से यह घटनाएं ऐसी हैं जो विश्वविद्यालय के दैनिक कार्यक्रम से संबंधित हैं। परन्तु फिर भी इनकी विशेष परिस्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन किया गया है कि वे तथ्य मांग लें। उचित समझा गया तो उनका सदन में उल्लेख किया जावेगा।

माननीय सदस्य श्री उमरावसिंह ढावरिया ने भीलवाडा जिले में वर्षा न होने से अकाल की जो स्थिति पैदा हुई है उसके संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रकार के प्रस्ताव अन्य जिलों के संबंध में भी आये हुए हैं। इनके संबंध में मंत्री महोदय एक वक्तव्य तैयार कर रहे हैं जिसे वे शीघ्रातिशीघ्र सदन में पेश करेंगे ताकि माननीय सदस्यों

(श्री अध्यक्ष)
को अकाल की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी हो जावे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसके पश्चात् इन पर चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष : जी हां। पहले वक्तव्य होगा, फिर चर्चा होगी।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री योगेन्द्र-नाथ हांडा, श्री उमरावसिंह ढाबरिया एवं श्री भैरोंसिंह शेखावत ने जयपुर में दैनिक समाचार पत्र 'लोकवाणी' के कर्मचारी की भूख-हड़ताल के संबंध में दी है। श्रम मंत्री जी इस संबंध में एक वक्तव्य सदन में आज और आज नहीं तो फिर कभी इसके बारे में देंगे।

अब मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

(१२. ३६ म. प.)

यह युद्ध विराम के पश्चात् पाकिस्तान की आक्रमक हरकतों विषयक शासकीय वक्तव्य एवं उस पर वाद-विवाद।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य रेडियो पर सुन चुके होंगे, पाकिस्तान ने युद्धविराम घोषित होने के बाद कई जगह राजस्थान की सीमा का अतिक्रमण किया है और एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है।

पाकिस्तान के रेन्जर्स और मुजाहिदों ने कुछ जगहों पर, जहां हमारे सशस्त्र पुलिस के जवान नहीं थे, घुसपैठ करके अपना कब्जा किया और कुछ अन्य गांवों में भी उन्होंने चोरी छिपे घुसपैठ की है। उनके पास मशीन गनें, तीन इंची मोर्टार्स वगैरह शस्त्र हैं और ऐसा भी ख्याल किया जाता है कि कुछ जगह फौज के लोग भी साथ में हैं। इन घुसपैठियों का कई जगह सफाया किया जा चुका है और अन्यत्र उनके खिलाफ हमारी सुरक्षा सेना सख्ती से कार्यवाही कर रही है। अधिक मात्रा में यह घुस पैठ जैसलमेर और बाडमेर के क्षेत्र में की गई है। बीकानेर जिले में भी एक स्थान पर उन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही की थी, लेकिन वहां से उनको खदेड दिया गया है।

हमारी कुछ चौकियों पर, जहां सशस्त्र पुलिस थी, इनने हमला किया, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने उनका हमला असफल कर दिया।

पाकिस्तान के ये लोग सामान्य नागरिकों को जान से मारने, अपहरण करने और गांवों को लूटने के घृणित कार्यों के अन्दर लगे हुए हैं। बाडमेर और जैसलमेर के अधिकारियों द्वारा जो सूचना मुझे कल दी गई, उसके अनुसार चार सामान्य नागरिकों की हत्या, २ को घायल करना, १६ व्यक्तियों का अपहरण करना, जिनमें ऐसे ऐसे मुसलमान भी हैं जिनने हमारी पुलिस की मदद की थी, एवं १२ गांवों को लूटने के समाचार मालूम हुए हैं। वे कई पशुओं को भी चोर कर ले गये हैं और हर प्रकार से आतंक फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इन सारी घटनाओं से यह स्पष्ट कि पाकिस्तान की तरफ से जानबूझ कर युद्ध-विराम का बडी मात्रा में उल्लंघन किया जा रहा है। और हमारी बहादुर सेना के सामने वे नहीं टिक पाये तो अब निशस्त्र नागरिकों पर जुल्म ढाने का काम शुरू किया है।

बाडमेर के अधिकांश क्षेत्र में उनका सफाया कर दिया गया है और मुझे पूरी आशा है कि शीघ्र ही अन्यत्र भी उनको या तो मार

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

दिया जायगा या वे छोड कर भाग जायेंगे। हम राजस्थान के लोग इन घटनाओं से आतंकित नहीं होने वाले और पाकिस्तान के नापाक इरादों को हर्गिज कामयाब नहीं होने देंगे। इन सारी घटनाओं से उस इलाके के लोगों में पाकिस्तान के प्रति जबर्दस्त नाराजगी है और वे यही कहते हैं कि युद्धबन्दी का थोथा नारा लगाकर पाकिस्तान दुनियां को धोखे में डालना चाहता है और भारत पर चोरी-छिपे जुल्म ढाना चाहता है।

मैं दृढतापूर्वक यह भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान में आये हुए पाकिस्तानियों पर भारत द्वारा हवाई हमला करने की बात का जो प्रचार किया जा रहा है, वह सरासर झूंठा और शरारतपूर्ण है। या तो वह दुनियां को धोखा देने के लिये ऐसा कह रहा है या उसका खुद कुछ और इरादा मालूम होता है, जिसके लिये भूमिका बना रहा मालूम होता है।

मैं माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हममें से कोई भी इस भ्रम में न रहे कि आज युद्ध-विराम की स्थिति है। सच तो यह है कि युद्ध-विराम की घोषणा के बाद ही राजस्थान में पाकिस्तान अब इन घृणित हथकंडों पर उतारू हुआ है।

कल और परसों मैं बाडमेर क्षेत्र में था। इन सारी परिस्थिति में भी सीमा पर लगी हुई सेना और हमारी सशस्त्र पुलिस का मनोबल देखकर अत्यन्त गौरव अनुभव होता है, साथ ही वहां के नागरिकों में जो उत्साह है, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो अभी वक्तव्य दिया है इससे सदन को बहुत ही अधिक प्रेरणा मिली है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सीमा के ऊपर जबकि युद्ध विराम हो गया है और युद्ध विराम के बाद १०-१२ बार पाकिस्तान ने कई गांवों के ऊपर हमला किया है और यदि सैनिक दृष्टिकोण से वह हमला करता और हमारे सैनिक ही उसके मुकाबले में खडे होते तब तो हम समझते कि वह मानवीय दृष्टिकोण से कदम उठा रहा है। परन्तु अनजान में गांवों में जाना और उनको लूटना, जला देना, लोगों को वहां से उठा कर ले जाना और डकैतियों की कार्यवाही करना, मैं समझता हूं कि किसी भी दृष्टिकोण से वह कदम मानवीय नहीं कहा जा सकता।

पाकिस्तान इस मामले में बिल्कुल ही राक्षसी वृत्ति पर आधारित हो चुका है और जब ऐसी ऐसी वृत्ति हम पाकिस्तान को देखते हैं तो हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि भारत ने युद्धविराम को माना है और वह अपनी जगह पर ही है और वह अपने कदम को इतना ही उठा रहा है जहां भी इस प्रकार की कार्यवाही हो रही, उसको उसका जबाव दे रहे हैं, लेकिन आज सीमा के लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित हो चुके हैं। वह चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान घुसपैठ करता है, और गांवों को जलाता है और लोगों की लूटमार करता है और इस प्रकार की कार्यवाही करता है तो हमारी सीमा क्षेत्र के लोगों को भी हम इतना कहना चाहते हैं कि उनको भी उसी प्रकार तैयार करने का मौका दें। वहां के लोग तैयार हैं, वहां के निवासी पाकिस्तान

Page No 47

(श्री मुरलीधर व्यास)

के घुसपैठियों को जवाब देने के लिये तैयार हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाहे जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर हो, और चाहे बीकानेर हो, इस मामले में जिस प्रकार की कार्यवाही वह कर रहा है, उसी तरीके से हमारे इलाके के लोग भी कार्यवाही करने लग जायेंगे, तो किसी तरह से भी पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दे सकेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस मामले में सीमा पर जो लोग हैं, आज उनके दिलों में तमन्ना है और वे लडना चाहते हैं। तो आप उनको भी हथियार दीजिये। क्योंकि पाकिस्तान वाले तो चुपचाप धोखे में हमला करते हैं और हमारी नागरिक सुरक्षा इस मामले में खतरे में पड जाती है। इसलिए कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से आप हर क्षेत्र के अन्दर चाहे वह पंचायती क्षेत्र हो या कुछ भी हो, वहां पर आप लोगों को हथियार दे दें, ताकि वे अपने गांवों की सुरक्षा की दृष्टि से यदि कभी दस-पन्द्रह आदमी हमला करते हैं तो वह सुरक्षा कर सकें। अगर उनके पास हथियार नहीं होते हैं तो वे असहाय हो जाते हैं, इसलिए आप इस बात का आश्वासन दीजिए कि हमारी सीमा पर भी इस प्रकार के लोग तैयार रहें और आप उनको हथियार देंगे ताकि वे आत्मरक्षा कर सकें।

दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो धमकी देता है और राजस्थान के इलाके में लोगों पर हमला करके जो वह नकसान पहुंचा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वह धमकी है और वह चाहते हैं कि इस क्षेत्र के ऊपर भी आतंक छाया रहे और इसी कारण से पाकिस्तान ने यह झूठा प्रचार किया है कि हिन्दुस्तान ने राजस्थान की ओर से पाकिस्तान पर हवाई हमला किया है। मेरे विचार में पाकिस्तान इस प्रकार का प्रचार इसलिए कर रहा है ताकि वह हमारे इलाके पर भी हवाई हमला कर सके। हो सकता है कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान हमारे ऊपर हवाई हमला करे तो इस सिलसिले में, मैं कहना चाहता हूं कि अगर वह हवाई हमला करता है तो हम अपने क्षेत्र की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। इस अवसर पर हमारे नागरिक उसका जवाब देना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाये। इतना ही मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मैं उनको सदन की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले में आप दल के नेता ही नहीं, बल्कि सारे राज्य के नेता हैं। आपको एक कमान्डर भी मान लिया जाये, तो सारे लोग सिपाही की दृष्टि से जहां तक सुरक्षा का सवाल है, उसमें आगे बढने के लिये तैयार हैं। विधान सभा का प्रत्येक सदस्य अगर लडाई पर जाने के लिये आवश्यकता हो, तो जाने के लिए तैयार है। इस मामले में सिर्फ विरोधी पक्ष के लोग ही नहीं बल्कि समस्त दल के लोग इस मामले में बता दें कि सारा राजस्थान एक है और पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर सकते हैं और जो भी पाकिस्तान की तरफ से कार्यवाही हो उसका जवाब दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इस इलाके के लोगों में जहां जहां भी हों, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, उनके हाथ मजबूत करने के लिए, उनकी असहाय स्थिति को दूर करने के लिए, उनकी आत्मरक्षा के लिए पूर्ण सहयोग देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

संबंध में यह पहला निवेदन है कि जो पाक ने सीमा पर उल्लंघन किया है उसकी तुरंत सूचना भारत सरकार को दी जाये। नम्बर दो, जिन लोगों की क्षति हुई है उनको बराबर जिस तरह से पंजाब में मुआवजा दिया गया है उनको भी दिया जाये। नम्बर तीन-पाकिस्तान घुसपैठियों को गिरफ्तार करके जेलों में अनावश्यक रूप से जगह नहीं घेरी जाये और अनावश्यक रूप से उनको खाना नहीं दिया जाए, शूट-एट साइट को नीति अपनाई जाए और नम्बर चार यह कि ५० मील को बैल्ट में जो एन्टी-नेशनल एक्टीविटीज करने वाले लोग हैं उस बैल्ट को बिल्कुल साफ करके पटवारियों से लेकर, अध्यापकों से लेकर जितने भी सरकारी अधिकारी हैं जिनकी कि इन्टीग्रिटी पर डाउट नहीं हो सकता, उनको वहां पर लगाया जाये और नम्बर पांच, बात यह है कि बोर्डर पर रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक हथियार इसलिये दिये जायें कि आर. ए. सी. और हमारी सेना को काम कम करना पड़े। इन पांच बातों की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जो स्टेटमेन्ट दिया है वह काफी प्रेरणादायक है, उसके लिये मैं उनको बधाई दूंगा और खास तौर से आर. ए. सी. व फौज के जवानों को भी बधाई दूंगा, जिन्होंने युद्धविराम के बाद पाकिस्तान के नापाक मनसूबों को नाकामयाब किया है और साथ ही बाडमेर क्षेत्र में, जैसलमेर क्षेत्र में, जहां पाकिस्तानी घुसपैठिये आतंक फैलाना चाहते थे उसको दूर करने में काफी मात्रा में वे सफल हुए हैं। परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि जिन परिस्थितियों को सामने रख कर हमें इस सारे संकट के विषय में विचार करना पड़ेगा। राजस्थान में बाडमेर क्षेत्र और जैसलमेर क्षेत्र पाकिस्तान के ऐसे क्षेत्रों से लगते हैं जिस क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों की आबादी है जो कि गुरिल्ला वार के लिये अपने आप में ट्रेण्ड हैं। पाकिस्तान की फौजें काम करें या नहीं करें लेकिन आप मानकर चलें कि उन व्यक्तियों को पाकिस्तान ने काफी हथियार दे रखे हैं और उनका प्रयोग करना, हिन्दुस्तान की सीमा में घुसकर वहां की जनता को आतंकित करना, लूटना, कत्ल करना और अपहरण करने की छूट दे रखी है पाकिस्तान की सरकार ने। उस हालत में युद्धविराम के बाद, पाकिस्तान की सरकार चाहे मौखिक रूप से आश्वासन भी दे दे कि फौज के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने वाली है राजस्थान की सीमा पर यह संकट निरन्तर रूप से रहने वाला है। यह संकट इस समय हमारे सामने एक व्यापक रूप में आया है लेकिन ऐसी घटनायें युद्ध के पहले भी पाकिस्तान निरन्तर करता आरहा है। हमने उसकी रोक-थाम करने की अवश्य व्यवस्था की है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा जवाब हम नहीं दे पाये हैं कि राजस्थान की वीर भूमि में नापाक पैर रखने वाले लोगों को किस तरह का राजस्थान के लोग व्यवहार करना जानते हैं।

मुझे सूचना मिली है, उसके अनुसार, मैं बाडमेर के उन व्यक्तियों को बधाई दूंगा जिन्होंने हथियार नहीं होते हुए पाकिस्तान के मुजाहिदों को अपने छोटे हथियारों से अच्छा जवाब दिया और खास तौर से मैं बाडमेर के कलनूर गांव के मुसलमानों को बधाई दूंगा और वह सचमुच बधाई के पात्र

Page No 49

(श्री भैरोंसिंह)

हूँ कि जिन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब की सारी सीमा पर पंजाब की हुकूमत ने बिना रुपयों के शस्त्र बांटे हैं और वह इसलिये कि पाकिस्तान का इरादा जो युद्ध के अन्दर प्रकट हुआ है वह नापाक है और इस नापाक इरादे के कारण पाकिस्तान की सशस्त्र सेना ही नहीं लेकिन घुसपैठियों के रूप में पंजाब की सीमा पर निरंतर अतिक्रमण करता रहा है। इस संबंध में यदि आप रुपया चाहें तो मैं कहीं भी जाकर लाऊंगा और मैं सारे हथियारों की कीमत जमा कराने के लिये तैयार हूं। मुश्किल यह है कि आज के दिन हथियार नहीं मिलते, वह आप इकट्ठा करें। यदि जनता से धन की आवश्यकता होगी तो वह धन हम इकट्ठा करेंगे और आपके कोष में रुपया जमा करायेंगे। लेकिन मन में सोचकर चलें कि इन सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले जो लड़ सकते हैं, जो अपने पराक्रम का परिचय दे सकते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों को निश्चित रूप से जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी हथियार बांटें ताकि पाकिस्तान को वह लोग ठीक तरह से जवाब दे सकें। यह सम्भव नहीं होगा कि हम मिलिट्री और आर. ए. सी. के द्वारा ६०० मील की सीमा पर उनको मैन-टू-मैन खड़ा कर दें और जिस क्षेत्र से पाकिस्तानी घुसपैठ करें उसको डिटेक्ट कर सकें और उनको मौकों पर रोका जा सके। उनके घुसपैठ करने की कार्यवाही को हमें रोकने के संबंध में सिविल पॉपुलेशन को सशस्त्र करना पड़ेगा। इसलिये सिविल पॉपुलेशन को शस्त्र दें, तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार, पुलिस और फौज से यह भार कम होगा। मुख्य मंत्रीजी ने यह बताया कि पाकिस्तान के इन घुसपैठियों ने या सेना ने हमारे इतने आदमियों को उठाया, मार दिया, अच्छा होता वह यह भी बता देते कि पाकिस्तान के कितने लोगों को हमारी सेना ने मारा, आर० ए० सी० ने मारा और कितने लोगों को भगा दिया, यह संख्या मुख्य मंत्री जी बताते तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान को इस बात का गर्व अनुभव होता कि हम मरे ही नहीं हैं बल्कि हमने पाकिस्तानियों को मारा भी है, हमने पाकिस्तान के मुजाहिदों को और बलूचियों को पकड़ा है, उनके इतने हथियार छीने हैं, उनका इतना गोला बारूद कब्जे में किया है और इतनों को मारकर धराशायी किया है; ये बातें भी यदि बताई जातीं, तो अपनी जनता को काफी प्रेरणा मिलती। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जनता सरकार के साथ है और विरोधी दल और सरकारी पक्ष, जहां तक सुरक्षा का प्रश्न आता है, उसमें आपस में कोई मतभेद नहीं है, इसलिए सारी यूनिटी को चैनेलाइज करके जिस प्रकार से आप इसका उपयोग करना चाहें उपयोग करें, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप जिस प्रकार का मार्गदर्शन करेंगे, उसके लिए लोग तैयार हैं। हम यह सुनना नहीं चाहेंगे और पसन्द भी नहीं करेंगे कि पाकिस्तान अतिक्रमण करे और उसमें वह सफल हो जाये, वह कुछ व्यक्तियों को मार दे और कुछ को उठा कर ले जाये। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं हो सके, उसके लिए समुचित व्यवस्था हो सके, इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल एवं अमरसिंह जसोल एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : हर एक को बोलने की तो कोई आवश्यकता नहीं है ।

हर पार्टी से मुख्य मुख्य व्यक्ति बोल लें तो ठीक रहेगा । इस पर ज्यादा बहस की तो आवश्यकता नहीं है ।

श्री अमरसिंह (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि स्वतंत्र पार्टी से महारावल साहब बोल लें या जज साहब बोल लें; जैसा उचित समझें वे बोल लें ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल की ओर मुखापेक्ष) आप भी चाहें तो थोडा सा बोल लें संक्षेप में ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी सीमा के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है वह काफी संतोषजनक है । मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मुजाहिदों ने और पेरा-मिलिट्री फोर्सेज ने जिस तरह से युद्ध विराम के बाद भी घुसने की धृष्टता की थी और हमारी सेना ने और आर० ए० सी० के जवानों ने मिल कर उनकी क्षणिक घुसपैठ के बाद बडी बहादुरी से उनका मुकाबला किया, उनको मारा है और गिरफ्तार भी किया है और हमारी सीमाओं से बाहर भी निकाला है । मुझे भी उस एरिया में खुद जाने का मौका मिला है । वहां के अधिकारियों और जवानों से मिलने का मौका मिला है । मुझे यह जानकर बडी खुशी हुई कि हमारी जनता का, हमारे अधिकारियों का और आर० ए० सी० के जवानों का मनोबल पूरी तरह से ऊंचा है और बहुत ऊंचा है । वे यह कह रहे थे कि हम सोचते थे कि पाकिस्तान ने जो वायदा किया है वह पूरा करेगा लेकिन अगर वह इस तरह से हिमाकत करता है, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हमें दूसरे दिन ही खबर मिली कि जिन गांवों में उन्होंने घुसने की कोशिश की, हमारी फोर्सेज ने उनमें से काफी लोगों को पकडा है, काफी को मारा है और बाकी वहां से निकाल दिए गए । एक बात और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं और जिसके लिए वहां की जनता ने भी मुझ से कहा है कि मैं सरकार तक इस बात को पहुंचाऊं और वह यह है कि जनता हथियार चाहती है । जनता सरकार की इन सीमाओं को महसूस करती है कि इतनी बडी सीमा पर कोई मिलिट्री या कोई आर. ए. सी. दीवार की तरह खडी नहीं की जा सकती । इतनी बडी सीमा की रक्षा जनता ही कर सकती है । इसलिये सरकार को शीघ्रातिशीघ्र इस कदम को, जिसके बारे में सदन के दूसरे माननीय सदस्य ने भी कहा है कि शीघ्रातिशीघ्र, जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर और गंगानगर के तमाम जिलों में, बोर्डर के इलाकों में, जनता को आप शस्त्रास्त्र दीजिए, जनता को हथियार दीजिये और उनको संगठित कीजिये । जनता अपने आप उसकी रक्षा करेगी ।

मैं एक बात और जानना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से और वह यह कि कुछ अननोन प्लेन्स के बारे में २८ तारीख को कुछ समाचार-पत्रों में यह सूचना मिली कि कुछ अननोन प्लेन्स हमारे क्षेत्र पर उडते हुए देखे गये और उसी से कुछ हमारी सीमा के पास के शहर हैं, खास तौर पर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
जोधपुर शहर, वहां पर २८ तारीख को इसीलिए शाम को साढ़े सात बजे से वापस फिर ब्लैक आउट किया गया। इस बात की जानकारी भी इस सदन को मिले कि वह प्लेन किसका था, एनिमी प्लेन था या इस तरह की हरकत पाकिस्तान की तरफ से छिपे तौर पर या और तरीके से हो रही है, ताकि हम पूरी तरह से जागरूक हो सकें और हमारी जनता इसके बारे में पूरी तरह से आगाह होकर कार्यवाही कर सके। मैं मुख्य मंत्रीजी को यह भी कहना चाहता हूं कि जनता के अन्दर जो उत्साह है, उसके अनुसार यदि आप उनको हथियार देंगे, तो हमें किसी तरह की चिन्ता इस बारे में करने की जरूरत नहीं रहेगी कि हमारी सीमायें किसी प्रकार से असुरक्षित रह रही हैं। हमारी जनता पूरी तरह से पाकिस्तान के मुजाहिदों, पाकिस्तानी रेंजर्स और यहां तक कि पाकिस्तान मिलिट्री का भी पूरी तरह से मुकाबला करने में सक्षम हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के बयान के पश्चात् जो माननीय सदस्यों ने बातें कहीं उसका मैं समर्थन करता हूं। मेरे ख्याल से यह पाकिस्तान की तरफ से बहशियाना तरीका अख्तियार किया गया है, वह ऐसा तरीका है जो मैं कहूंगा कि कोई नई बात नहीं है और न ही आश्चर्यजनक है। इससे पहले भी माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि यह एक ऐसी आपत्ति है कि we should learn to live with this manner; हमको सीखना चाहिए इस आपत्ति का मुकाबला करना और हमको इसी तरह से रहना पड़ेगा। इसके लिए सर्व प्रथम तो सारी सीमा के क्षेत्र के अन्दर, १० मील के अन्दर तक, हमको सिविल पॉपुलेशन को, नागरिकों को हथियारबद्ध करना चाहिए। यह आसान काम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर दूरदर्शिता के रूप से देखा जाय तो यही एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जो सदा के लिए हमको सीमा की सुरक्षा के लिए दे सकते हैं, इसके सिवाय जनता के मोरल को कायम रखने के लिए और कोई मौजूद चीज नहीं हो सकती। सरकार हर तरह से उचित कदम उठा रही है और उठाएगी। जहां पर जिस किसी का नुकसान हो, सिविल अथोरिटीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को फौरन जाकर सहानुभूति प्रकट करना चाहिये और हर तरह से सहयोग दें और कष्ट निवारण के लिए जो कुछ यथा-सम्भव हो सके, उस तरह से करें। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां तक कि राजस्थान क्षत्रिय महासभा का प्रश्न है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रश्न है, हमारा यह पुनीत कर्तव्य है कि मातृभूमि की रक्षा के अन्दर तन, मन, धन से जो कुछ भी सरकार का सहयोग कर सकें, करें। मैं मुख्य मंत्रीजी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान क्षत्रिय महासभा और अखिल भारतीय वैश्य क्षत्रिय महासभा का प्रश्न है हम तन, मन धन से तैयार हैं और हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे सरकार का हाथ मजबूत करने में और जो बहशियाना तरीका हमारे पड़ौसी ने अख्तियार किया है उसका हौसला पूरी तरह से पस्त करने में। जो सदन की भावना चारों तरफ से व्यक्त हुई है मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं और राजस्थान सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि हर तरह से मेरा दल और क्षत्रिय महासभा सरकार का सहयोग करने के लिए निरन्तर तत्पर हैं।

Page No 52

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय अध्यक्षजी, आपकी इजाजत से हमारे इलाके में १५ तारीख को जो हिन्दूमलकोट और मदेरा के आस-पास के इलाके में पाकिस्तान के आक्रमण से जो बातें हुई हैं मैं उनकी थोडी सी जानकारी सदन को देना चाहता हूं ।

१५ तारीख को उनका आक्रमण हुआ और हिन्दूमलकोट और मदेरा के इलाके में वे लोग घुस आए, उनमें से दो बिलोची थे, वे इतने कमजोर और डरपोक थे कि एक गीतराम नामक गाय चराने वाले लड़के ने उनसे हथियार डलवा दिए । जब उस गीतराम ने उसे कहा कि हाथ खड़े कर दो नहीं तो गोली मार दूंगा तो ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमको मत मारो, अल्लाह के नाम पर हमको मत मारो, हम सब बात बता देंगे । यह बात दूसरी है कि उनको गोली मार दी गई और मारा भी किसने ? जो एक हरिजन था और जो अपने खेत में रात को पानी लगा रहा था. . . . . . .

(४.०० म. प.)

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : २-४ को सदन में लाकर सदन की मेज पर रख देते ।

श्री केदारनाथ : हिन्दूमलकोट में जो इन्ट्रूजन हुआ तो उस वक्त मैं वहां पर नहीं था, पर पता चला और ताज्जुब हुआ कि हमारी आर. ए. सी. ने और जो थोडी बहुत जो विलेज फोर्स है, उसने मुकाबला किया और आधा घंटे में १० मील चल कर हमारी फौज वहां पहुंच गई और उसने टेक ओवर कर लिया । तो सारी फोर्सेज ने मुस्तैदी से काम किया । वहां के लोगों का मोरल देखने का वक्त नहीं था । ढाई घंटे तक वहां पर गोलियां चलीं और इसमें हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ जब कि पाकिस्तान के कई लोग मारे गये । ३ बजे रात के जब वे मुजाहिद वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा और उससे कहा कि हमारे साथ चलो । तो उसने कहा कि साथ में पहुंचा देते हैं । तो वे बच्चे को ले जाते हैं और बच्चे को बीच में रख देते हैं और दोनों तरफ उसके मुजाहिद चलते हैं और वह भी संगीन ताने हुए उनके पास ऑटोमेटिक गन्स थीं और हरेक के पास २००-२०० कारतूस थे और एक मौलवी के नाम से कुरान का कुछ लिखा हुआ था, कि आपको भेजा जा रहा है कि हिन्दुस्तान में जाओ, लूटो और खाओ । उनको इस तरह से खुदा का पैगाम दिया जाता है । एक आदमी उनको घर ले जाता है और गांव में उसको लाते हैं और जब वे घिर जाते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह के लिए हम को मत मारो । मैंने उनसे खुद ने इन्टरोगेट किया था, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से १५०० आदमी आये हैं और इस तरीके से आये हैं और हम से कहा गया था कि हिन्दुस्तान में इस तरह के लोग हैं । हमें नहीं मालूम था कि हिन्दुस्तान के लोग इतने मजबूत हैं । इस तरह से मैंने खुद ने इन्टरोगेशन किया . . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने उनके जूते क्यों नहीं लगाये ?

श्री केदारनाथ : आप बन्दूकें बांटें । सरकार ने बांटे हैं; कारतूस भी व शस्त्र भी । लेकिन मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि बोर्डर एरिया को लैण्ड रेवेन्यू से एग्जम्प्ट कर दिया जाय, उनकी कर्जे की किश्तें सस्पेंड कर दें, वाटर रेट्स हैं उनको सस्पेंड

(श्री केदारनाथ)

कर दें। जैसा मनोबल लोगों ने दिखाया है, तो सरकार की तरफ से यह प्रयास होना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनको मोबिलाइज करने का प्रयास किया है इसलिये वे बधाई के पात्र हैं। यह थोडी सी बात करें तो फिर हम जानें और मुजाहिद जानें। यह सीधी सी बात है।

श्री अमरसिंह (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे इजाजत फर्माई उसका मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं इसमें न जाकर कॉन्क्रीट फेक्ट्स अर्ज करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह फर्माया कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने बडा प्रशंसनीय काम किया है। इसकी मुझे खुशी है और बधाई देता हूं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने सुना है कि हमारे इलाके में कई गांव जलाये हैं और कई मनुष्य हताहत हुए हैं। आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेजर मैलकम ने एक गजेटियर बनाया है मालानी और जैसलमेर का। तो यह मालानी और जैसलमेर का इलाका अब आपके सामने है जहां पर कि पाकिस्तान वाले उत्पात कर रहे हैं। उसके संबंध में यह रिपोर्ट है :

> "Inhabitants of this area are more ferocious, lawless and fight lovers than the neighbouring khosas of Sind."

अगर ये चार गांव जला सकते हैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके हाथ में ऐसा एलीमेंट है जो कि खुशी से अपने देश की सेवा कर सकेगा। वे उनके ४० गांव जला सकते हैं। ये अगर हमारे चार आदमी मार सकते हैं पाकिस्तान वाले, तो हमारे आदमी उनके १०० आदमी मार सकते हैं। आवश्यकता है कि इन तत्वों को अपनाया जाय, उनकी पीठ थपथपाई जाय और उनके लिए आवश्यक सामग्री तैयार की जाय, जिससे कि वे अपना जौहर दिखा सकें। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह नहीं फर्माया जिसकी कि आवश्यकता थी। उन्होंने उस एलीमेंट को बुलाकर नहीं कहा कि देश पर आपत्ति है, तुम क्या करते हो और तुम को क्या करना चाहिए ? मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को उनको बुलाकर पूछना चाहिए था और उनको तत्पर करके, जैसे चीते को छोडते हैं हिरणों के झुण्ड पर, उस तरह से उनको छोडना चाहिए। अगर यह करते हैं तो इस बोर्डर के लिये, हमारे इस क्षेत्र के लिये आप बिल्कुल निश्चिन्त रहें। आर्मी का मुकाबला तो आर्मी ही करेगी, जैसे कि टैंक्स हैं, मशीनगन्स हैं या उनकी आर्म्ड यूनिट्स और ट्रेन्ड फोज है उसका मुकाबला हमारी फोज ही करेगी। लेकिन यह जो मुजाहिद हैं या घुसपैठ करने वाले आ गये है, उनसे तो, मैं समझता हूं वे ही निपट सकते हैं। हमारे रिसोर्सेज को आप पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करें।

एक माननीय सदस्य ने फर्माया कि यहां पर हथियार देने की बहुत आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा कि मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन थोडी सी क्लॉज रखना चाहता हूं कि डिस्क्रीशन के साथ में हथियार देने चाहिए। क्योंकि हथियार देने के बाद हमारे बोर्डर पर कई ऐसे आदमी होंगे, मैं नहीं कहता और न किसी पर आक्षेप करता हूं, पर मैं यह मानकर चलता हूं कि वे पेट्रियोटिक हैं। चाहे किसी कौम के हों, मजहब के हों, देशद्रोही नहीं हैं, देशहितैषी हैं, यह मानकर चलता हूं; लेकिन

(श्री अमरसिंह)

discretion is better part of valour. यह मानता हूं। जिनकी फिडेलिटी पर हमें सस्पीशियन नहीं हो, उनको शीघ्रातिशीघ्र शस्त्र दें और देने के साथ साथ उनको कहना चाहिये कि हम तुम पर विश्वास करते हैं और तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है और देश तुम्हारी तरफ देखता है, तो मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आपको परेशानी नहीं होगी और हम यहीं के यहीं इनको खत्म कर देंगे। They will rise to the occasion and they will give good account of themselves.

एक मैं यह भी निवेदन करूंगा, यह मैं नहीं समझता कि इस वक्त यह कहने की है कि नहीं, लेकिन मैं यह आवश्यक समझता हूं कि दूरदर्शिता इसमें होगी, बुद्धिमत्ता इसमें होगी, यह सीलिंग वाला जो कानून है उसको स्थगित करवा दें, क्योंकि यह बात दिल पर असर किये बगैर नहीं रह सकती है। तो इस भावना को दूर करने के लिये कि हम से सब कुछ करने के लिये कहें और आप कुछ न करें, यह सीलिंग का कानून जो है, उसको स्थगित करा दें.......

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : तो इससे भूमिहीनों के दिलों को ठेस पहुंचेगी जो कि इन्तजार कर रहे हैं कि उनको जमीन मिलेगी।

श्री अमरसिंह : आवश्यकता इस बात की है कि आदमियों को अपनाने की जरूरत है, उनको छाती से लगाने की जरूरत है, उनके दिल बढाने की जरूरत है, उनको शस्त्र देने की जरूरत है, ताकि फिर इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं रहे और राजस्थान की भूमि पर किसी घुसपैठिये को कदापि हावी नहीं होने देंगे और मनमानी नहीं करने देंगे। यह मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर यह जानकारी चाही थी और माननीय सदस्य उत्सुक थे कि हमारी फौज और आर० ए० सी० के जरिये कितनी क्षति पहुंचाई गई पाकिस्तान को, तो उसके ठीक आंकडे तो मेरे पास इस वक्त उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन मैं इतना निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि जो लोग अस्पतालों में थे और दूसरे फौज के या हमारे आर० ए० सी० के अफसरों से जो कुछ भी मेरी बातचीत हुई है तो पाकिस्तान रेन्जर्स और मुजाहिद काफी मारे गये हैं और कई को पकडा गया है। पकडे हुए पाकिस्तानी मुजाहिदों को ही नहीं, पाकिस्तानी रेन्जर्स को आप देखना चाहें तो हमारे चौहटन के थाने में वे बैठे हुए हैं वहां जाकर आप देख सकते हैं कि उनकी क्या हालत है।

(करतल-ध्वनि)

लेकिन, माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहूंगा कि यहां पर यह जो कहा गया है कि हम ५० मील के बोर्डर को खाली करा दें या इस प्रकार की कार्यवाही कर दें..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : खाली कराने का नहीं कहा है। यह कहा है कि ५० मील के अन्दर लोगों को शस्त्र दिये जायं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : शुरू में यह कहा गया था कि ५० मील के बोर्डर को खाली करा दें तो मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि कोई भी बोर्डर को खाली करने का प्रश्न

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
नहीं है और न हमें अविश्वास करके चलने का कारण है ।

दूसरी बात जो यहां पर यह कही गई कि हम आर्म्स दें कि हमारे लोग वहां जाकर वहां की जनता को लूट सकें या मारपीट कर सकें . .

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : For self defence.

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : आपने नहीं कहा था ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सब को जवाब देना पडता है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं समझता हूं आम तौर से इस सदन की भी यह नीति है कि हम लोगों का झगडा पाकिस्तान की हुकूमत से है, पाकिस्तान के फौजी तानाशाह और फौजी ताकत से है, न कि पाकिस्तान की जनता से ।

(हियर हियर)

वे जो हमारे यहां आकर जुल्म और ज्यादती करते हैं, भारतवर्ष यह हर्गिज नहीं करना चाहता कि वहां जाकर नागरिकों के साथ लूट-मार करे और इस प्रकार की घटना को प्रोत्साहन दे ।

जहां तक सीमावर्ती लोगों को आर्म्स देने और ट्रेनिंग देने का सवाल है, मैं सदन में विस्तार से बताऊं, यह उचित नहीं होगा । इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, इतना ही कहना पर्याप्त होगा ।

(करतल–ध्वनि)

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह बताया कि जो प्लेन्स अनआइडेन्टिफाइड २८ तारीख को आये, वे कहां के थे, किस जगह के थे, इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है लेकिन हमारे एयर फोर्स के पास इस तरह की सूचना आई थी कि कुछ अनआइडेन्टिफाइड प्लेन्स राजस्थान की सीमा में भीनमाल और जालोर की तरफ से, जिस तरफ से, आम तौर से जोधपुर पर बंबार्डमेन्ट होता था तब प्लेन्स आया करते थे, उसी तरफ से प्लेन्स के आने के बारे में संकेत प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, उसी दिन शाम को रेडियो में जिक्र किया गया था कि भारतीय हवाई जहाजों ने उन पर बंबार्डमेन्ट किया और उस पर कदम उठाया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि बाडमेर और जैसलमेर, दोनों जगह, के अधिकारियों को, मैं कह कर आया हूं कि जिन व्यक्तियों को पाकिस्तान के आक्रमण के कारण घर छोडना पडता है या उनको आर्थिक हानि या और तरह की हानि होती है, उनको तत्काल रिलीफ दे दिया जाय, जो भी हानि हो उसकी जानकारी करके सरकार के पास भेजें ताकि उचित मुआवजा दिया जा सके। आज जो हानि हो रही है, चाहे डकैती के नाम पर की गई हो, अथवा किसी नाम पर हो, यह स्वतंत्रता के खिलाफ संघर्ष के दौरान निश्चित तौर से उठानी पडेगी; यह सरकार मानती है और आवश्यक रिलीफ की बात होगी वह उनको दी जायगी ।

(१.१२ म० प०)

दैनिक पत्र-'लोकवाणी' के कर्मचारी की भूख हडताल विषयक शासकीय वक्तव्य एवं उस पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : दैनिक पत्र "लोकवाणी" के एक कर्मचारी के भूख हडताल के बारे में जो वक्तव्य देने की बात थी उस बारे में

(श्री अध्यक्ष)
श्रम मंत्रीजी ने जानकारी कर ली है और वे अपना वक्तव्य देंगे ।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, श्री सुगनचन्द जैन, लोकवाणी सोसाइटी में कैशियर-कम-एकाउन्टेन्ट की हैसियत से कार्य कर रहे हैं। सोसाइटी अभी तक लिक्वीडेशन में नहीं गई है । हालांकि सोसाइटी के बन्द करने का नोटिस जुलाई मास में लगाया गया है। श्री सुगनचंद ऐसी परिस्थिति में न तो सोसाइटी के वर्किंग जर्नलिस्टों में आते हैं, और न ही प्रेस कर्मचारियों में । सोसाइटी का दफ्तर अपना अलहदा है । इसे कॉनूनन शॉप्स व कॉमर्शियल एस. एक्ट के तहत लिया जा सकता है । शॉप्स एण्ड कोमर्शियल एस. पर पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट सरकार ने विगत माह से लागू किया है । इस एक्ट के तहत श्री सुगनचन्द के क्लेम पेमेन्ट ऑफ वेजेज ऑथोरिटी के सामने दायर करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जा रही है। श्री सुगनचन्द के कथनानुसार ७३१) वेतन बकाया तथा प्रोवीडेन्ट फंड की रकम का भुगतान बाकी है । सोसाइटी ने २३-७-६५ तक कर्मचारियों के बकाया रकम के भुगतान के बारे में स्टेटमेन्ट तैयार कर भिजवाने का आश्वासन दिया था। अभी तक श्री सुगनचंद को यह स्टेटमेन्ट भी प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव प्रोवीडेन्ट फंड की वास्तविक रकम आंकी नहीं जा सकती ।

रीजनल प्रोविडेन्ट फंड कमिश्नर, राजस्थान ने सोसाइटी के समस्त कर्मचारियों के प्रोवीडेन्ट फंड की रकम की वसूली का केस जिलाधीश, जयपुर के समक्ष पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट के तहत पेश कर दिया है तथा सरकार ने प्रोवीडेन्ट फंड की बकाया रकम न देने के अभियोग में प्रोसीक्यूशन करने की स्वीकृति दे दी है ।

वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का यह आरोप है कि सोसाइटी ने जो कार्य बन्द किया है वह बदनीयती से किया गया है । इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है और दोनों पक्षों को ६-१०-६५ को श्रम सचिव के सामने बुलाया है ।

श्री सुगनचन्द को श्रम विभाग द्वारा कानूनी स्थिति से भी अवगत करा दिया गया है । प्रतिदिन श्रम विभाग के अधिकारी बार बार उनसे सम्पर्क स्थापित करते रहे हैं और उन्हें समझाते रहे हैं कि वे भूख हड़ताल वापिस लेकर अपने क्लेम के भुगतान के लिये कानूनी रास्ता अपनायें । उक्त स्थिति के स्पष्ट करने के बाद भी उन्होंने क्लेम दायर नहीं किया । उक्त संबंध में हर संभव कानूनी कार्यवाही की जा रही है । श्री सुगनचन्द को अपनी भूख हड़ताल तोड़ देनी चाहिये जो आज संकटकालीन स्थिति में अवांछनीय है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अंत में कहा कि श्री सुगनचन्द जैन को भूख हड़ताल तोड़नी चाहिये । प्रश्न यदि सुगनचन्दजी का अपना ही होता तो हड़ताल वे तोड़ देते । लेकिन लोकवाणी में, जिस प्रकार की प्रथा चली है, उसके संबंध में पहले भी सदन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है । जिस प्रकार लोकवाणी के मालिकों ने एक सोसाइटी को खत्म करके दूसरी की रचना की है, उसका मुख्य लक्ष्य यह रहा है कि वहां के कर्मचारियों का प्रोविडेन्ट फंड और वेतन मारा जाय । इस ओर श्रम विभाग ने मजबूती से कदम नहीं उठाया बल्कि खेद से कहना पड़ता है कि

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
राज्य सरकार के लोगों ने लोकवाणी के मालिकों को प्रोत्साहित किया है केवल इसालये कि लोकवाणी की चर्चा अनेक बार आई है, अनेक बार वेतन का प्रश्न उठाया गया है, अनेक बार भूख हडताल हुई है, श्री प्रवीणचन्द्र छाबडा ने और दूसरों ने भूख हडताल की है। केवल एक दृष्टिकोण को लेकर उसके मालिक चल रहे है कि वे अपने कर्मचारियों की मेहनत पर डाका डालें, उनके वेतन के एरियर्स और प्रोविडेन्ट फंड के मसले को हल नहीं करें। श्रम विभाग ने मामला प्रोविडेन्ट फंड ऑफिसर के पास भेज दिया या और कार्यवाही कर दी, ये सारी बातें श्रम मंत्रीजी कह रहे हैं सदन में! लेकिन आज तक श्रम विभाग ने सारे फॉड को जो लोकवाणी में प्रिवेल करता रहा है, और मालिक फॉड और शेष कार्य करते रहे, श्रम विभाग की ओर से कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया। मैं स्पष्ट कह देता हूं कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने वाला है। समस्त कर्मचारियों या अधिकतर कर्मचारियों की सैलेरीज और दूसरे प्रश्न आते हैं। उस पर विभाग ने ध्यान नहीं दिया है। इसीलिये आज सुगनचन्दजी को भूख हडताल करनी पडी है, उनका स्वास्थ्य बिगड चुका है। उनकी दशा मृत्यु के समीप पहुंच चुकी है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस समय सरकार मजबूती से कदम उठा कर लोकवाणी के मालिकों को मजबूर करे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, लोकवाणी का सवाल कई बार सदन में आया है। मंत्री महोदय भी अपनी ओर से स्टेटमेन्ट देने के आदी से हो गये हैं और वे ऐसा महसूस करते हैं कि इस विभाग के लिये स्टेटमेन्ट देना ही पर्याप्त है। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार इस मामले में जिस गंभीरता से सरकार को निर्णय लेना चाहिये था, वह नहीं लिया; सारे विवाद में हस्तक्षेप करके मिटाना चाहिये था, उस प्रकार की कार्यवाही सरकार की ओर नहीं हो सकी।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की चैरिटेबिल संस्थाएं राजस्थान में कई हैं और चैरिटेबिल संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन विश्वास के आधार पर होता है और इस चैरिटेबिल संस्था में, प्रोविडेन्ट फंड का झगडा आज से नहीं कई वर्षों से चला आ रहा है। श्रमिकों को निरंतर शिकायत रही है, कि उनके वेतन में से, जो कटौती पी. एफ. की होनी चाहिये वह निरंतर की जाती है, लेकिन मालिकों को जितना पैसा इसमें जमा करना चाहिये वह जमा नहीं कराया जाता, बल्कि जो कुछ कटौती होती है, उसको भी नियम के अनुसार तुरन्त जमा जहां करना चाहिए वह जमा नहीं कराया जाता। मैं समझता हूं, यह अपने आप में एक काग्नीजेबल ऑफेन्स है। यदि सरकार इस ऑफेन्स को लेकर आरंभ से ही कोई कार्यवाही करती, तो एक तो इस सोसाइटी का ही काम नहीं सुधरता बल्कि बाकी को जो सोसाइटीज है, जिनके अन्दर प्रोवीडेंट फंड का झगडा चलता आ रहा है, वह भी इस प्रकार कार्यवाही को करने से रुकतीं। लेकिन समझ में नहीं आता, सरकार क्यों इस प्रकार की रियायत एक सोसाइटी के साथ कर रही है और बाकी की सोसाइटीज को भी इस प्रकार का लाभ उठाने दे रही है?

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने यह कह दिया कि भूख हडताल जो व्यक्ति कर रहा है, वह अवांछनीय है। लेकिन जिन्होंने इस भूख हडताल को करने के कारण दिये हैं उनकी कार्यवाही कितनी अवांछनीय है, इस संबंध में सरकार कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, हमारे लेबर डिपार्टमेंट ने मेलाफाइड क्लोजर है, इस बात के लिये सरकार को लिखा था ट्रिब्यूनल को रैफर करने के लिए। लेकिन यह मामला ट्रिब्यूनल को रैफर किया जाय, इसके संबंध में कार्यवाही पूर्ण नहीं कर पाये बल्कि अभी कार्यवाही कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप लेबर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, और आपके लेबर डिपार्टमेंट ने बहुत पहले आपको इस संबंध में लिख कर दे दिया था, कि १५ जून को जो क्लोजर किया गया है वह मेलाफाइड है। यह ट्रिब्यूनल को रैफर करना चाहिए। आप इस मामले को दबा कर क्यों बैठे रहे? क्यों नहीं आपने ट्रिब्यूनल को रैफर किया? आप जिन कार्यवाहियों का आज संकेत करते हैं वे कार्यवाहियां क्या पहले नहीं हो सकती थीं? आपकी क्या ऐसी मजबूरी थी जिसके कारण आज लेबर को भूख हडताल करनी पडी। इसके साथ ही उस भूख हडताली के प्रति सहानुभूति दर्शाने के स्थान पर यह कहा जाय कि उसकी भूख-हडताल अवांछनीय है, तो मैं समझता हूं कि यह लेबर मिनिस्टर के लिए शर्म की चीज है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि यदि आप इस सोसाइटी के बारे में तत्काल कार्यवाही करते तो आपको इसकी असैट्स और लाएबिलिटीज के बारे में जानकारी होती। आज जिस समय फैक्ट्री का क्लोजर होता है, और किसी प्रकार की सोसाइटी का क्लोजर होता है तो कानून के अनुसार यह आवश्यक है कि पन्द्रह दिन के अन्दर वह स्टेटमेंट ऑफ अकाउण्ट्स उन लेबरर्स को दें, लेकिन वह स्टेटमेंट ऑफ अकाउण्ट्स आज तक लेबरर्स को नहीं दिया गया। उसके असैट्स धीरे धीरे डिस्पोज ऑफ होते जा रहे हैं, पिछले दिनों में असैट्स कई लोगों को डिस्पोज ऑफ किये गये हैं, यह सरकार की नालेज में है। ऐसी स्थिति में यदि कल जाकर यह निर्णय होता है कि मजदूरों की बकाया सोसाइटी के ऊपर इतनी है तो उस बकाया का भुगतान उसी सोसाइटी के असैट्स से होगा। लेकिन आज सरकार की अकर्मण्यता के कारण वह सोसाइटी अपनी असैट्स को डिस्पोज ऑफ कर देगी, तो जो एवार्ड होगा, तो पी. डी. आर. के मातहत या अन्य किसी के मातहत उसकी रिकवरी का झगडा खडा होगा। यह झगडा खडा नहीं होता यदि सरकार इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करती।

मैं आज भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, आज यहां पर खडे होकर कह दें, प्रोवीडेंट फंड के पैमेन्ट के बारे में, स्टेटमेंट आफ अकाउण्ट्स के बारे में, इस मामले को ट्रिब्यूनल को रैफर करने के बारे में, सोसाइटी के असैट्स का डिस्पोजल नहीं हो सके—इस मामले में सदन में खडे होकर वह गारण्टी दे दें तो जो व्यक्ति भूख हडताल पर बैठा है, उसको कोई मरने का शौक नहीं है, वह सरकार के इन कारनामों को प्रतिरोध करने के लिए, सरकारी कारनामों के विरोध में बैठा है। आप यह आश्वासन देकर देखें, कि जो व्यक्ति भूख

(श्री भैरोंसिंह)

हड़ताल पर बैठा है, वह भूख हड़ताल छोड़ता है या नहीं। एक तरफ आप आश्वासन नहीं देते हैं, और दूसरी तरफ भूख हड़तालियों को आप अवांछनीय हरकत करने वाला बताते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। माननीय श्रम मंत्री चाहते हैं कि उसकी भूख हड़ताल तोड़नी है, भूख हड़ताल करना उनकी दृष्टि में अनुचित है कानूनन, लेकिन सोसाइटी की कार्यवाहियों के विरोध में जो भूख हड़ताल की है वह उचित है— इसलिए उसकी जो मांगें हैं, जिनको आपने स्वीकार भी किया है, उनको आप तुरन्त इम्प्लीमेंट करायें और तुरन्त उन पर कार्यवाही हो जायगी, इतना आश्वासन आप यहां पर खड़े होकर दे दीजिये, फिर देखिये कि आपके आश्वासन का क्या परिणाम निकलता है? लेकिन आपका यह आश्वासन नहीं देना अत्यन्त अवांछनीय है और मैं समझता हूं कि यह आपके लिए शर्म की चीज है और मजदूरों के लिए आपका यह कदम बिल्कुल अवांछनीय है। आप इस अवांछनीय कदम को उठाना बन्द कीजिये और जो कार्यवाही आपको करनी चाहिए, उसको करने के लिए आप तुरन्त आश्वासन दीजिये।

(१.२५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस भूख हड़ताल के संबंध में संकट काल का नाम लिया है, एक ऐसा स्टैण्ड लिया है, जिसे मैं समझता हूं, एक लेबर मिनिस्टर के लिये हर्गिज उचित नहीं है और शर्म की बात है। जो डिपार्टमेंट एग्रीमेंट हुआ है—जिसमें लेबर, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट दिया है, उसके अनुसार यह स्थिति नहीं है कि लेबर अपनी समस्या को उठायेगा नहीं बल्कि लेबर अपनी समस्या को उठायेगा और सरकार उसको बहुत थोड़े समय के अन्दर हल कर देगी। यह नहीं कि मालिक को ऐसा खुला हाथ दे दिया जाय और लेबर रोता रहे और मालिक उसकी सुनी अनसुनी कर दे। मैं माननीय श्रम मंत्री से कहना चाहता हूं, अगर वास्तव में इन सज्जन, श्री जैन, का पेमेण्ट सरकार कराना चाहती है, तो उसके पास पेमेण्ट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत एम्पल पॉवर्स है, इस एक्ट के तहत एक अवधि के अन्दर पेमेण्ट न करना, अपने आपमें ऑफेन्स है, और इसके लिए न केवल एक कॉर्पोरेट बॉडी जिम्मेवार है बल्कि उस कॉर्पोरेट बॉडी के मैनेजर, डाइरेक्टर, डाइरेक्टली जिनके हाथ में मेनेजमेंट है, पर्सनली जिम्मेवार हैं, वह पर्सनल तौर पर अपनी पर्सनल प्रोपर्टी तक से पेमेण्ट करने के जिम्मेवार हैं। एक तरफ यह क्रिमिनल लाएबिलिटी है और दूसरी तरफ यह सिविल लाएबिलिटी है। आप पेमेण्ट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत उस पर मुकदमा चला कर उसको अरेस्ट कर सकते हैं, आप गिरफ्तार कर सकते हैं श्री सुधाकर शास्त्री को, जो व्यवस्थापक हैं, डाइरेक्टर हैं, और उनको एकदम पेमेण्ट करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। एक श्रम मंत्री के नाते आपको संकट काल का ख्याल होता, आपको यह ख्याल होता कि एक मजदूर को इतने अर्से से तनख्वाह नहीं मिल रही है,

(श्री भैरोंसिंह)
उसके साढे सात सौ रुपये चढे हुए हैं, वह अपने बाल-बच्चों को कहां से खिलायेगा, तो आप पेमेण्ट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत उनके खिलाफ एक्शन लेते। मैं समझता हूं कि आज भी अगर आप एक्शन लें, तो कल उसका फौरन पेमेण्ट हो जायगा। यह हो सकता है कि सोसाइटी के पेमेण्ट के कुछ अकाउण्ट्स तैयार नहीं हों, लेकिन सुधाकर शास्त्री, जो एक व्यवस्थापक हैं, डाइरेक्टली उनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर आप एक्शन लें तो चार मिनट के अन्दर पेमेंण्ट फौरन हो जायगा (हियर-हियर) और फिर भूख हडताल करने का सवाल पैदा नहीं होता है।

दूसरे किसी भी कर्मचारी का वेतन उस संस्थान की असैट्स के ऊपर फर्स्ट लाए-बिलिटी होती है, फर्स्ट चार्ज होता है, इसको एन्स्योर करने की तरफ अभी तक आपने कोई कदम नहीं उठाया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जैसा माननीय सदस्यों ने पहले भी कहा—एक अजीब स्थिति है—एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है वह बाकायदा एक कदम उठा कर लोगों के एरियर्स, अपने कर्मचारियों के एरियर्स का पेमेंट न करे, प्रोवीडेंट फंड का पेमेण्ट न करे, प्रोवीडेंट फंड का जो पैसा जमा है, उसका दुरुपयोग करे—तो बजाय इसके कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाय, वह शख्स जो कि सारी गडबडी कर रहा है, वह एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाये, और सरकार की तरफ से इस तरह के फ्रॉड को रोकने के बजाय हमारे मुख्य मंत्री उस संस्थान का उद्घाटन करने के लिए खुद शामिल हों; इस तरह से एक खुला प्रोत्साहन वैसे लोगों को है जो मजदूरों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। और मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हम समझते थे, इस संकट काल में जिस तरीके से मजदूरों ने अपनी सब तरह की कुर्बानी करके भी, अपनी समस्याओं को दूसरी तरफ रख कर संकट काल में देश का साथ दिया है, हम अपनी सरकार के नेताओं से उम्मीद करते थे, वे भी अपनी निजी स्वार्थों को दूर रख कर, इस तरीके से मजदूरों को न्याय देंगे। आज यह बात किसी से छिपी नहीं है। सदन में इस प्रकार का जिक्र पहले भी आया है— कैप्टिन हकीकतुल्ला खां का केस माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ चल रहा है, उसमें सुधाकर शास्त्री विटनेस हैं, एक इम्पोर्टेन्ट विटनेस हैं, उस विटनेस को अपने पक्ष में करने की दृष्टि से गैर कानूनी दृष्टि से उनको रियायत दी जा रही है, उसके साथ बख्शीश की जा रही है और मजदूर और कर्मचारी भूख हडताल करें, उसके कारण उनके खिलाफ एक्शन न लेकर उनकी भूख हडताल को अवांछनीय कदम बताया जा रहा है। मैं माननीय श्रम मंत्री से कहना चाहूंगा, वह फौरी तौर से इस तरीके से आज और कल में प्रयत्न करके कहें, दो दिन का समय दें और फौरन सुधा-कर शास्त्री सारी स्थिति बतायें और दो रोज में पेमेन्ट कर दें। उनको कानूनी तरीके से आप मजबूर करें और पेमेन्ट न करना अवांछनीय है, उसमें जिम्मेदारी सुधाकर शास्त्री की है, सोसाइटी की है और उन लोगों की है, जिनकी पेमेन्ट करने की जिम्मेदारी है। यह कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, जो भूख हडताल से मर रहे हैं और जिसके साढे सातसौ रुपये का नॉन-पेमेन्ट रहा है। मैं निवेदन करूंगा, सरकार इस बारे में अपनी जिम्मेदारी को

(श्री भैरोंसिंह)

महसूस करे और जो पीनल लाएबिलिटी है, उसके तहत कार्यवाही करेगी और सिविल लाएबिलिटी के तहत फौरन कार्यवाही करके पेमेन्ट कराएगी और जो लोकवाणी में षडयंत्र रचा जा रहा है, उसको सफल नहीं होने देगी, उसको कामयाब नहीं होने देगी ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : काफी हो गया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य ढाबरियाजी का स्थगन-प्रस्ताव था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक आदमी की जिन्दगी का सवाल है, आप छोटा सा सवाल मान रहे हैं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में हमारे सरकारी मंत्रीजी की ओर से जो जवाब दिया गया है..

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दू कि अधिकांश जब इस प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं तो अपने आप स्पष्टीकरणात्मक रवैया अपनाया जाता है और बाकायदा भाषण नहीं होते । इसलिए वक्तव्य नहीं होना चाहिए ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पहले माननीय सदस्यों ने अपने भाषण दिये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सबसे पहले वक्तव्य शुरू किया गया उसकी मैंने इजाजत दे दी लेकिन अगर इसी तरह से परम्परा वक्तव्य देने की कायम रहेगी, तो यह उचित नहीं होगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे दूसरों को भी मौका मिलता है । मैं तो केवल आपसे इस संबंध में सहयोग की प्रार्थना करता हूं । यदि हम विधि-विधान के अनुसार कार्य करेंगे, तो किसी प्रकार की किसी को शिकायत नहीं होगी और अगर हम विधि-विधान के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो हमारे पर ही आक्षेप आता है कि फलां व्यक्ति को समय दिया गया और फलां व्यक्ति को समय नहीं दिया गया । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आप मुझे इस बात का अवसर नहीं दें कि खामोख्वाह किसी को विधि-विधान के अनुसार कार्य करने के लिये चेतावनी देने की आवश्यकता पड़े ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अभी लोकवाणी के कर्मचारियों के वेतन के बारे में, एक कर्मचारी जो भूख हडताल कर रहा है उसके बारे में हमारे श्रम मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है और जो बातें कही हैं, उनको सुनने के बाद मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि संकटकालीन स्थिति में भी हमारे श्रम मंत्री और देश के श्रम विभाग मालिकों का पक्ष लेते हैं और मालिक परस्त हो रहे हैं, और मजदूरों के खिलाफ हैं और वह इसलिये है कि जून के मध्य में यह सोसाइटी, इस लोकवाणी में, बन्द कर दी थी । आज ३।। महीने होते हैं और फिर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और उसके फलस्वरूप मजबूर होकर मजदूर को भूख हडताल करनी पडी । वह आज ८ दिनों से भूख हडताल कर रहा है । उसको तो आप अनुचित कहते हैं और जिन लोगों ने सोसाइटी को दिवालिया बना दिया और खुद मालदार

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

हो गये और आज एम्बेसेडर कार में फिर रहे हैं उनकी यह हिम्मत है और हमारे श्रम मंत्री जो वर्ल्ड में श्रम की कॉन्फ्रेन्स में जाकर आये हैं, उनका फेवर करते हैं। मैं यह कहूंगा कि हमारे श्रम मंत्री क्या वहां से यही सीख कर आये हैं कि मालिकों के पक्ष में और श्रमिकों के विरोध में कार्य किया जाए? बजाय इसके कि मालिकों को मजबूर किया जाये कि जो भी मजदूरों के पैसे उनमें बाकी हैं वह उनको पे करें, और उनकी जो भी सम्पत्ति उनके पास हो उसको जब्त करके उससे उनको पेमेन्ट करने की कार्यवाही करें। न कि आज मजदूर अपने पैसों के लिये भूख हड़ताल कर रहे हैं उसको आप गैर-कानूनी घोषित कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इस तरह की बात सोशियल गवर्नमेंट में श्रम मंत्री को कहना शोभा नहीं देता। इसलिये मेरा यह प्रश्न है कि आपने जून से लेकर अब तक किन किन को नोटिस दिया और कार्यवाही करने की कोशिश की? और ७०० और कितने ही रुपयों की डिमाण्ड है, सोसाइटी की कौन कौन सी प्रोपर्टी है, उसको लेकर उसको पेमेन्ट करने की क्यों नहीं कार्यवाही की?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अनुचित शब्द कहे हैं उनको, इन शब्दों को वापिस लेने चाहिये।

श्री शतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ है और जो वक्तव्य माननीय श्रम मंत्री ने दिया है, उसके संबंध में मैं कुछ जानकारी करना

(१) क्या यह सही है कि लोकवाणी के मालिक सुधाकर शास्त्री हैं?

(२) क्या सदन को यह मालूम है कि यह सुधाकर शास्त्री वही हैं, जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मध्यप्रदेश में मुकदमा ४२० का चल रहा है, उसमें उनके साथ हैं?

(३) क्या सरकार ने सारे केस को ट्रिब्यूनल में दे दिया है?

(४) क्या यह सही है कि इनको ८० हजार का लोन मशीनरी खरीदने के लिये दिया गया?

(५) क्या यह सही है कि इस लोन से जो मशीनरी खरीदी गई वह बम्बई पोर्ट पर पड़ी हुई है?

(६) क्या यह सही है कि सरकार इस बम्बई पोर्ट पर ८० हजार की पड़ी हुई मशीनरी को जब्त करके सारे मजदूरों को पैसे देने का इरादा रखती है?

(७) क्या श्रमजीवी मजदूरों के बारे में, उनके भुगतान के बारे में, सागरचन्द जैन से मिले और उसके बारे में किसी प्रकार का विचार किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(८) क्या यह सही है कि.....

श्री उपाध्यक्ष: I fully appreciate your style of speaking.

इसमें कोई एतराज की बात नहीं है क्योंकि आप बहुत चतुराई से यह सारी बातें कह रहे हैं। मैं जरूर कहूंगा कि इसमें कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन प्रश्नात्मक

Page No 63

(श्री उपाध्यक्ष)
भाषण की यह भी पद्धति स्टेटमेन्ट के बारे में अपनाई जावे तो यह भी उचित नहीं है। आप चतुराई तो बहुत करते हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप उनको इतने ही प्रश्न पूछिये जितने इनको याद रह सकें ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : आपकी मैमोरी इतनी कमजोर नहीं है वे पूरी रामायण याद रख सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उनका दिमाग कोई चलनी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तभी तो सारी रामायण याद रख सकते हैं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या ब्लॉक-आउट किया गया उसको सरकार गलत मानती है और सरकार ने उसको गलत माना है ?

क्या यह बात सही है कि सरकार ने अब तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया ?

क्या सरकार ने किसी को इसके लिये रिसीवर मुकर्रर किया है कि वह अपनी सारी प्रोपर्टी को किसी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सके ?

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अदालत में दीवानी दावा करने के बाद १८ हजार की डिक्री हुई उसका इन सारे एम्पलॉइज ने तुरन्त भुगतान कर दिया ?

क्या ऐसी हालत में सरकार इस बात को नहीं मानती कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, और वे जान-बूझकर पैसा देना नहीं चाहते ?

क्या सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठावेगी और इस सारे मामले को ट्रिब्यूनल को देगी ?

क्या बम्बई पोर्ट पर पडी हुई मशीनरी को अटेच करके सरकार मजदूरों को पैसा दिलाएगी ?

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : मैं एक बात लेबर मिनिस्टर साहब को कहूंगा। प्रश्न यह है कि बिजनेस या कोई भी कन्सर्न जो कॉमर्शियल हो, उसकी विशेषता यह है कि यहां पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसको अंग्रेजों ने इस कारण बनाया था कि वह उसको रजिस्टर कराले, उसके बाद किसी को भी किसी प्रकार का कहने का मौका नहीं हो। जितने भी चैरिटेबल या और कोई भी चीज जो सोसाइटी करने वाली हो, चन्दा ले कर सोसाइटी में कर्जा करके उसके जरिये से पैसे को बरबाद करके मजदूरों को अपने भाग्य पर छोड दिया जाता है। ऐसे मामलों में लेबर डिपार्टमेन्ट जितनी देरी करता है उतना ही सोसाइटी वाले ज्यादा गडबडी करते हैं। ऐसी सोसाइटीज जो अपने असैट्स को बेच कर खा जाती हैं और कर्जा कर लेती हैं और पैसे को खा जाती हैं, जो दूसरों द्वारा कमाया हुआ होता है, जिस पर सरकार का कोई हक नहीं। ऐसे लोग हैं, जो इस प्रकार पैसा खा जाते हैं उनके प्रति इस प्रकार का व्यवहार करना उचित-नहीं होगा। एक तरफ तो मजदूर भूखों मरें और लोग रोते रहें, और वायदे पर वायदे करते रहें, जो सब बेकार जावें और वह पैसा मालिक हजम कर जावे।

इस तरह की बात लेबर डिपार्टमेन्ट को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिये बगैर पोलिटिकल इम्प्लीकेशन्स के, बगैर पोलिटिकल

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
व्यक्तियों के कन्सीडरेशन के ज्यादा से ज्यादा सख्ती से लेबर डिपार्टमेन्ट को काम करना चाहिये और लेबर क्लास को उनका रुपया दिलाना चाहिये ।

Responsibility of the payment of wages must be of the Labour Department and the Labour Department should see that their rights are safeguarded.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्दर सुधाकर शास्त्री का चालान करायें ।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ ऐसी बातें जो इस मामले से सम्बन्धित नहीं थीं, कहीं । सुखाडिया साहब और सुधाकर शास्त्री का नाम इसके साथ जोडा मैं समझता हूं, इस मौके को देखते हुए इस प्रकार की बातें यहां कहना सर्वथा बेसलैस हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप पर्दा डालना चाहते हैं । संकट काल का नाम लेकर अपने तमाम कारनामों पर पर्दा डाले रखना चाहते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आपने कहा था उसे हमने सुना, अब हम कहते हैं तो उसे आप सुनें ।

श्री भीखाभाई : तो बहुत अर्से से यह चर्चा का विषय रहा है, माननीय सदस्य भी जानते हैं और दूसरे माननीय सदस्य जो सदन में विराजमान हैं वे भी इसे जानते हैं । समय समय पर जो स्थितियां हमारे सामने आई लेबर डिपार्टमेन्ट ने मध्यस्थता का काम किया है, मैंने खुद ने बात की है । मेरी बात पिछले समय सुधाकर शास्त्री से हुई, उन्होंने कहा कि वे पेमेन्ट करने को तैयार हैं पी. एफ. का प्रश्न है वह लेबर कमिश्नर ने पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही के लिये दिया है । बैन्करप्ट एक्टिविटी का जहां तक सवाल है, वहां सरकार ने इस प्रकार की बातचीत नहीं की है क्योंकि कोर्ट को सुखाडियाजी डिक्टेट करेंगे ऐसी बात नहीं है । इसलिये यह सवाल नहीं कि यह मेलाफाइडली क्लोजर हुआ है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटी एक्ट का सवाल है, असेट्स और लाइबिलिटीज का सवाल है, जहां तक श्रम विभाग से ताल्लुक का सवाल है, श्रम विभाग कार्यवाही कर रहा है । वर्किंग क्लास को हमने कई दफा कहा है कि अपने क्लेम्स दाखिल करो, उन्होंने क्लेम दाखिल करने का वादा किया था, वह दाखिल नहीं किये । तो एक सवाल उन्होंने रखा था उसको क्लोज नहीं किया है । सरकार के सामने विचाराधीन है । दोनों पार्टियों को बुलाया है । सुधाकर शास्त्री ने असेट्स और लाइबिलिटी को बताते हुए कहा कि इसकी स्थिति ठीक नहीं है । वहां भी दायित्व का सवाल है और वह दायित्व का सवाल यह है कि वह डिस्प्यूट तभी बन सकता है जब कि मेलाफाइडी क्लोजर हो । जल्दी से जल्दी उसका निराकरण किया जायगा, जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायगी ।

अब जो सम्बन्धित भूख हडताली बैठा हुआ है, हमने छानबीन की । दो तरह से है, एक तो फैक्टरी एक्ट में आता है, दूसरे पेमेन्ट आफ वेजेज के अन्दर बात करने को कहा है । पर यह लम्बा प्रोसीजर है, मैं आपसी तौर पर इस बात को निबटाना चाहता हूं और इसे निबटाने की कोशिश कर रहा हूं कि पेमेन्ट

(श्री भीखाभाई)
कर दिया जाय। पार्शियल पेमेन्ट आज कर दिया जायगा यह उसने कहा है। भूख-हडताली भूख हडताल तोड दें, आधा पेमेन्ट कल तक कर देगा। कल भूख हडताल उठने पर ही कहा जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार निष्पक्षता से बराबर इस मामले पर विचार करेगी। क्लॉजर मेलाफाइडी हो जाता है तो बहुत सी बातें आप ही हो जायेंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : On a point of clarification, Sir, क्या आप कल तक पेमेन्ट करवा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्री सुगनचन्दजी को पेमेन्ट कल तक हो जायगा, यह आश्वासन दें।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): दिवाली तक करा देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका लेबर से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्सान से तो ताल्लुक है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : लेबर एक्ट के अनुसार पेमेन्ट होना चाहिये। क्या आपने लेबर एक्ट के माफिक उसका चालान किया है ? क्या यह आपके डिपार्टमेन्ट पर बाइंडिंग नहीं है ? पी. एफ. को अलग रखा गया है, उसमें गडबडी की गई है, उसके लिये लेबर डिपार्टमेन्ट को एक्शन लेने की जिम्मेदारी है या नहीं ? पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट में चालान किया या नहीं किया ? नहीं किया तो क्यों नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please. !

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : इसका उत्तर दें।

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं आपसे निवेदन करूं कि इस सम्बन्ध में सदन को जितनी जानकारी मिलनी चाहिये थी वह मिली। अब और डिस्कशन उठाना हो तो और तरीके हैं रूल्स में उसके लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक बात बता दी जाय कि मंत्री महोदय को जानकारी नहीं हो तो किस प्रकार जानकारी कराई जाय ? मंत्री महोदय अगर जानकारी कर के नहीं आवें तो किस प्रकार उनको मजबूर किया जाय कि वे जानकारी कर के आवें ?

मंत्रीजी यह खुलासा करें कि कल तक उनका पेमेन्ट होने की बात कह रहे हैं या दीपावली तक ?

श्री **भीखाभाई** : यह स्टेटमेन्ट मैं कल कर सकता था, जल्दी कर रहे हैं इसलिये यह स्टेटमेन्ट आज दिया है। मैं कहना चाहता हूं अन-ऑफिशियली कि पार्ट पेमेन्ट आज कर दिया जायगा। बाकी का बाद में कर दिया जायगा।

(१.४७ म. प.)

सदन की मेज पर रखी गई राजस्व विभाग की अधिसूचनाएं

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामप्रसादजी लड्ढा,

(श्री परसराम मदेरणा)
उप राजस्व मंत्री की ओर से, राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:—

(१) अधिसूचना संख्या एफ. २ (१८५) रेवे. बी.।१।६४ दिनांक ६ जुलाई, १९६५ जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व बोर्ड) नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं, तथा

(२) अधिसूचना संख्या एफ. ६(३८) रेवे. बी. ग्रुप.।१।६४ दिनांक १७ अगस्त, १९६५ जिसके द्वारा राजस्थान टीनेन्सी (सरकारी) नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोतीलाल चौधरी।

(१.४८ म. प.)

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग विषयक प्राक्कलन समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री **मोतीलाल चौधरी** (सभापति, प्राक्कलन समिति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग विषयक प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ के चौथे प्रतिवेदन में समाविष्ट अभिस्तावों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य।

श्री **नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय।··· ····

श्री उपाध्यक्ष: पहले श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(१.४९ म. प.)

राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं वैधकरण उपबन्ध)) विधेयक, १९६५
(आवश्यक साहित्य उपलब्ध न होने से विचार स्थगित)

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं अपना यह प्रस्ताव, संकल्प सदन में प्रस्तुत करूं, उस अध्यादेश को निरस्त करने के सम्बन्ध में, जिसको विधेयक का रूप देकर, उस विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो राजस्थान में मंडी कमेटीज बनाई गई और उस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने रूल्स बनाये, उन मण्डी कमेटीज में मार्केटिंग की दृष्टि से बाई-लॉज बनाये और उनके सम्बन्ध में राजस्थान के उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन्स हुईं, उनके सम्बन्ध में, मैंने विधान सभा लाइब्रेरी से उन फैसलों को प्राप्त करने की कोशिश की कि वे फैसले हमें उपलब्ध हो जायं तो हमें इस वाद-विवाद में काफी सहूलियत रहेगी।

किन्तु वह फैसला विधान सभा लाइब्रेरी में नहीं मिल सका। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि हाई कोर्ट ने किस प्रकार का फैसला दिया है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सदन में वाद-विवाद सही रूप से चल सके तो हाई कोर्ट द्वारा Petition No. 1291 of 1964 and writ No.72 of 1965 decided on 14th March, 1965 by the Rajasthan High Court वे उपलब्ध करांएं। इन फैसलों में इस प्रकार के मुद्दे थे और इस संबंध में पहले संक्षिप्त भाषण हो जायें तो वाद-विवाद में अच्छा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रहेगा । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को आदेश दें कि हमें जानकारी दें कि हाई कोर्ट का फैसला किन मुद्दों पर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की जानकारी चाही कि उच्च न्यायालय का क्या फैसला हुआ और किन मुद्दों पर कोर्ट ने क्या कहा उसकी जानकारी दूं, क्योंकि जजमेन्ट की कॉपी उसको प्राप्त नहीं हो सकी । अगर आपको बहुत रुचि थी तो आपको वह प्राप्त करनी चाहिए थी । विधान सभा लाइब्रेरी में हाई कोर्ट के सभी जजमेन्ट आएं, यह भी जरूरी नहीं है और मुझे पहले कहते कि जजमेन्ट पढना है तो मैं कोशिश करता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मालूम नहीं मैंने टेबल ऑफिस को लिख कर दिया है, एसेम्बली लाइब्रेरी में वह कॉपी नहीं मिल सकी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी भेजा है और अभी मैं जजमेन्ट दूं । मेरे पास तो एक ही कॉपी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस बिल पर डिस्कशन कर रहे हैं, उसके लिए आपको चाहिए कि उसकी जजमेन्ट की कॉपी सदन की मेज पर रख दें, ताकि आगे के लिए भी परम्परा बन जाय ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह नियमों में कहां लिखा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह परम्परा का सवाल है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप परम्परा के नाम पर अपनी मर्जी की बात नहीं करवा सकते ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आपकी मर्जी की बातें भी नहीं चलने वाली हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे नियम बता दीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन की जानकारी के लिए आवश्यक है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इस बहस में नहीं पडना चाहता हूं और न नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि विधान सभा में हाई कोर्ट का जजमेन्ट रखना सरकार के लिए लाजमी है, न कभी इस बारे में किसी ने कोई मांग की । अगर आप कहते तो कोशिश करके जजमेन्ट की कॉपी दे सकता था लेकिन मुझसे आज पूछने लगे कि जजमेन्ट है क्या ? वह तो इधर ही उसको पढकर भाषण बनाना चाहते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पूछता हूं कि जजमेन्ट लाए हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास मौजूद है । वह तो नहीं पढ सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आप बैठ जाइए । ऐसी हालत करूंगा जो मुजाहिदों की होती है । जजमेन्ट आपके पास है और देते नहीं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के शब्द न प्रयोग करें, ये शब्द उपयोगी नहीं हैं, इससे सदन में गर्मी पैदा होती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आपने कैसे कहा कि यहीं पढ़कर मैं अपना भाषण बनाऊंगा मैं आपकी तरह एब्सेंट-माइंडेड होकर नहीं बैठता हूं। हर डिबेट के लिए तैयार होकर आता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : हाई कोर्ट की बेसिक बातें मैं निवेदन करना चाहता हूं । उसमें रिट पिटीशन्स हुये, ९ रिट पिटीशन्स का फैसला एक साथ हुआ और दो का बाद में। ११ कुल हुई थीं। अलग अलग तरीके से इस कानून की अलग अलग धाराओं पर उन लोगों के एतराजात थे। हाई कोर्ट ने कानून को क्लॉज बाई क्लॉज और इसके बाइलॉज और रूल्स को एग्जामिन किया और उसके बाद जिन बातों को हाई कोर्ट ने मंजूर किया और जिनको काबिल एतराज समझा उन पर आधारित हमारा ऑर्डिनेन्स बहुत समय पहले आ चुका है और इस सदन के सदस्य परिचित हैं कि जो चेंजेज करने के सुझाव उन्होंने दिए थे, उन्हीं शब्दों को चेंज किया गया है। ऑर्डिनेन्स तो बहुत समय से लागू हो चुका है। इसके अलावा जजमेन्ट में कोई नई बात नहीं है क्योंकि हाईकोर्ट ने इस कानून को वर्ड बाई वर्ड एग्जामिन किया है। उनके एतराजात को सुनकर जो बातें वैलिड हैं उनको वैलिड करार दिया है और जिनके बारे में हाईकोर्ट के एतराजात थे उनको इस ऑर्डिनेन्स के जरिये ठीक किया गया था वह ठीक करना लाजिमी था। मार्केटिंग कमेटियां इस कानून के नीचे बन चुकी जो काम कर रही हैं, जहां 'सैस' का नाम था उसके बजाय हमने कहा "फीस" रखा जाय। उसका मतलब यह होता है कि "फीस" और "सैस" में फर्क यह है कि "फीस" कुछ काम के एवजाने में ली जाती है। वर्ड "सैस" पर एतराज था तो "फीस" रखने की बात इस बिल में हमने कही है। दूसरे और दो-चार मामूली शब्दों में चेंजेज की हैं। क्योंकि मार्केटिंग कमेटीज फंक्शन कर रही हैं और इस वजह से ऐसी स्थति बनती थी कि उनका काम बन्द हो रहा था और "सैस" के नाम पर पैसा मार्केटिंग कमेटियों ने वसूल किया था और यदि "सैस" का वर्ड उसमें करते तो नौबत आ सकती थी कि वह आगे वसूल न की जाय, मंडी कमेटियों के आगे सवाल पैदा हो सकता था। इसलिए उनकी खामियों की वजह से अड़चन पैदा न हो, हमने वह ऑर्डिनेन्स उसी समय पास करने की जरूरत समझी ताकि पहले वाला रेग्युलेराइज हो जाय और आगे की गलती ठीक हो सके और मंडी कमेटियां सुचारुरूप से काम कर सकें। आज उसी ऑर्डिनेन्स को इस बिल के रूप में माननीय सदस्यों के सामने रखा है। मैं चाहता हूं कि वे इस पर विचार करें।

श्री **भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रकार से जो बिल्स सदन में आते हैं, उनके लिए राजस्थान विधान सभा और लोक सभा में इस प्रकार की परम्परा रही है कि उस बिल के सम्बन्ध में जितना भी लिट्रेचर हो, वह लाइब्रेरी के अन्दर रख दिया जाय। इस समय तो मैं नहीं कह सकता लेकिन देखकर वह रूलिंग भी बता दूंगा जिसके अनुसार चेयर की तरफ से व्यवस्था दी गई थी कि प्रत्येक माननीय सदस्य को यदि उसका लिट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो वह लाइब्रेरी में रखा जायगा ताकि उस विषय पर जिन सदस्यों को बोलना हो वे उस लिट्रेचर को लाइब्रेरी में जाकर देखें। मंत्री महोदय ने नियमों का हवाला देने की बात कही। रूल्स

Page No 69

(श्री भैरोंसिंह)

तो कई बातों के नही हैं, लेकिन रूल्स के अभाव में वहां परम्पराएं डेवलप होती हैं और हर चीज रूल्स से संबंधित हो, इस प्रकार की परम्परा अच्छी नहीं होती है। इसलिए इस सम्बन्ध में क्योंकि व्यवस्था का सवाल खड़ा हो गया तो आपके द्वारा रूलिंग चाहूंगा कि इस प्रकार का लिट्रेचर सदन के माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाय और लाइब्रेरी के मार्फत आप व्यवस्था करें। नहीं तो उसके अभाव में और खामियां रह जायेंगी और पिटीशन्स मूव होंगी हाई कोर्ट में जजमेन्ट्स होंगी और फिर ऑर्डिनेन्सेज इश्यू करने पड़ेंगे। इनको अवोइड करने के लिए जरूरी है कि आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था देकर सरकार को मजबूर करें कि सम्बन्धित लिट्रेचर लाइब्रेरी में निश्चित् तौर से पहले ही दे दिया करें।

(२ म. प.)

श्री उपाध्यक्ष: हेल्दी कन्वेन्शन्स के सन्दर्भ में मैं यह आवश्यक मानता हूं कि जो भी विधेयक प्रस्तुत हो उनके विषय पर जानकारी सदस्यों को उपलब्ध हो जाय। किन्तु उसके अन्दर इतना आवश्यक है कि उस विधेयक से सम्बन्धित कितना लिट्रेचर वहां प्रस्तुत हो सकता है और कितना नहीं? और इस तथ्य को जांचने के लिये, एक बड़ी लम्बी-चौड़ी बात हो जाती है कि कौन कौन सा लिट्रेचर, रिपोर्ट्स वगैरह उससे सीधे सम्बन्धित हो सकती हैं अथवा नहीं, तो यह आवश्यक है कि जो भी अत्यावश्यक लिट्रेचर हो वह उपलब्ध हो जाय। या वह लिट्रेचर और उपलब्ध कराया जाय जिसकी मांग का एम्पल नोटिस हो। यों कौनसा लिट्रेचर बिल से सीधा सम्बन्धित है यह एक और बात बन जाती है, इसलिये इतनी गुन्जाइश तो जरूर रह जाती है, यदि ऐसा लिट्रेचर है ...

श्री भैरोंसिंह: यहां तो केवल जजमेन्ट का ही सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: यह मैं मानता हूं कि इस विषय में सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट उपलब्ध होता तो वह ठीक था, लेकिन फिर भी माननीय मंत्री ने निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिया है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): हाई कोर्ट का जजमेन्ट है **उनके** पास.....

श्री **उपाध्यक्ष**: आयन्दा के लिये यह आवश्यक समझता हूं कि आवश्यक लिट्रेचर हो।

श्री **भैरोंसिंह**: आयन्दा के लिये आवश्यक समझते हैं, यह आपने स्वीकार कर लिया इसलिये उसका इन्टरप्रिटेशन यह हुआ...

श्री उपाध्यक्ष: सब रिपोर्ट्स यहां आती हैं वे उपलब्ध हों।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): अभी यहां तो खास तौर से उस जजमेन्ट को जिसके जरिये गवर्नमेन्ट ऑर्डिनेन्स लाती है और बिल तैयार करती है, उसको अवेलेबल करा दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा: हाई कोर्ट्स के जजमेन्ट छपते हैं, बाइन्ड होते हैं, किताबें और लॉ-जरनल्स के अन्दर निकलते हैं, उनकी कॉपियां लाइब्रेरी में हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह जजमेन्ट छप गया है, यही बता दीजिये?

श्री **नाथूराम मिर्धा** : हां, यह सारा जजमेन्ट छप गया है ।

श्री **भैरोंसिंह** : कब छप चुका है ?

श्री **नाथूराम मिर्धा** : जजमेन्ट हुए चार महीने हो गये ।

श्री **भैरोंसिंह** : श्रीमानजी, छपा ही नहीं है ।

श्री **नाथूराम मिर्धा** : छप गया है ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : साइटेशन कर देते तो ठीक रहता ।

श्री **नाथूराम मिर्धा** : सारा ऑर्डिनेन्स रख दिया है, बिल रख दिया है ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : किस बेसिस पर ऑर्डिनेन्स लाना पड़ा है, उसका साइटेशन रख देते ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपने व्यवस्था दी वह सराहनीय है । जिस जजमेन्ट को मान कर सरकार ऑर्डिनेन्स जारी करती है, विधेयक सदन में लाती है, वह जजमेन्ट को कम से कम टेबल ऑफ दि हाउस पर रखा जाय या असेम्बली लाइब्रेरी में हो । यह बिल जो लाया जा रहा है वह कार्यसूची के अनुसार ७ तारीख को लाने वाले थे और हम इसी अनुमान में थे लेकिन यह तो आज की कार्यसूची में आ गया । मैंने सबसे पहले आते ही सदन में इस बारे में पूछा था. . . .

श्री **नाथूराम मिर्धा**: यह १४ मई का जजमेन्ट है ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: साइटेशन किया है ?

श्री **नाथूराम मिर्धा** : छप गया है । सितम्बर के एन्ड में इसको डिस्कस कर रहे हैं ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं निवेदन करूंगा कि यह जजमेन्ट मुझे असेम्बली लाइब्रेरी से उपलब्ध कराया जाय । जब हमको जजमेन्ट ही नहीं मिलेगा तो बहस कैसे करेंगे ? उसको पढ़ेंगे कैसे ? आप कहते हैं कि छप गया है । आर. एल. डब्ल्यू., ए. आई. आर. में मौजूद हो तो उसकी कॉपी हम को दे दी जाय । जैसा वे कहते हैं छप गया, आप मालूम करा लीजिये । अभी इनके पास लिखा हुआ आ गया है कि असेम्बली लाइब्रेरी में जजमेन्ट नहीं है । या तो मन्त्री जी झूठ बोलते हैं कि छप गया है या लाइब्रेरी में छप गया तो आया नहीं ।

श्री **भैरोंसिंह** : स्पष्टीकरण लाइब्रेरी से करा लिया जाय कि है या नहीं ।

श्री **नाथूराम मिर्धा** : जजमेन्ट नहीं मिलेगा तो असेम्बली रुक जावेगी ?

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं इसके विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि लिट्रेचर जहां तक उससे सम्बन्धित है वह उपलब्ध कराया जाय, लेकिन इस विषय में मन्त्री महोदय ने सारांश दे दिया है ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कोई सारांश नहीं है । जो वैलिड है, वह वैलिड मान लिया । क्यों मान लिया ? कुछ नहीं बताया ।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : माननीय मन्त्रीजी ने सारांश सुना दिया यह सही है । वैसे माननीय मन्त्रीजी भी बहुत पहले वकील रहे हैं, आपने भी वकालत नहीं की लेकिन एल एल. बी. की डिग्री **हासिल**

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
की है इसलिये आपको भी कानून का ज्ञान है इसलिये केवल सारांश दोहरा देने से ही बहस में सहूलियत नहीं होती। अगर उनके पास जजमेन्ट की कॉपी है तो उनको दे देने में ऐतराज नहीं होना चाहिये। माननीय सदस्य उसको पढ लेंगे और देख लेंगे इसलिये पहले वह ले लीजिये। इसलिये दूसरा बिल भी आज ही पास करना है इसलिये पहले वह ले लीजिये; इसलिये मेरा निवेदन है कि जो कॉपी उनके पास है वह अवेलेबिल करा दीजिये; या तो आप हाउस को आधे घन्टे के लिये एड्जॉर्न करदें या वह बिल पहले ले लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : इनके लिये हाउस एडजॉर्न करो।

श्री उपाध्यक्ष : इस समय सर्कुलेट तो नहीं कर सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने निवेदन किया कि उनके पास जजमेन्ट रखा है जिसको उन्होंने पढा भी नहीं है, वह ही दिला दीजिये। उसको देख लेंगे और उसके अनुसार फिर बहस में भाग ले सकेंगे ताकि कोई लैकुना फिर न रहे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि आप अपनी बहस प्रारम्भ करदें और दर्मियान में तथ्य आ जाएं तो उसको कोट कर दिया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने ७ तारीख को रखा था। हम भी समझते थे कि हमको इसके लिये मौका मिलेगा। लेकिन आज अचानक आप कहते हैं। अब इतना तो आपको भी अकोमोडेट करना चाहिये। हम इसको कोऑपरेट करके पास करना चाहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मेरे एडजस्टमेन्ट करने का सवाल नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इसको आज के बिजनेस में रखा है यह मेरे लिये लाजिमी था कि मैं इसके लिये तैयार रहूं। मैंने यह इनसिस्ट नहीं किया कि कल का कल रखा जाय या ७ तारीख को न लाया जाय। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का पहले यह फैसला था और आज यह फैसला है। माननीय सदस्य पर्टिकुलर चीज की जानकारी न रख कर तैयारी न रखें, सदन को रोकना चाहें, तो वैसे ठीक हो सकता है . . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नहीं है मन्शा। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को इस सदन ने स्वीकार किया है उसमें यह बात आज नहीं है। दूसरा कोई प्रतिवेदन इस सदन में प्रस्तुत नहीं हुआ, इसलिये आज नहीं लाया जा सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें उपाध्यक्ष महोदय, क्या कठिनाई है ? प्रीएम्प्शन बिल को शुरू कर दिया जाय। इसको भी आज ही पारित करना है। उतनी देर हम जजमेण्ट देख लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे इस बिल को अभी अभी पास कराने से कोई तगमा मिलने वाला नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह समझने की बात है नाथूरामजी। जब जजमेण्ट छपा हुआ है, छपता है, फिर उसको सीक्रेट रखने से क्या मतलब है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमे सीक्रेट रखने का सवाल नहीं है। आपने मुझसे साढे ग्यारह बजे मांगा था। उस समय मेरे पास था नहीं। मैंने वह मंगवाया।

(श्री नाथूराम मिर्धा)
आप इसे देख सकते हैं। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। आसानी से आप चार छः घंटे बैठ कर पढ़िये। लेकिन इसके कारण आप सदन की कार्यवाही को ही रोकना चाहें, यह अच्छा नहीं है। आप कहें तो आपके लिये कॉपी करवा कर भिजवा दूं ताकि आपके पास कम्पलीट परमानेण्ट रिकॉर्ड रह सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे कॉपी की जरूरत नहीं है, नाथूरामजी। मेरे पास ए० आई० आर०, एन० डब्ल्यू० सब जजमेण्ट आते हैं। आप तो केवल यह बतला दीजिये कि यह कौन सी तारीख का फैसला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १४ मई का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस ऑर्डिनेन्स में १४ मार्च लिखा हुआ है। आप ठीक तरह से देख कर बतलाइये कि किस तारीख का फैसला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १४ मई का।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको यह तो होश नहीं है १४ मार्च का देख रहे हैं, फिर आपने कौन सा फैसला पढा है ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : यह जो "होश नहीं", It is most objectionable, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Order please मेरे सामने जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन है २३ वां, जो प्रस्तुत हुआ था, उसमें अन्ततोगत्वा तय हो चुका था कि उपरोक्त समय की अवधि के बंटवारे में अध्यक्ष महोदय जैसा चाहें परिवर्तन कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो कहा गया है समय की अवधि के बारे में परिवर्तन कर सकते हैं, इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के इस प्रतिवेदन को आज की तारीख में सदन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय को अधिकार है वे समय की अवधि में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे दो बजे का समय रखा, उसको पांच बजे तक का कर सकते हैं, चार बजे तक का कर सकते हैं। लेकिन इसकी यह मन्शा नहीं कि सात तारीख के बिजनेस को ३० तारीख को ले सकते हैं और ३० तारीख के बिजनेस को सात तारीख को ले सकते हैं। यह इम्पोसीबिल है। फिर भी आप जो आदेश देंगे वह हमें मान्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके अलावा जो दूसरा प्रतिवेदन है वह भी मंगाया है। इस समय के बंटवारे में सारी चीज आ जाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, समय का बंटवारा और चीज है और निश्चित बिजनेस को बदलना और चीज है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आसन को अधिकार भी प्राप्त हो, तो भी माननीय सदस्यों की सुविधा का ख्याल रखते हुए कि वे अमेन्डमेन्ट दे सकें, इसके लिये वांछनीय समय दिया जाना चाहिये, इस बात का भी आसन पूरी तौर से ध्यान रखता है या नहीं ?

Page No 73

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं, आप उस जजमेन्ट को पढ़ लीजिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था की बात कही गई । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कानून यहां बनते हैं, उसकी कोई सेंक्टिटी है, उसमें सीरियसनैस होनी चाहिये । इसलिये जो सामग्री उपलब्ध हो उसको आप पढने का अवसर नहीं देते हैं तो हमारे से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि हम हमारी बैस्ट इन्टेलीजेन्शिया और आर्ग्युमेन्ट दे सकें । कानून बनाते समय हमें इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिये । प्रीएम्प्शन बिल को लेना आवश्यक है, उसको पहले ले लिया जाय । फिर जब तक हम इस जजमेन्ट को पढ़ लें उसके बाद इसको ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! कार्य सलाहकार समिति की बैठक १८ सितम्बर, १९६५ को मध्यान्ह २।। बजे से ३।। बजे तक अध्यक्ष-वेश्म में हुई, उस वक्त ये माननीय सदस्य उपस्थित थे :

श्री अध्यक्ष,

श्री हरिदेव जोशी,

श्री मथुरादास माथुर,

श्री भैरोंसिंह,

श्री मानसिंह महार व

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं २८ तारीख को तो जयपुर में ही नहीं था, बाडमेर में दौरा कर रहा था । मेरा नाम कैसे आ गया ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन । Sorry

(विराम)

श्री नाथूराम मिर्धा ।

श्री केसरीसिंह (पाली) ।

श्री भीमसिंह , श्री योगेन्द्रनाथ हांडा । उसमें यह तय हुआ कि २९ व ३० सितम्बर को क्या कार्य लेना है ? तारीख ३० के लिये राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी तथा वैधकरण उपबन्ध) विधेयक, १९६५-विचारार्थ एवं उसका पारण ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन आप पढ रहे हैं क्या उसको सदन ने स्वीकृत किया है ? जब कि यह प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत होकर स्वीकृत नहीं हुआ तो यह बेकार है । अतः मेरा निवेदन है कि अभी सदन को आध घंटे के लिये स्थगित किया जाय । हम आज ही इस बिल को पास करने में पूरा सहयोग देंगे; नहीं तो यह गलत परम्परा हो जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी मुझे गलत परम्परा के लिये बाध्य नहीं करेंगे । मैं आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा करता हुआ निवेदन करूंगा कि इस पर पहले बहस आरम्भ हो जाय, जितने आप जजमेन्ट को पढ लीजिये वैसे सारे दिन इसी पर बहस चलेगी । इस समय में और भी बातें उठाई जा सकती हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रीएम्प्शन बिल को पहले लेने में क्या एतराज है जब कि यह कल के बिजनेस का बाकी बचा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्री महोदय को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
बाडमेर जाना है। तीन बजे जाना है। अतः पहले प्रीएम्प्शन बिल को ले लिया जाय और इतनी देर में हम इस जजमेन्ट को पढ लेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कल का पडा बिजनेस पहले डिस्पोज आफ कीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : जजमेन्ट आप पढ लीजिये, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पहले कल का बिजनेस पूरा हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज की तारीख में प्रीएम्प्शन बिल है नहीं। आप इसको सब्स्टीट्यूट करना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कार्य सलाहकार समिति की इस बैठक की प्रोसीडिंग्ज सदन ने स्वीकार नहीं की है पर फिर भी उपाध्यक्ष का आदेश हम स्वीकार करने को तैयार हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : टैक्निकल बात पर आप क्यों जोर देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टैक्निकली कहां व्यवस्था है? पहले ही कहा था आपको कि दे दो जजमेण्ट। कहा है इसके लिये रूल में व्यवस्था?

श्री नाथूराम मिर्धा : रूल में नहीं है। पहले भी कहा था? जजमेण्ट दे देते हैं। That is not a secret. यह सारा चालीस पेज का है। पूरा दिन आपको लग जावेगा इसको पढने में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पांच मिनिट में पढ लेंगे। आप उसकी फिक्र क्यों करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए और अध्यक्ष महोदय की सलाह से भी मैं प्रीएम्पशन बिल को ले लेता हूं।

राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२
(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि): प्रीएम्पशन बिल को विचारार्थ लेने के लिये प्रस्ताव मैंने मूव कर दिया था। इस विधेयक पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:--

१. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा),
श्री जयलाल (डग),
श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) व
श्री चौसरसिंह बावल (बेंगू):

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२ को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे"।

२. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर),
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) व
श्री गंगासिंह राठौड (जायल):

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२ को पुनः एक नई प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जो

(श्री गंगासिह राठौड़) अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में। तीन माह में एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।)

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला। (अनुपस्थित)

श्री जयलाल (अनुपस्थित)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (वांदीकुई) : मैं चूंकि सिलेक्ट कमेटी में था इसलिए इस पर अब मैं कुछ नहीं कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चौसरसिंह बावेला (अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (अनुपस्थित)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह राठौड़।

श्री गंगासिह राठौड (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कानून इस समय है उनको देखते हुए इसकी विशेष जरूरत नहीं थी। इससे उल्टा यह होगा कि एक आदमी को जायदाद का पूरा लाभ उसे नहीं मिलेगा। उसकी रेट घट जावेगी। बाजार में मार्केट रेट नीची होगी। कम्पीटीशन के न होने से जायदाद बेचने वाले को नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह के कानून और बना कर हम लोगों को क्या राहत देने जा रहे हैं। इससे अदालतें और उलझन में पड़ेंगी। सिविल कोर्ट्स के जरिये और संविधान के जरिये जो हक हासिल हैं, वे बहुत हैं। फिर ऐसे कानून के जरिये नये तौर पर हक कायम करने की क्या जरूरत पड़ गई, यह समझ में नहीं आया।

एक जायदाद है। उसकी मार्केट वेल्यू कम है। परन्तु अपने हकशफा को वेचान नहीं करना चाहता, तो उसकी वेल्यू ज्यादा कर देगा। फिर डिस्प्यूट अदालतों में चलता जावेगा। इससे मार्केट वेल्यू को भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो असलियत में ऐसे कानून से किसी को लाभ नहीं होने वाला है। इसलिये मेरी यह सलाह है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया जावे जिससे कि इसको वापिस देखा जा सके और अगर जरूरत न रहती हो, तो इसको ड्रॉप भी कर दिया जावे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (औसीद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कानून है....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आपका तो अमेण्डमेंट नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं बोलना चाहता हूं। इसमें जो अधिकार शहर वालों को दिया गया है, वह गांववालों को और किसानों को नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : There is no Quorum.

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

हां, अब बोलिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कि इस प्रकार का अधिकार शहरी जनता को दिया गया है, तो वैसी अवस्था में कृषकों को और देहाती लोगों को, कि जिनकी जमीन के पास कुछ जमीन पडती है उनको अपने पडौस की जमीन लेने का हक नहीं दिया जाता है, तो यह कानून अपने आप में अधूरा रह जावेगा ।

प्रवर समिति के कुछ सदस्यों ने इस पर अपनी असहमति भी प्रकट की है । गांव वालों को अगर यह अधिकार मिलता है तो वे अपनी जमीन में अधिक से अधिक सुधार कर सकते हैं, छोटे-छोटे टुकडों को बढा कर बड़ा बना सकते हैं, फिर वे उपजाऊ भी बनाने की तरफ अपनी शक्ति लगा सकते हैं, तो इससे अच्छा लाभ होगा । इस प्रकार का आश्वासन सरकार द्वारा दिया भी गया था कि अगर आवश्यकता पडी तो टैनेन्सी एक्ट में इसका प्रोवीजन किया जा सकेगा । पर वहां भी नहीं किया और इसमें भी नहीं किया जा रहा है इससे उनको असुविधा होगी और उनको नुकसान होगा । राज्य के हित में और कृषकों के हित में, दोनों के हितों में, व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का क्लॉज इसमें अभी से जोड दिया जाये ताकि जो कृषकों के पास की जमीन है, अगर वह बेचता है तो उसमें जो उसका पडौसी है, या जो उसकी मेढ के पास जमीन पडती है उस पर भी उसका अधिकार हो, इससे हमारे प्रोडक्शन को फायदा होगा और वह किसान जिसके पास छोटी-छोटी होल्डिंग्ज हैं, उसको बडी जमीन मिल जायेगी और वह उसमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने का प्रयास करेगा । इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान प्रिएम्प्शन बिल, ६२ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है और इसके जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो प्रिएम्प्शन बिल है, इसमें डेफीनिशन को सिर्फ सिटीज के अन्दर जो प्रोपर्टी है, उसके बारे में एप्लीकेशन का ही इसमें हवाला दिया गया है । यह जो डेफीनिशन है, यह रेस्ट्रिक्टेड है । सब तरह की प्रोपर्टी Whether rural or urban दोनों के लिए एप्लीकेबल कर दिया जाये तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है ? क्योंकि मौजूदा जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट है, उसके अन्दर बहुत ऐसे रेस्ट्रिक्टेड प्रोवीजन हैं, उसमें जितने भी हकूक प्रिएम्प्शन बिल के जरिये जो दिये गये हैं, वे सारे राजस्थान में टीनेन्सी एक्ट में अभी नहीं हैं । इसमें यह जरूर कहा गया है, रूरल प्रोपर्टी जो एग्रीकल्चर के लिए होती है, जिसका राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्दर प्रोवीजन किया जा सकता है, इस चीज को देखते हुए इसको इसमें रखना उचित नहीं समझा गया है । लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्दर ऐसा प्रावधान करने की राज्य सरकार की मन्शा है, तो उसके अन्दर यह भी क्यों लिखा है "If necessary" ऐसे डिस्प्यूट अराइज होते हैं, कि लॉ क्लीयर नहीं होने की वजह से काश्तकारों को हक से महरूम होना पडता है । इसलिए क्लीयर डिफाइण्ड लॉ ऐसी प्रोपर्टी जो कि सिविल नेचर की है, या सिविल राइट्स

Page No 77

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

की हैं, उनको भी यह अधिकार मिल सके, इसलिए या तो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्दर भी इस प्रकार का अमेण्डमेण्ट साथ ही साथ लाना बहुत जरूरी था और अगर नहीं लाया गया है तो फिर बाद में इसमें यह भी कहा गया कि यह गवर्नमेंट के डिस्क्रीशन पर है कि कब ऐसा अमेण्डमेण्ट लाया जायेगा और कब ऐसे हक दिये जायेंगे। इस बारे में स्पष्ट राज्य सरकार की धारणा प्रतीत नहीं होती है। इसलिए यह जो कानून बनाया जा रहा है इसमें ही या तो डेफीनिशन को वाइड कर दिया जाये कि सब तरह की प्रोपर्टी whether rur.l or urb'n; सभी इसमें आ जायें और अगर राज्य सरकार इसको इसमें नहीं रखना चाहती तो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट है, उसमें भी राज्य सरकार की मन्शा जानना चाहूंगा। साथ ही साथ उसमें भी कोई अमेन्डमेन्ट कर देते तो अच्छा था। और इस रूप से समस्या का समाधान हो जायेगा। लेकिन माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान प्रिएम्प्शन बिल के अन्दर ही ऐसा प्रावधान हो तो उचित रहेगा, क्योंकि अगर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों में जो इस राइट्स को देने की बात है तो रेवेन्यू कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन आता है और रेवेन्यू कोर्ट्स में यह राइट्स अच्छी तरह से डिसाइड नहीं हो पाते हैं, जितने कि सिविल कोर्ट्स में इसलिए जो प्रिएम्प्शन बिल है उसके अन्दर ही इस डेफीनेशन को वाइड कर दिया जाये तो मेरे ख्याल से उचित रहेगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरी बात यह है कि क्लॉज ४ जो कि पहले मेन बिल में रखा गया था, सिलेक्ट कमेटी ने कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी वगैरह उसमें थे, उसको ड्राप कर दिया है। इस बारे में, मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उसमें यह संकेत किया है कि कॉन्स्टीट्यूशन में यह सारे हक डिफाइन्ड हैं तो इसको अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माननीय उपाध्यक्षजी, जब कि स्पेसिफिक कानून बनाया जा रहा है, उसमें इसका रेफरेन्स दिया जाये तो स्पष्ट होगा। वर्ना कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर ऐसे मुद्दे हैं कि जो कि कॉन्स्टीट्यूशनल मैटर्स के जरिये या रिट्स के जरिये हाईकोर्ट में ही ऐसे मामले उठाये जाते हैं। लेकिन लोवर कोर्ट्स में स्पेशली कानून के अन्दर ऐसी बात नहीं रखी जाये तो बहुत से मामलों में कोर्ट्स अगर उसका डिसरिगार्ड. करे और जैसी कि संभावना भी है, इसलिए यह जो यह चीज पहले रखी गई थी, उसमें ये शब्द वापिस उसी तरह से रखे जायें, तो मेरे ख्याल से उचित रहेगा। क्योंकि यह शब्द कोई सुपरफ्लुअस से प्रतीत नहीं होते। क्योंकि लोअर कोर्ट्स में अमूमन देखा गया है कि कॉन्स्टीट्यूशनल मैटर्स अच्छी तरह से डिसाइड नहीं होते, जितने कि हाई कोर्ट में। बहुत से मामलों में लोअर कोर्ट्स के सामने ऐसी डिफिकल्टीज अराइज हो सकती हैं कि कोर्ट माने या नहीं माने इसलिए कॉन्स्टीट्यूशन के मामले हाई कोर्ट में ही क्लीयर होते हैं और लोअर कोर्ट्स में ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए पहले जो मेन बिल में था उसी तरह से रखना उचित होगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरी बात इसमें यह भी कही गई है कि पहले मेन बिल में जो पर्व्यू में रखा गया था कोलोनाइजेशन एक्ट का, पहले बिल के स्कोप में था इसको

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

एक्सक्लूड कर दिया गया है । तो मैं राज्य सरकार की मन्शा जानना चाहूंगा कि उसको एक्सक्लूड करने की क्या मंशा है ? अगर इसमें था तो बहुत अच्छी बात थी । कोलोनाइजेशन एक्ट इसके पर्व्यू में नहीं आयेगा तो मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले जो प्रोवीजन था वह ठीक था और इसमें एक्सक्लूड करने की राज्य सरकार को क्या जरूरत पड़ी; इसको स्पष्ट नहीं किया गया है । कोलोनोइजेशन एक्ट में ऐसी कौन सी धारा है, जिससे कि दुबारा रखने की आवश्यकता नहीं है जब कि टीनेन्सी एक्ट में या दूसरे एक्ट में जो राइट्स हैं वह उसमें नहीं आते हैं तो इसके स्कोप को हटाना उचित नहीं होगा । या फिर राज्य सरकार बताये कि किस वजह से हटाया गया है । कोई स्पष्टीकरण उसमें नहीं है, इसलिए जो पहले बिल के अन्दर यह चीज थी तो किस मन्शा से रखी गई थी और अब क्यों हटाया गया है, वह स्पष्ट नहीं बताया है । इसलिए जो पहले रखा गया था उसको अनुचित क्यों ठहराया गया या तो उसको स्पष्ट करते वर्ना जो पहले रखा गया था वह ठीक था ।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस बिल के अन्दर सारी धाराओं को देखने से मालूम होता है कि राज्य सरकार में कोई रूल-मेकिंग पॉवर का प्रावधान नहीं रखा गया है और यह चीज हर एक्ट के अन्दर जरूरी है कि ऐसी एक धारा होनी चाहिए कि जिसमें राज्य सरकार को अधिकार दिया गया हो कि वह रूल्स बना सकती है । इसलिए राज्य सरकार ने इसमें कौन सा क्लॉज रखा है जिसमें राज्य सरकार रूल्स बना सकती है ? मुझे तो नजर नहीं आता । हर जगह रूल्स बनाने की आवश्यकता होती है । ऐसे मामलों में रूल्स की आवश्यकता होगी तो इस बारे में भी कुछ प्रोवीजन इसमें होना जरूरी है; इस बारे में भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस तरह के वे कुछ ऐसे मामले हैं कि जिनके ऊपर राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है । इसलिए मेरी मन्शा है कि जो पहले प्रवर समिति थी उसमें कुछ ऐसे मामले जो कि पहले के बिल में इम्पोर्टेन्ट थे, उनको इससे बिलकुल अलग कर दिया है क्योंकि इसमें सिर्फ सिटीज के अन्दर ही एप्लाई करने की बात है, तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय में जब कि गांवों के अन्दर ७० परसेण्ट एग्रीकल्चरल प्रोपर्टी है तो उनको एक्सक्लूड करने की बात आती है यह बहुत अहम समस्या है । जब राज्य सरकार इतने अर्से के बाद ला रही है और गांवों के अन्दर ७० परसेण्ट जो लोग रहते हैं उनको इस पर्व्यू से बाहर रख कर किया है, तो राज्य सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए । वर्ना राज्य सरकार की मंशा है कि टीनेन्सी एक्ट में कोई अमेण्डमेण्ट लाना चाहते हैं तो साइड-बाई-साइड उसको भी रखना चाहिए ताकि सदन को मालूम हो जाता । इसके अलावा भी जब अलग कानून है तो इसका स्कोप बहुत रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है ।

तो इन मुद्दों को देखते हुए मेरी यह धारणा है कि इसे दुबारा सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाना चाहिये और इस मुद्दे पर सिलेक्ट कमेटी गम्भीरता से विचार करेगी और सब तरह के जो दूसरी स्टेट्स के प्रिएम्प्शन एक्ट हैं, उनको देख कर इस बारे

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
में एक बिल्कुल कन्सोलिडेटेड बिल जिसमें सारी प्रोपर्टीज इसके स्कोप के अन्दर आ सकें, इस तरह से इस पर विचार किया जा सके।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत राजस्थान प्रिएम्पशन बिल हमारे सामने विचारणीय है . . . .

श्री उपाध्यक्ष : आपका अमेंडमेंट है क्या?

श्री राधाकृष्ण गोयल : अमेन्डमेन्ट मेरा तो नहीं है, पार्टी के कई सदस्यों का है। पार्टी की तरफ से तीन-चार अमेन्डमेन्ट हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ये तो योंही एट रेन्डम बोलते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : एट रेन्डम ही बोला जाता है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : After all he is a Law Graduate

श्री राधाकृष्ण गोयल : सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, जो कंसीडरेशन किए हैं, वे बहुत गम्भीरतापूर्ण किए हुए प्रतीत नहीं होते। और आज हमें यह देखकर भी खुशी नहीं है कि इस कमेटी के चेयरमेन माथुर साहब भी इस वाद-विवाद के समय हाउस में उपस्थित नहीं हैं। कमेटी ने दो सिटिंग्ज में . . . .

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि): The report is on behalf of the Committee.

श्री राधाकृष्ण गोयल : The report is submitted by the Chairman.

श्री परसराम मदेरणा : It has been submitted by Shri Mathuradas Mathur.

श्री राधाकृष्ण गोयल : It has been submitted duly signed by the Chairman.

मेरा चेयरमैन साहब की तरफ ही रेफरेन्स है, सदस्य के रूप में आप जरूर थे। गवर्नमेन्ट को भी रिप्रेजेन्ट कर रहे हैं, मैं इसे इन्कार नहीं कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : इससे फर्क नहीं पडता।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह जो राजस्थान प्रिएम्पशन बिल जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है इसमें खामियां देखने को मिलती हैं। अभी जैसा सदन के माननीय सदस्यों ने विचार प्रस्तुत किया कि यह शहरी प्रोपर्टी पर ही लागू होता है। राजस्थान जो कि एक कृषि प्रधान राज्य है, एग्रीकल्चरल लैन्ड पर अगर इसके प्रावधानों को लागू किया जाता तो कृषि की दृष्टि से ज्यादा हितकर हो सकता था। सम्भव है कि टीनेन्सी एक्ट जो अलग से बन रहा है और उसमें वे प्रावधान इन्कोरपोरेट किये जावें, और शायद इसीलिये राज्य सरकार ने कृषि सम्पत्ति सम्बन्धी कोई प्रावधान इस बिल में शामिल किया नहीं है।

जहां तक सेक्शन ५ का सम्बन्ध है, इसमें बहुत से प्रावधान ऐसे रखे हैं, प्रोविजोज के रूप में, कि जिन पर प्रिएम्पशन बिल को लागू नहीं किया गया है। यदि इनमें भी कमी होती तो ज्यादा अच्छा रहता। एक माननीय सदस्य ने यह व्यक्त किया कि सरकार को रूल–मेकिंग पॉवर इसमें नहीं दी गई है।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

लेकिन मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि यह सब्सटेंटिव लॉ है और सब्स्टेंटिव लॉ में रूल मेकिंग पॉवर्स की आवश्यकता नहीं है। सरकार को इस सब्स्टेंटिव लॉ के अन्दर उथल-पुथल करने की पॉवर नहीं दी जा सकती और मैं समझता हूं कि सब्स्टेंटिव लॉज के अन्दर सरकार को रूल्स मेकिंग पॉवर कम से कम दी जाय उतना ही अच्छा है। यह अपने ढंग का राजस्थान में पहला कानून है और शरियत के आधार पर जैसा कि रिवाज और परम्परा के आधार पर यह कानून माना जाता है उसको हम कोडिफाई कर रहे हैं। अच्छा हो यदि यह प्रवर समिति के पास पुनः विचारार्थ भेजा जाय ताकि जो साधारण त्रुटियां इसमें रह गई हैं वह भी दुरुस्त होकर ज्यादा श्रेष्ठ रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जा सके। इसलिए जो संशोधन माननीय सदस्यों ने रखे हैं मैं उनका समर्थन करते हुए यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को पुनः प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस बिल को इसलिए लाई है कि राजस्थान में अलग अलग रियासतों के प्रिएम्प्शन लॉज हैं और वे सुप्रीम कोर्ट के डिसिजन के बाद उस डिसिजन की कन्फर्मिटि में नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सन् १९६२ में प्रिएम्प्शन के राइट एक्रू होने के लिए कुछ फण्डामेंटल्स तय किए हैं। इसलिए राज्य सरकार ने आवश्यक समझा कि राज्य भर के लिए एक यूनिफाइड लॉ बनाया जाना जरूरी है जो पूरे राज्य भर में फोर्स में हो। इसलिए राज्य सरकार इन सभी लॉज को रिपील करके एक यूनिफाइड लॉ लाई है। इसका दूसरा कारण यह भी था कि राज्य के कुछ इलाकों में जहां लॉ लागू नहीं है, कुछ इलाकों में तो, कुछ रियासतों में तो प्रिएम्प्शन का कानून था और कुछ इलाकों में प्रिएम्प्शन का राइट कस्टम से गवर्न होता है। कस्टम एक वेग टर्म है और इस वेग टर्म को एलीमिनेट करने के लिए यह आवश्यकता समझी गई कि एक कॉम्प्रीहेन्सिव बिल लाया जाय और इसीलिए यह बिल लाया गया। कस्टम के सम्बन्ध में अदालतों के कन्फ्लिक्टिंग डिसिजन्स हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट डिसिजन में यह होल्ड किया है कि कस्टम सोसाइटी की प्रोग्रेस की एक स्टेज पर ठीक हो सकता है लेकिन बहुत से कस्टम लोगों के फण्डामेंटल राइट और उनकी प्रोपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने और उसको एक्वायर और होल्ड करने के अधिकार को यह 'कस्टम' रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है और जब रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है, तो कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल १९–एफ का वॉयलेशन करता है। ऐसी स्थिति में यहा जरूरी था कि एक ऐसा बिल लाया जाय जो सुप्रीमकोर्ट के डिसीजन को भी इन्कोरपोरेट करता हो और उसी डिसीजन की लाइट में एक ही तरह का कानून लागू किया जाय। इस बिल के अन्दर यह जो राइट ऑफ प्रिएम्प्शन है यह तीन प्रकार के जो व्यक्ति हैं, उनको ही एक्रू होता है औरों को नहीं। खास तौर से को-शेयरर को। को-शेयरर के अलावा जो इम्मूवेबल प्रोपर्टी है जो कॉमन है, या जिनका कॉमन स्टेयरकेस है या उस प्रोपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो वे उसको दूसरे किसी आदमी को नहीं बेच सकते हैं।

जिस हद तक उसका राइट ऑफ सेल और प्रोपर्टी के रेस्ट्रिक्शन का किया हुआ है,

(श्री परसराम मदेरणा)

जो प्रिएम्शन का बैटर राइट है और वह बैटर राइट को एन्फोर्स कर सकता है और उसको एन्फोर्स करने के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने जो वजूहात दिए हैं; मैं उसका रिलेवेन्ट पैरा तो बाद में पढूंगा। लेकिन इनके अलावा जो दूसरे ओनर्स ऑफ प्रोपर्टी, सब्सर्वीयेंट और डोमीनेंट टू प्रोपर्टी ट्रांसफर्ड हैं इन तीन केटेगरीज के लोगों को ही यह प्रिएम्प्शन का राइट एक्रू होगा, बाकी को नहीं। यह बिल लाने की आवश्यकता इसलिए थी कि पहले जितने भी कानून थे, उसमें प्रिएम्प्शन का राइट नेबरहुड या नेबरहुड टू विसिनिटी को जाता था उसको सुप्रीमकोर्ट ने अल्ट्रावायर्स डिक्लेअर कर दिया जब अल्ट्रावायर्स डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात होल्ड की है कि रैस्ट्रिक्शन उतना ही होना चाहिए जो पब्लिक इन्ट्रेस्ट में हो और जो रेस्ट्रिक्शन पब्लिक के आज के जो राइट्स हैं उन पर कुठाराघात नहीं करता हो, जिसमें एडवान्टेजेज ज्यादा हों और डिसएडवांटेजेज कम हों। उन्होंने एक यार्ड स्टिक रखी है कि जिस राइट ऑफ प्रिएम्पशन के एप्लाई होने से अगर एडवांटेजेज ज्यादा भारी पडते हों तो राइट लॉ है और डिसएडवांटेजेज भारी पडते हों तो राइट लॉ नहीं है। इसी बेसिस पर उन्होंने right of pre-emption in regard to vicinity को अल्ट्रावायर्स डिक्लेयर किया था। जहां तक को-शेयरर्स एक मकान के अन्दर दो को-शेयरर्स, किसी एक मेनेजमेंट के दो को-शेयरर्स हों, एक मकान के रहने वाले को-शेयरर्स हों, स्टेयरकेस के दो-तीन एपार्टमेंट वाले, तो ऐसे लोगों का इस कानून के तहत राइट एक्रू होगा। उनके एडवान्टेजेज बहुत हैं व डिसएडवान्टेजेज को आउट वे करते हैं, और जब डिसएडवान्टेजेज को आउट वे करते हैं तो कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टीकिल के १९ (एफ) के तहत इस बात का प्रावधान है कि हर एक व्यक्ति को एक्वायर करने का, होल्ड करने का व डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार है, लेकिन यह राइट रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जब कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में ऐसा समझा जाय तो को-शेयरर्स को राइट्स दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिलेवेन्ट जजमेंट का पैरा इस प्रकार से है :

"If an outsider is introduced as a co-sharer in a property it will make common management extremely difficult and destroy the benefits of ownership in common. The result of the law of pre-emption in favour of a co-sharer is that if sales take place the property may eventually come into the hands of one co-sharer as full owner and that would naturally be a great advantage. The advantage is all the greater in the case of a residential house and S. 16 is concerned with urban property, for the introduction of an outsider in a residential house would lead to all kinds of complication. The advantage arising from such a law of pre-emption are clear and in our opinion outweigh the disadvantages which the vendor may suffer on account of his inability to sell the property to whomsoever he pleases. The vender also cannot be said to suffer much by such a law because he is merely deprived of the rights of owning an undivided share of the property, On the whole it seems to us that a right of pre-emption based

(श्री परसराम मदेरणा)

on co-sharership is a reasonable restriction on the rights to acquire, hold and dispose of property and is in the interest of the general public.

इसलिये; उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राइट ऑफ प्रिएम्प्शन इन रिगार्ड टू दी कोशेयरर्स जो है यह कॉन्स्टीट्यूशन के इन-कन्फर्मिटी है और पब्लिक इन्ट्रेस्ट के अन्दर भी है और एडवान्टेजेज डिसएड्वान्टेजेज को आउट वे करते हैं। मैं यहां यह कहना पसन्द करूंगा कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि कॉमन स्टेयरकेस हो या किसी मेनेजमेन्ट में या किसी प्रोपर्टी में कोशेयरर हो, वह आउटसाइडर आकर या स्ट्रेन्जर आकर उनके बीच में प्रोपर्टी का मालिक बन जाय। अगर ऐसा पसन्द नहीं करेगा तो यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में होगा कि कोशेयरर के बेसिस के ऊपर लॉ ऑफ प्रिएम्प्शन जो है वह सही कानून है, और इस तरह के कानून के बनाये जाने की आवश्यकता थी। इसलिये राज्य सरकार इस कानून को लाई है ताकि कॉन्स्टीट्यूशनली वह सही कानून बनाया जा सके और खास तौर से जो राइट ऑफ विसिनिटी का था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रावायर्स डिक्लेयर कर दिया है उसको डिलीट करके हम यह कानून लाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह भी थी कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट है वह सभी स्टेट्स के लिए, इन्डिया भर के लिए आर्टीकल १४१ के अन्दर बाइन्डिंग है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का डिसिज़न बाइन्डिंग है तो ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, और आवश्यकता हो गई थी इसलिये कानून लाये।

यहां पर यह बात भी कही गई थी कि यह कानून अर्बन प्रोपर्टी तक ही सीमित रखा गया है और इसको रूरल प्रोपर्टी पर लागू नहीं किया है। मैं अर्ज करूंगा कि यह एग्रीकल्चर लैण्ड पर लागू नहीं किया गया है लेकिन रूरल एरिया में जो इम्प्रूवमेन्ट इम्मूवेबल प्रोपर्टी है लैण्ड के अलावा उस पर लागू है। एग्रीकल्चर लैण्ड पर इसको हमने इसलिये लागू नहीं किया कि लैण्ड के सम्बन्ध में जैसा कि हमने सिलेक्ट कमेटी में कहा था कि टीनेन्सी एक्ट में संशोधन होने जा रहा है और टीनेन्सी बिल जो सदन में इन्ट्रोड्यूस किया था और जिसको सिलेक्ट कमेटी में इस सदन में रेफर किया था तो उस बिल की धारा १७ में प्रिएम्प्शन के सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, और जब स्पष्ट कानून टीनेन्सी लॉ में है तो कोई आवश्यकता नहीं समझता, तथा सिलेक्ट कमेटी में जो एशोरेन्स दिया था वह यह था कि टीनेन्सी बिल बन रहा है तो जहां तक लैण्ड का सम्बन्ध है उसमें प्रावधान रखा जा रहा है। इसलिये जो इस बिल की स्कीम की चीज है वह सिर्फ अर्बन प्रोपर्टी के लिये है, एग्रीकल्चर लैण्ड के लिये नहीं है। उसके लिये अलग कानून बनाया गया है और उसमें प्रावधान भी रखा है। यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया था और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद उस पर विचार किया जायेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आप दोनों तरफ बात कहना चाहते हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि यह रूरल प्रोपर्टी के लिये भी एप्लाई होगा और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यह अर्बन प्रोपर्टी के लिये ही है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में अर्बन प्रोपर्टी का हवाला दिया

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

गया है और इस बिल के पढ़ने से भी यही मालूम होता है कि यह अर्बन प्रोपर्टी के लिये है।

श्री परसराम मदेरणा : अर्बन प्रोपर्टी के लिये है आबादी लैन्ड के लिये है; यह एग्रीकल्चर लैण्ड पर लागू नहीं होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : वह क्लीयर होना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : यह क्लियर करने जा रहे हैं ताकि माननीय सदस्यों को किसी प्रकार की शंका न रहे। मेरा निवेदन यह है कि रूरल एरिया में आबादी की जो जमीन है, जो प्रोपर्टी है उस प्रोपर्टी पर लागू होगा और राजस्थान भर में लागू होगा। यह एग्रीकल्चर लैण्ड पर लागू नहीं होगा। एग्रीकल्चर लैण्ड के लिए कानून लागू है। जो कानून एग्रीकल्चर लैण्ड से संबंध रखने वाला है और जिसमें उससे संबंध रखने वाली सभी चीजें आ जाती हैं तो हमने यह मुनासिब समझा है कि प्रिएम्प्शन का जो है एग्रीकल्चर लैण्ड के संबंध में वह उसी स्टेट्यूट में होना चाहिए, इस स्टेच्यूट में नहीं। उसका प्रावधान आर्डिनेरिली रख दिया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने पढा होगा और जो लॉ कमेटी की रिपोर्ट में भी आया है। उस रिपोर्ट का जो पैरा ४५ है तो जो कमेटी टीनेन्सी बिल को ड्राफ्ट करने के लिए बैठी थी उस कमीशन ने एग्रीकल्चर लैण्ड के प्रिएम्प्शन और सेल के संबंध में विस्तार से विचार किया है। इसलिए किसी प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए। एग्रीकल्चर लैण्ड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया है कि एग्रीकल्चर में सेम सर्वे नम्बर हो या सेम सर्वे नम्बर के अलावा अगर एडज्वॉइनिंग लैण्ड है और वह सीलिंग के अन्दर आता है तो कम से कम वह आदमी जो पजेशन में है उसका कोशेयरर हो या खाते में बराबर हकदार हो या खाते में बराबर हकदार होने के अलावा सीलिंग में आता हो तो सेम सर्वे नम्बर में कम से कम प्रिएम्प्शन राइट एक्रू होता है और उन्होंने उस लॉ को वेलिड होल्ड किया है। जिस आधार पर उन्होंने उसको वेलिड होल्ड किया है उसी आधार पर सिलेक्ट कमेटी में जो माननीय सदस्य थे उनको उसी बिना पर आश्वासन दिया था और वह पूरा किया जा सका है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जो प्रिएम्प्शन राइट्स हैं ये सिविल राइट्स हैं और आप टीनेन्सी एक्ट के अन्दर उन राइट्स का प्रोवीजन डालने जा रहे हैं तो उसका इस प्रकार से एप्लीकेशन लीगली नहीं किया गया तो वापिस सिविल कोर्ट में रेफर करना पडेगा तो सिविल नेचर का राइट है तो this should be decided by a Civil Court and not by a Revenue Court.

ऐसी डिफीकल्टी नहीं आये, इसका क्लेरिफिकेशन कर दें स्पेसिफिकली। दूसरी स्टेट्स के टीनेन्सी लॉज में इसी प्रकार प्रिएम्प्शन के राइट के संबंध में प्रावधान है। जहां तक आपने मुद्दा उठाया और कहा कि यह कानून सही नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं कि रेवेन्यू लॉज कमीशन के चैयरमेन हाई कोर्ट के जज थे और माननीय सदस्य जानते होंगे कि श्री भंडारीजी, जो सिविल के मामले में काफी अच्छी नोलेज

(श्री परसराम मदेरणा)

रखते हैं उन्होंने इस बिल में इस प्रकार का प्रावधान रखा है तो कानूनी तरीके से लॉ कमीशन ने अच्छी तरह से एग्जामिन कर लिया होगा और उसके बाद प्रावधान रखा है, इसलिए मैं समझता हूं कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने वाला है।

(३.०० म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, खास करके इन्हीं तीन पोइण्ट्स पर माननीय सदस्यों की शंकाएं थीं, उनका समाधान कर दिया है, इसलिए अब मैं निवेदन करूंगा कि इसको विचारार्थ लिया जाय .....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कोलोनाइजेशन एक्ट को आपने हटाया है, उसके बारे में आपने कुछ कहा नहीं; पहले रखा था, उसके बाद में हटाया है।

श्री परसराम मदेरणा : जितने कानून थे कुछ कानूनों का इसमें जिक्र किया गया था। सिलेक्ट कमेटी की राय थी कि कोलोनाइजेशन को प्रोवाइड कर दें इसलिए प्रोवाइड किया गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसमें तो एक्स-क्ल्यूड किया है।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ लैण्ड के संबंध में कानून हैं, कोलोनाइजेशन का कानून भी लैण्ड के संबंध में है। माननीय सदस्यों की राय थी कि इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाय इसलिए इसको एक्सक्ल्यूड किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : Will the Hon'ble members who have given amendments in regard to sending it to Select Committee like to withdraw their motions.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं विथड्रा करता हूं।

श्री गंगासिंह (जायल) : मैं विथड्रॉ करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I consider them withdrawn with the consent of the House.

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज बाइ क्लॉज।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ से २० तक विधेयक के अंग बनें।

श्री गंगासिंह (जायल) : क्लॉज ६ के संबंध में मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Just wait.

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से ५ तक विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड २ से ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज ६.

श्री गंगासिंह (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड ६ के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि इसके सब-क्लॉज (४) (ए) में यह लिखा हुआ है : "(4) Where two or more persons of the same class, claiming

(श्री गंगासिंह)

the right of pre-emption, are equally entitled thereto in all respects, the Court may—"

यहां पर यदि किसी का बराबर हकशफा लगता है तो अदालत किस तरह से नतीजा देगी, उस संबंध में इससे विवरण है। इसके सब-क्लॉज (१) में यह लिखा है: "(C) determine, by drawing lots the person in whose favour pre-emption may be decreed,"

इसके संबंध में मेरी यह अर्ज है कि कानून की दृष्टि से देखा जाय, किसी नये कानून के अनुसार यदि राइट्स तय करने होते हैं तो उस संबंध में अदालत को यह अधिकार देना मुनासिब नहीं है कि लोट से तय करे, गोलियां फेंके और उसमें से किसी को उठावें और जिसके हक में गोली आवे उसके हक में तय हो। देखा जाय तो यह इलेक्शन के संबंध में मुमकिन हो सकता है जिसमें बराबर वोट दो आदमियों के आये हैं। तो यह तय करना गैर मुमकिन हो जाता है कि कौन जीता है उसके लिये सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि लोट से तय किया जाय। लेकिन यह जो कानून है जिसमें यह देखा जाना है कि किसका हक ज्यादा लगता है किसका कम लगता है उसके लिये कानून का यह मतलब लेना चाहिए कि उसके सारे सर्कम्सटान्सेज देखे जायं और उसके अनुसार तय करना है। लोट के जरिये नहीं, बल्कि मेरिट के जरिये तय करना है कि किसको हकशफा के जरिये जायदाद मिलनी चाहिए। जैसे सब-क्लॉज (बी) में बतलाया है उस अनुसार प्रिएम्प्शन के तहत किसी मकान का झगडा है और सर्कम्सटांसेज इस तरह के भी हैं कि किसी एक के हक में अदालत फैसला दे सकती है, फिर भी अदालत लोट से तय करेगी दूसरे सर्कम्सटान्सेज क्यों देखेंगे और हो सकता है कि जिसके हक में फैसला न्याय की दृष्टि से नहीं होना चाहिये था उसके हक में लोट से फैसला हो जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि सब-क्लॉज (४) (ए) को हटा दिया जाय।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सब-क्लॉज (४) (ए) को हटाने का कहा है मैं भी इसमें शंका रखता हूं। जैसे राजस्थान टीनेन्सी बिल सिलेक्ट कमेटी के विचारार्थ है, यह कोशेयरर्स में झगडा आ जाय तो उसको किस तरह तय किया जाय उसका प्रावधान रखा है कि ऐसे पार्ट को सेल ऑफ कर दिया जाय बाइ ऑक्शन और कीमत को बराबर बांटा जाय। इसके अलावा यह मंशा इसमें है कि कोशेयरर्स का प्रिएम्पशन लोट के जरिये डिक्लेयर किया जायगा; तो हो सकता है नीयरेस्ट हकदार के साथ अन्याय हो जाय, उसको न्याय नहीं मिले। ऐसी सूरत में लोट के जरिये डिसाइड करना अनुचित होगा। मैं समझता हूं, संबंधित मंत्री टीनेन्सी बिल में प्रावधान है वैसा ही रखेंगे तो अच्छा होगा ताकि आसानी से तय हो जाय और कॉम्लीकेशन पैदा नहीं हो।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ के सब-क्लॉज (४) (ए) के संबंध में जायल और निम्बाहेडा के सदस्यों की ऐसी राय है कि क्लाज ६ के सब-क्लॉज (४) (ए) को डिलीट कर दिया जाय और यह जो लोट ड्रॉ करने का प्रोवीजन रखा है वह नहीं रखा

(श्री परसराम मदेरण)

जाय । मैं इसको मानने में असमर्थ हूं । इसलिए कि इसमें दोनों ही ऑल्टरनेटिव दिये हैं यह कोर्ट के लिये :

"Where two or more persons of the same class, claiming the right of pre-emption, are equally entitled thereto in all respects, the court may—

(a) determine by drawing lots the person in whose favour pre-emption may be decreed, or

(b) after taking into consideration the circumstances of the case and the respective requirements of all such persons.

(i) determine which of such persons may be allowed"

दोनों इसलिए रखे हैं कि कोर्ट चाहे तो लोट भी ड्रॉ कर सकता है । किसी की रिक्वायरमेंट को डिटरमिन करके उसको डिवाइड भी कर सकता है । कुछ प्रोपर्टी, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी होती है जिसका डिविजन नहीं हो सकता, पर दोनों की रिक्वायरमेंट बराबर है, ईक्वल फुटिंग है, डिविजन हो नहीं सकता। मान लीजिये एक कमरा है वेण्डर वेण्डी को बेचने जा रहा है और कोशेयरर राइट ऑफ प्रिएम्पशन सूट दायर करता है तो ऐसी सूरत में लोट ड्रॉ करना पड़ेगा इसलिए यह नेचर प्रोपर्टी पर डिपेण्ड करेगा चाहे लोट ड्रॉ करे । इसलिए इसको रखना आवश्यक है । जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री अब्दुलजब्बार : टीनेन्सी बिल सिलेक्ट कमेटी के विचाराधीन है, उसमें प्रावधान है कि कोई जायदाद के बंटवारे का सवाल आ जाय, जैसे मान लीजिये मकान की मिसाल दूं, यह इस प्रकार की मिसाल है या जमीन की मिसाल है सीलिंग के अन्तर्गत फ्रैगमेण्टेशन नहीं हो सकता छोटा नहीं किया जायगा तो उस कोमन लैण्ड को सेल ऑफ किया जायगा और जो कीमत आयगी उसको जो लोग हकदार हैं उनमें बांटी जायगी । उनमें से जिसकी इच्छा हो वह भूमि रखे । मैं मानता हूं कि प्रिएम्पशन क्लेम करे तो उसको लोट से डिसाइड करने का प्रावधान नहीं होना चाहिये । सेल हो जायगा । लेगा तो वही जिसके साथ में डिस्प्यूट है, जिसका उस पर हक पड़ता है । सवाल यह आता है, यदि ऐसा हो जायगा तो उसके बटवारे को करने का सवाल नहीं होता है । उसकी कीमत देने से मामला तय हो सकता है, उसको सेल ऑफ किया जा सकता है । वह खरीदेगा जिसका उस पर हक है, कोई दूसरा नहीं आयेगा । लिहाजा इसमें पीनल टाइप पर प्रावधान रख देंगे तो अच्छा होगा ।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें सेल करने का सवाल नहीं है, जैसे मार्केट में सेलर और पर्चेजर हों ।

श्री अब्दुलजब्बार : पार्टीशन का तो है ।

श्री परसराम मदेरणा : राइट ऑफ प्रिएम्पशन का मतलब है; आप मेरे मकान के पास में थे । आपने मकान बेच दिया । अब आपका और मेरे मकान का कॉमन स्टेयरकेस है । अब तीसरा आदमी आता है, जो स्ट्रेन्जर है, तो वह बेच कर डिवाइडेड

(श्री परसराम मदेरणा)
प्रापर्टी तो हो जाती है और पैसा भी मिल जायगा, लेकिन मेरे लिए एक जलालत हो जायगी, क्योंकि स्ट्रेन्जर मेरे स्टेयरकेस पर आयेगा और जायेगा ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह लेटर स्टेज की बात आप फर्मा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें पैसा दिलाने का सवाल नहीं है, इसमें लोगों की होम लाइफ का सवाल है । यदि कोई को-शेयरर हैं तो उनकी होम लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो । लोगों की होम लाइफ के अन्दर स्ट्रेन्जर घुस कर डिस्टर्ब नहीं करे, उनको प्राइवेट और सिविक लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो । इसमें इसलिए यह प्रावधान लाया गया है । कोई प्रापर्टी का बटंवारा करने का सवाल नहीं है, जिसके लिए यह लाया गया हो ।

श्री अब्दुलजब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, यह (४) (ए) निकालने में खतरा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे चुके हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं बताना चाहता हूं; प्रिएम्शन के लिए.....

श्री उपाध्यक्ष : That is all.

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

क्लॉजेज ७ से २०.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ७ से २० तक विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ७ से २० तक विधेयक में अंग रूप से जोडे गये ।

(विराम)

क्लॉज २१.

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, I move that in sub-clause (1) :

1. For the expression "article 10" substitute the expression "article 97".

2. For the expression "Indian Limitation Act, 1908 (Central Act 9 of 1908)" substitute "Limitation Act, 1963 (Central Act 36 of 1963)"

3. For the expression "article 120" substitute the expression "article 113".

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिये किया है कि इस बिल के ड्राफ्ट होने के बाद इंडियन लिमिटेशन एक्ट में संशोधन हो गया था और संशोधन में साइटेशन को बदल दिया है, वह सही साइटेशन देने के लिए यह रूटीन नेचर का अमेंडमेंट है, इसे स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २१ में जो संशोधन मिनिस्टर-इन-चार्ज ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २१, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २१, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

क्लॉजेज २२, २३ व २४.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २२ से २४ तक विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज २२ से २४ तक विधेयक में अंग रूप से जोडे गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, इनेक्टिंग फॉर्मुला, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, इनेक्टिंग फॉर्मुला, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक, राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२, यथासंशोधित, पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मैं अकेला हूं, आवाज मेरी जीती है ।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया ।

अब सदन की बैठक कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनतर सदन की कार्यवाही म.प. ३ बज कर १६ मिनट पर शुक्रवार दिनांक १ अक्टूबर, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई) ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न सं. २११ का उत्तर देखिये)

तहसील जैतारण:—इस तहसील के गांव (१) डीगरना (२) फालका (३) लौटौती (४) देवरिया (५) जोधावास (६) कारोलिया (७) आगेंवा (८) चावंडिया (९) नीमाज (१०) राबडियावास (११) लाम्बीया (१२) आनन्दपुर कालू चक नम्बर १ में सडक निर्माण-कार्य हुआ। इन गांवों के भू-अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन किये जा चुके हैं।

तहसील सोजत:—इस तहसील के गांव (१) बीलावास (२) वासनी जोधराज (३) मेसाना (४) सीसरवादा (५) सोजत चक नं. २ (६) घीनावास (७) चण्डावल (८) सारंगवास (९) बगडी (१०) गोदेलाव (११) रूपावास (१२) बरीयाला (१३) लुण्डावास (१४) चाडवास (१५) रेपडाबास (१६) धांगडवास (१७) सुरायता (१८) चौपडा (१९) नयागांव (२०) चांदासणी (२१) लूणेरा (२२) रोजोला में सडक कार्य सम्पन्न हुआ जहां के भू-अभिलेख में परिवर्तन किया जा रहा है।

तहसील खारची:—इस तहसील के गांव (१) बाजार खारची (२) नरसींगपुरी (३) हेमलियावास खुर्द (४) जाडन में सडक कार्य सम्पन्न हुए हैं। भू-अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

तहसील रायपुर:—इस तहसील के गांव (१) काणूजार (२) विराटियाखुर्द (३) चांग (४) चिताड (५) रायपुर (६) निम्बेडा कलां (७) सींगला में सडक कार्य सम्पन्न हुए। भू-अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१२ का उत्तर देखिये)

(Extract from Notification No. F.3/57/TP/65 dated 21-4-65)

(c) Vacant plots measuring 120 sq. yards will be allotted at concessional rates at Rs. 2/- per sq. yard on instalment basis to person of Low Income Group I including persons belonging to the scheduled castes and scheduled tribes who may be in the category of Low Income Group I. The cost of the plot being recovered in 10 yearly instalments with interest @ 6%.

———

Page No 91

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न सं० २३१ का उत्तर देखिये)

तहसील रामगंज मंडी के ग्राम मोड़क स्टेशन असकली-ऊदपुरा के व्यक्तियों द्वारा मकान बनाने की जमीन उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त हुई दरख्वास्तों की सूची । लिस्ट "बी"

क्र० सं०	नाम मय पूरा पता	रकबा	नियमित रकबा	कीमत	पट्टा	रिमार्कस
१.	श्री हजारीलाल वल्द नानकराम महाजन, मोड़क स्टेशन	२				
२.	श्री किशनलाल वल्द बिहारीलाल कुम्हार, मोड़क स्टेशन	१				
३.	श्री बक्षु वल्द भोलु, कुम्हार, असकली	१				
४.	श्री किशनलाल वल्द बिहारीलाल कुम्हार असकली ..	७० ब. ग.				
५.	श्री जेठानन्द वल्द पोखरदास पंजाबी ढाबा देह ..	१४४ ब. ग.				
६.	श्री बक्षु वल्द भोलू कुम्हार असकली	१२० ,,				
७.	श्री किशनलाल वल्द बिहारीलाल कुम्हार असकली	७० ,,				
८.	श्री भैरू वल्द सांवल माली ऊतपुरा	३७५० ब. फी.				
९.	श्री नरसिंह वल्द रामा मेघवाल ऊतपुरा	२२९५ ,,	२२९५	२६.२५	५)	
१०.	श्री बजरंगा वल्द नन्दा गूजर ऊतपुरा ..	४५४५ ,,	४५४५	८८.७५	५)	
११.	श्री महमूद खां वल्द ऊमजीदखां ऊतपुरा	१४३० ,,	१४३०	३०	५)	
१२.	श्री मोतीलाल वल्द भूरीलाल ऊतपुरा	१				
१३.	श्री नारायण वल्द रोडू चमार मोडक स्टेशन ..	१				
१४.	श्री जेठा वल्द पोखरदास पंजाबी असकली ..	१				

परिशिष्ट ४

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बून्दी में सीमेन्ट का कारखाना खोलने की योजना

२२२. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी में सीमेंट का कारखाना खोलने का सरकार द्वारा निर्णय कर लिया गया है ?

(२) यदि हां, तो कब से इसका कार्य प्रारंभ करने की योजना है और क्या सरकार ने इसके लिये कोई जियोलोजिकल सर्वे करवा लिया है ?

(३) यदि हां, तो बूंदी जिले के कौन से स्थान में इस उद्योग के काम आने लायक पत्थर पाये गये हैं ? सर्वे कब हुआ ? कितने वर्षों के पत्थर की संभावना है ?

(४) सीमेन्ट का यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में खोला जायेगा या गैर सरकारी क्षेत्र में ? यह कार्य कब से प्रारंभ किया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, गैर सरकारी क्षेत्र में ।

(२) जब भारत सरकार किसी पार्टी को सीमेन्ट का कारखाना खोलने के लिये औद्योगिक अनुमति-पत्र स्वीकार कर देगी, तब यह कार्य प्रारंभ करवाया जा सकेगा । अभी तक तो इस क्षेत्र का केवल प्रारंभिक खोज कार्य भारतीय जियोलोजिकल सर्वे ने किया है ।

(३) प्रारंभिक खोज रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पत्थर बूंदी के उत्तर-पूर्व में १० से २३ किलोमीटर की दूरी पर भैरोंपुरा से मेज नदी के निकट पाया गया है । प्रारंभिक खोज कार्य १९६१-६२ में हुआ । इसके बारे में अभी तक निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता; किन्तु प्रारंभिक खोज रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में १३० मिलियन टन पत्थर के भंडार के होने की संभावना है जो ४००० टन प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता रखने वाली दो सीमेन्ट फैक्टरी के लिये या ८००० टन प्रतिदिन क्षमता रखने वाली एक फैक्टरी के लिये करीब ५० वर्ष के लिये पर्याप्त हो सकता है ।

(४) गैर सरकारी क्षेत्र में । इसका उत्तर प्रश्न के भाग २ के उत्तर में दे दिया गया है ।

जयसमन्द तालाब के पेटे की भूमि पर खातेदारी अधिकार

२२३. **श्री देवीलाल** (सराडा-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सलूम्बर तहसील के पेलूडी व गिगला ग्राम की जयसमन्द तालाब के पेटे में सम्वत २०१२ की रबी की फसल करने वाले काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । इस तालाबों के पेटे में जो जमीन है उसके कोई खातेदारी पर्चे महकमा बन्दोबस्त से तकसीम नहीं किये गये, न वह जमीन किसी को मुस्तकिल काश्त के लिये

(श्री राजस्व मंत्री)
बनलाई, इसलिये खातेदारी हकूक पैदा नहीं होता।

ग्राम लीलकी, तहसील राजगढ की ग्राराजी राज भूमि का अलॉटमेंट

२२४. **श्री रावतराम** (सादूलपुर): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम लीलकी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू में लगभग तीन हजार बीघा भूमि ग्राराजी राज पड़ी है, जिसे लीलकी का बीड़ कहते हैं? यदि हां, तो यह जमीन क्या काम ग्राती है?

(२) क्या सरकार 'ग्रधिक ग्रन्न उपजाग्रो' ग्रान्दोलन को ध्यान में रखते हुए इस जमीन को भूमिहीन हरिजनों को ग्रलॉट करने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) जी हां, यह बीड़ राजगढ के नाम से है। यह भूमि पशुग्रों के चरने के काम ग्राती है।

(२) जी नहीं।

जमवा रामगढ़ पुलिस स्टेशन के सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध शिकायत

२२५. **श्री भैरवलाल "कालाबादल"** (ग्रकलेरा-सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सन् ६२ में जमवा रामगढ, जिला जयपुर के पुलिस स्टेशन के सब-इन्सपैक्टर श्री नरेन्द्र जौहरी के खिलाफ उस क्षेत्र की जनता ने पुलिस विभाग में १३ शिकायतों की जांच करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था ग्रौर वहां की जनता ने श्री नरेन्द्र जौहरी सब-इन्सपैक्टर के जुल्मों को रोकने की मांग की थी?

(२) यदि हां, तो जनता की शिकायतों पर सरकार ने क्या जांच की तथा जांच में कुल शिकायतों में से कितनी शिकायतें सही पायी गई? जांच किसके द्वारा कराई गई थी ग्रौर उक्त सब-इन्सपैक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(१) जी हां। किन्तु केवल ११ प्रार्थना-पत्र ही प्राप्त हुए थे।

(२) १० की जांच सी. ग्रो., ग्रामेर ने तथा १ की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने की। जांच से केवल ४ शिकायतें सही पाई गई। शेष ७ में ग्रारोप निराधार पाये गये। दो में सेन्सर की सजा दी गई तथा शेष दो में एक एक वर्ष की वार्षिक वेतन-वृद्धि रोकी गई।

तहसील पिडावा के बन्दोबस्त की नई रेन्ट रेट्स

२२६. **श्री गोविन्दसिंह** (पिडावा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ के बन्दोवस्त के नई रेन्ट रेट्स के कागजात सैटिलमेन्ट कमिश्नर के कार्यालय में कब से विचाराधीन हैं?

(२) क्या यह सही है कि तहसील पिड़ावा में (सुनेल टप्पा को छोड़ कर) १९५५ में बन्दोवस्त हुग्रा ग्रौर तब से ग्रब तक कोई रेन्ट रेट्स कायम नहीं हुईं?

(श्री गोविन्द सिंह)

(३) क्या यह सही है कि बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण न होने के कारण पंचायत समिति पिड़ावा के कई गांवों को चरनोट अलॉट करने में अड़चन आ रही है और कई गांवों में अभी तक चरनोट सुपुर्द नहीं हुई है ? जिन जिन गांवों को अभी तक चरनोट सुपुर्द नहीं हुई है उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें व जिन जिन गांवों को कब कब चरनोट सुपुर्द हुई उसकी सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(४) राज्य सरकार तहसील पिड़ावा में नई रेन्ट रेट्स कब तक लागू कर देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) यह रिपोर्ट राजस्व मंडल, अजमेर के यहां विचाराधीन है ।

(२) नहीं । तहसील पिडावा मय सुनेल टप्पा के ग्रामों को कार्य सेटिलमेन्ट शुरू कराने की विज्ञप्ति २६-४-६२ के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हुई जिसके अनुसार ही रेन्ट रेट्स प्रस्तावित की गई है ।

(३) जी नहीं, बन्दोबस्त के कार्य पूर्ण न होने के अभाव में कोई अड़चन नहीं आई । जिन गांवों में चरनोट सुपुर्द हुई है तथा जिन में सुपुर्द नहीं हुई है, उनकी सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(४) राजस्व मंडल अजमेर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर जल्दी ही उस पर निर्णय लिया जायगा ।

(सूची विस्तत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम नगर की पंचायत समिति द्वारा भूमि पर अनियमित कब्जा

२२८. श्री **नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) ग्राम नगर, जिला भरतपुर के खसरा नं० १३५१।१।।३ पर किस काश्तकार की खातेदारी एवं कब्जा है ?

(२) क्या उपरोक्त खसरा नं० पर बिना एक्वायर किये ही पंचायत समिति ने कब्जा कर लिया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) क्या पंचायत समिति का कब्जा करना अनियमित है ? अगर हां, तो ऐसे अनियमित कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) उक्त भूमि इस समय पंचायत समिति नगर के कब्जे में है ।

(२) ग्राम नगर के खसरा नं० १३५१ का आधा रकबा तो सन् १९६२ में पंचायत समिति ने श्री गोकुलचन्द नामक व्यक्ति से १,५००-६० में खरीद कर लिया और आधे रकबे के संबंध में राजस्थान लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट, १९५३ के तहत कार्यवाही चल रही है और धारा ४ के तहत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तथा जमीन की हदबन्दी की गई है । श्री परमानंद पुत्र देवकीनन्दन ने इसके सम्बन्ध में राजस्थान हाईकोर्ट में रिटपिटीशन दायर कर रखा है जो जेर कार्यवाही है ।

(३) इस सम्बन्ध में मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है ।

सांचौर डेयरी फार्मिंग योजना

२२६. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि सांचोर के लिये सरकार की ओर से कोई डेयरी फार्मिंग योजना बनाई जा रही है ? अगर हां, तो वह योजना क्या है ? और वह किस स्थान पर व कब शुरू की जावेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

श्री डूंगरगढ़ नगरपालिका के प्रशासक की नियुक्ति

२३०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या श्री डूंगरगढ़ नगरपालिका, जिला चूरू में प्रशासक के पद पर एक रिटायर्ड कर्मचारी लगभग चार सौ रुपया मासिक पर नियुक्त है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या सरकार ने अपनी यह नीति बताई थी कि भविष्य में किसी गैर सरकारी व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त नहीं किया जावेगा, न मियाद बढाई जावेगी ? यदि हां, तो इस प्रशासक की मियाद क्यों बढाई गई ?

उत्तर

(१) जी नहीं । वहां निर्वाचित बोर्ड है, अतः प्रशासक का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है ।

(२) राज्य सरकार की नीति का पूर्णतया पालन किया जा रहा है और वर्तमान में किसी भी पालिका में कोई गैर सरकारी व्यक्ति प्रशासक नहीं है । उपरोक्त स्थिति में मियाद बढाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

सफाई पुरुष और स्त्री मजदूरों के वेतन में असमानता

२३२. **श्री हरिराम धारू** (सिवाना-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान की नगरपालिकाओं व नगर-परिषदों में कार्य कर रहे सफाई पुरुष एवं स्त्री मजदूरों के वेतन बराबर हैं या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार के समक्ष कोई ऐसी योजना है जिसके द्वारा उनके वेतन बराबर हो सकें ?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन श्रृंखलाओं में कोई अन्तर नहीं है ।

लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के तहत मामले

२३३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के तहत निवाई तहसील में गत तीन सालों में कितने मुकदमे बनें ?

(२) इन मुकदमों में से कितनों का फैसला हर साल किया गया ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(३) यह फैसले तहसीलदार ने ही किये या इनके लिये भूमि अलॉटमेन्ट कमेटी की बैठक बुलाई गई ?

उत्तर

(१) वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित कर दी गई है।

(२) यह सूचना भी संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(३) जी हां।

सूची मुकदमात जो बाबत धारा ९१ राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट १९५६-तहसील निवाई :

सन्	पिछले बकाया	जो नये बने	योग	निर्णीत हुए	बाकी रहे
१९६२	१४	१५५०	१५६४	१५५२	१२
१९६३	१२	५७४	५८६	१९५	३९१
१९६४	३९१	१८२१	२२१२	१११	२१०१

सूची मुकदमात अतिक्रम के नियम संबंधी

सन् १९६२	३३
सन् १९६४	११
योग	४४

आवास हेतु सरकारी बंगला

२३४. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चूरू में सीनीयर सिविल एवं एडीशनल सेशन्स जज के आवास हेतु कोई सरकारी बंगला अभी तक नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) चूरू में उपरोक्त अधिकारी के लिये कब तक आवास गृह बनवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, अभी तक सरकारी बंगला नहीं बनाया गया है। निर्धारित कार्यक्रम (Phased Programme) के अनुसार सरकार द्वारा मकानात बनवाने की हर साल व्यवस्था की जाती है। अभी तक सन् १९६२ से चूरू में आवास गृह बनवाने का नम्बर नहीं आया। १९६२ के पश्चात् से संकट-काल चल रहा है।

(२) संकट-काल के रहते हुए यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि चूरू में कब तक आवास गृह बनवाने की व्यवस्था की जायेगी।

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक ३० सितम्बर, १९६५)

स्कम्भ सं० १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१६०५	३	भवन	भवन,
१६१२	अन्तिम से २	पुनवार्स	पुनर्वास
१६१६	शीर्ष	(श्री हरदेव जोशी जनस्वास्थ्य मंत्री)	(श्री हरिदेव जोशी)
,,	६	विचारधीन	विचाराधीन
१६२३	१	**श्री सतीशचन्द अग्रवाल**	**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**
१६२६	१५	"जी हां,	"जी हां,"
१६३४	अन्तिम से ४	अनसार	अनुसार
१६३५	३,४	Inst uctiım	Instructions
,,	अन्तिम	भूवंटन	भूबंटन
१६३६	२	अनुसुचित	अनुसूचित
,,	१६	साल्व	सोल्व
१६३८	१५	शिड्यूल्ड क्लास	शिड्यूल्ड कास्ट
,,	१६	(श्री मोहनलाल सुखाडिया)	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
१६३६	१	**श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मंने**	**श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैंने**
१६४४	७	**श्री रामप्रसाद लडढा**	**श्री रामप्रसाद लड्ढा**
,,	२०	**श्री रामप्रसाद लड्ढा**	**श्री रामप्रसाद लड्ढा**
१६४८	१३	मंन	मैंने
१६४६	शीर्ष	(श्री दोलतराम सारण)	(श्री दौलतराम सारण)
१६५४	१०	मट्टी	मिट्टी
१६५६	१२	**श्री अब्दलजब्बार**	**श्री अब्दुलजब्बार**
,,	१८	**श्री रामप्रसाद लड्डा**	**श्री रामप्रसाद लड्ढा**
१६५६	अन्तिम से ५	मंप	मैंप
१६६१	४	सम्वन्ध,	सम्बन्ध, जेल में
१६६३	२०	हु हैं।	हुए हैं।
१६६५	७	परोल	पैरोल
१६६६	१७	**श्री मुरलोधर व्यास**	**श्री मुरलीधर व्यास**
१६६७		(श्री भुरलीधर व्यास)	(श्री मुरलीधर व्यास)

ख

१	२	३	४
१६६७	१६	राष्ट्रद्रोही	राष्ट्रद्रोही
१६६८	अन्तिम से ६	**श्री मोहनलाल सुखाडिया**	**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**
१६७५	१	**श्री मुलीधर व्यास**	**श्री मुरलीधर व्यास**
१६७६	७	कूकडा	कूकडा
१६८१	६	का	से
१६८३	अन्तिम से १२	पिश्रोली	मिश्रोली
१६६१	१	। खरीदा है ।	खरीदा है ।
,,	अन्तिम से १२	दरख्वातें	दर्ख्वास्तें
१६६३	१७	यह	..
,,	१८	आक्रमक	आक्रामक
१७०२	अन्तिम से १४	प्रहार का मार्गदर्शन करेंगे,	प्रकार का मार्ग-दर्शन करेंगे
१७०६	अन्तिम	पाकिकस्तान	पाकिस्तान
१७२२	अन्तिम	तने	कितने
१७२३	५	ाक	कि
१७२५	शीर्ष	(श्री मैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिह)
१७२७	अन्तिम से ५	**श्री शतीशचन्द्र**	**श्री सतीशचन्द्र**
१७२८	अन्तिम से ६	(I fully	I fully
१७३२	,, १०	जल्दा	जल्दी
१७३३	अन्तिम से ५	बांइ	बांई
१७३४	१०	**श्री रामप्रसाद लड्ढा**	श्री रामप्रशाद लड्ढा
१७३५	१७	**विषवक प्राकलन**	विषयक प्राक्कलन
१७३६	शीर्षक	विधेयक १७३६	विधेयक [१७३६
,,	३	(एवं	एवं
,,	अन्तिम से ६	no. 72of	no. 72 of
,,	,, ५	di i ded on 14	decided on 14th.
,,	,, ४	Raj asth n	R jasthan
१७३८	२३	ह	है
१७३६	१७	आर्डिनन्स	ऑर्डिनेन्स
१७४०	८	चयर	चेयर
१७४१	अन्तिम से ६	रिपोर्टर्स	रिपोर्ट्स
१७४२	१८	आ	आती
,,	२०	**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**	**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**
१७४३	३	**श्री भैरों ह**	**श्री भैरोंसिह**

ग

१	२	३	४
१७४३	अन्तिम	हे ?	किया है ?
१७४४	,,	हासि	हासिल
१७४५	२	साराश	सारांश
,,	१२	करदे	कर दें
१७४७	अन्तिम से ८	पढा है ;	पढ़ा है।
,,	,, ४	Oe.ır p[ease	Order please !
१७४६	,, २	बाडगेर	बाड़मेर
१७५०	३	श्री नाथूराम मिर्धा।	श्री नाथूराम मिर्धा,
,,	४	श्री केसरीसिंह (पाली)	श्री केसरीसिंह (पाली),
१७५१	अन्तिम से ६	रूल	रूलस
१७५५	,, ९	इसमे	इसमें
१७५७	१३	ru:· l	rural
१७६५	२६	lre-emption	pre-emption
१७६६	अन्तिम से ६	Vender	Vendee
,,	,, ३	undivide	undivided
१७६८	शीर्षक	बिधेयक	विधेयक
१७७१	शीर्ष	(श्री परसराम मदेरणा)	(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
१७७५	,,	(श्री परसराम मदेरण)	(श्री परसराम मदेरणा)
१७७७	१	प्रापर्टी	प्रोपर्टी
१७८२	६	person	persons
१७८३	२	असकली-ऊदपुरा	असकली-ऊतपुरा
,,	१३	श्री किरानन	श्री किशनलाल
१७८७	१	साचोर	सांचोर